खण्ड-308, अंक-7
बुधवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1896
(3 जुलाई, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 3 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—388

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां) (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा दवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायित्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा०
जुगल किशोर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजू राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री

पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आय, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां,
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम , श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री

रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राधवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपति देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द, एडवोकट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामरेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रास शिरोमन दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राम मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह मेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रसाद अग्रवाल, श्री

शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं विशेष परिस्थितियों में आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक (ख) में 30 दिन की अवधि है, इसको निलम्बित करते हुए नियम 311 के अन्तर्गत व्यवस्था की जाय कि 23 जुलाई, 1974 तक अवधि बढ़ाकर श्री उपाध्यक्ष का चुनाव करा दिया जाय ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरी भी यही राय है ।

श्री अध्यक्ष—

आज उपाध्यक्ष के चुनाव के निमित्त 12 बजे तक का समय तय था। लेकिन उस दिन मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि नेता विरोधी दल नहीं है। जब आजायेंगे, आपकी सहमति होगी तो जैसा आप चाहेंगे सदन पास करेगा। नियम में समय का सवाल था इसलिये उसको निलम्बित करके 15 दिन की अवधि और चाहते हैं।

चौधरी चरण सिंह—

20 दिन की अवधि बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक (ख) को निलम्बित करते हुए सदन यह निश्चय करता है कि श्री उपाध्यक्ष का निर्वाचन 23 जुलाई, 1974 के भीतर सम्पन्न कराया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 3 जुलाई, 1974

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बिस्कुट कारखानों को मैदे का कोटा न दिया जाना

**1—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

1—क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करगे कि प्रदेश में बिस्कुट बनाने के कारखानों को माह मई, 1974 का मैदा का कोटा न दिये जाने के कारण कारखाने बन्द हो गये हैं और फलस्वरूप कारखानों में काम करने वाले लगभग 50 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार अविलम्ब क्या कदम उठाने जा रही है?

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

अप्रैल, 1974 में 5,000 टन सरकारी गेहूं रोलर मिलों को दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें 13,392 टन गेहूं खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दी गई थी। इससे बना मदा मई तथा जून, 1974 में उपलब्ध रहा। मई तथा जून, 1974 में मिलों को खुले बाजार में गेहूं खरीदने की अनुमति गेहूं की उगाही के हित में तथा गेहूं के भाव न बढ़ने पाये इसलिए नहीं दी गई।

2—शासन को अधिकृत रूप से ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि मई, 1974 में मैदे का कोटा न दिय जाने के कारण बिस्कुट बनान के कारखाने बन्द हो गये हैं तथा उनक मजदूर बेकार हो गये हैं। बाजार में मैदे की उपलब्धता बढ़ान के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

श्री त्रिवणी सहाय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार ने मई में मैदे के कोटे को न देने का आदेश कर दिया था लकिन माडर्न बकरीज को दिया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह बैकरीज प्रदेश की कम्पनी नहीं है बल्कि केन्द्र की अन्डरटेकिंग है और इसका हेड क्वार्टर देहली में है। प्रदेशीय सरकार के दायित्व से परे इसका प्रबन्ध है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मन्त्री जी को पता है कि बहुत से लोग मैदे का कोटा लेकर बिस्कुट न बनाकर चोर-बाजारी में बेच देते हैं तो ऐसे लोगों को मैदे का कोटा न दिया जाय?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ठीक है। जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच की जाती है। अगर माननीय सदस्य उदाहरण देंगे तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि बेकरीज के बन्द हो जाने के कारण डबलरोटी वगैरह का बड़ा अभाव हो गया है जिसका कारण यह है कि कंट्रोल रेट पर कच्चा माल नहीं मिलता है और वे महंगे दाम पर माल खरीदते हैं? इसलिये इनका सामान महंगा पड़ता है जबकि अन्य प्रदेशों से सस्ता माल आता है, वह यहां बिकता है और इनका माल नहीं बिकता है। इसलिए बहुत सी बकरीज बन्द हो गई ह जिससे बहुत से मजदूर बेकार हो गये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, शासन का यह पहले से ही प्रयत्न रहा है कि बिस्कुट निर्माताओं को और बेकर्स को और कंफेक्शनर्स को निर्धारित रेट पर मैदा मिलता रहे ताकि डबलरोटी आदि वह जनता को उपलब्ध कराते रहें। इसलिये 19 सितम्बर, 1972 तथा 11 जुलाई, 1973 को इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश प्रसारित किये गये हैं। अगर सदस्य कहें तो मैं उसकी प्रतिलिपि उनकी सेवा में भेजने को तैयार हूं।

श्री वीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां अप्रैल और मार्च में यह आवंटन नहीं किया गया, मैदा नहीं भेजा गया। क्या कोई ऐसा जिला भी है जहां पर मार्च और अप्रैल में मैदा नहीं भेजा गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे ऐसी सूचना नहीं है।

श्री शफीकुल रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माडर्न बैकरी को मैदा आपने मई और जून के महीने में इस फर्म से दिया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैंने बताया कि केन्द्र की जिम्मेदारी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई इस तरह का आदेश सरकार ने फ्लोवर मिलों को दिये हैं कि 30 जून तक मैदा बनाने नहीं दिया जायगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, प्रयत्न यही था। यही कहा गया था कि दो महीने में उनको गेहूं खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है ताकि गेहूं की वसूली हो सके और भाव न बढ़ें।

श्री वीरन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उनके पूर्व से आदेश हैं कि निर्धारित रेट पर बेकरी वालों को और बिस्कुट बनाने वालों को अनाज सरकार की ओर से दिया जायगा। तो क्या निर्धारित रेट पर बिस्कुट और यह बेकरी या जनता को दिये जाने की भी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरी चीज है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब 30 जून तक मैदा बनाने के लिय मनाही कर दी गई और गेहूं दिया नहीं गया तो कैसे कह रहे थे कि कौन सा आदेश पूरे प्रदेश के सप्लाई अफसरों को दिय गये कि उनको कोटा दिया जाय। किस आदेश के मातहत कह रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैंने उल्लेख जो किया यह कुल मई, जून] के लिए खुले बाजार में गेहूं खरीदने के लिय मनाही थी।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, जुलाई में यह आदेश जारी रहेगा कि नहीं या जुलाई के बाद बेकारीवालों को दिया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विचार किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

अमरोहा, मुरादाबाद की रामगंगा माइनर कैनाल का बन्द होना

*1—श्री चन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद), श्री मुल्तान सिंह यादव (जिला आगरा) श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद), श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद), श्री दवी सिंह तथा श्री मनी राम (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह मालूम है कि जिला मुरादाबाद की तहसील अमरोहा में राम गंगा माइनर कैनाल में गत 23 फरवरी, 1974 से पानी नहीं आया है जिससे किसानों को भीषण हानि हुयी हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से तथा अब कब तक पानी मिलने लगेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमद अली खां)—

जिला मुरादाबाद की तहसील अमरोहा में राम गंगा पम्प नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। यह पम्प नहर रामगंगा नदी पर बने रनी वियर से निकाली गयी है जहां पानी बिजली के पम्पों की सहायता से उठाकर राम गंगा पम्प नहर में डाला जाता है। चूंकि राम गंगा नदी में पानी का स्तर गिर गया था इस कारण उक्त पम्प नहर को पानी न मिल सका। अब जल स्तर धीरे-धीरे उठ रहा है। शीघ्र ही सिंचाई सुविधा पुनः मिल सकेगी।

श्री चन्द्रपाल सिंह—

माननीय मन्त्री जी कोई आश्वासन दें कि कब तक पानी देंगे।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मान्यवर, मैंने तो अर्ज किया कि पानी अब भी मिल रहा है और आइंदा बिल्कुल पानी बराबर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि जल-स्तर गिर जाने की वजह से ऐसा हुआ। तो शासन को इसकी जानकारी कब हुई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसके बारे में यह है कि यह जो पम्प नहर है यह बिजली से ज्यादातर चलती है। बिजली पिछले जमाने में कुछ कम मिली और उसी की वजह से यह पानी रोजाना 6 घंटा नहीं मिला 18 घंटा मिलता रहा लेकिन वोल्टेज भी कम था। इसलिए 4 के बजाय 2 पम्प चलते रहे इसलिए पानी कम मिला। अब आइंदा उसके लिये चूंकि उसमें राम गंगा से पानी दिया जायगा इसलिए यह कठिनाई दूर हो जायगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैंने यह पूछा कि शासन को इसकी जानकारी के सम्बन्ध में मन्त्री जी लपेट में कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसके बारे में तो मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, मन्त्री जी के जवाब के मातहत मैं यह जानना चाहता हूं कि 23-2-74 को जिला मुरादाबाद की तहसील अमरोहा में राम गंगा माइनर कैनाल से पानी नहीं आया। तो म यह जानना चाहता हूं कि उसमें इतने जमाने से पानी नहीं मिला तो क्या इस सिलसिले में डिपार्टमेंट के लोगों न गफलत की और जान-बूझकर ऐसा किया गया जिससे किसानों का बेहद नुक्सान हुआ, खेती तबाह हुई।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जहां तक आंकड़े हैं 23-2-74 के बाद 20 दिन, 15 दिन और 14 दिन तक पानी मिला।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि वहां के काश्तकारों को पानी नहीं मिल पाया। दूसरी बात बिजली जो मिली 2 ही पम्प चले, तो साढ़े 6 घंटे जो बिजली मिली उसमें यह 4 पम्प क्यों नहीं चालू रख गये ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसमें मैंने बात दूसरी अर्ज की थी। मने यह अर्ज किया था कि 6 घंटे बिजली नहीं मिल पाई, 18 घंटे मिलती रही।

श्री रघुवीर—

मान्यवर, साढ़े 6 घंट के बजाय 18 घंटे जो बिजली मिली माननीय मन्त्री जी क कथन के मुताबिक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 18 घंटे जब बिजली मिली है उस कैनाल से तो यह 2 पम्प क्यों बन्द रखे गये, 4 पम्प क्यों नहीं चालू रखे गये।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वह तो मैंने अर्ज किया कि बिजली का वोल्टेज कम था इसलिए 2 पम्प चल पाये, दो पम्प नहीं चल पाय।

श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब बिजली 18 घंटे के करीब या ज्यादा से ज्यादा मिलने की बात रही तो लो वोल्टेज का क्या कारण है और क्या इसी के कारण ही पानी जितना मिलना चाहिये था नहीं मिल पाया। तो वहां पर लो वोल्टेज का कारण क्या था।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

लो वोल्टज के कारण ऐसा है। बिजली कम पदा हो रही है। वही हो सकता है।

श्री त्रिवणी सहाय—

जैसा कि अभी माननीय सदस्य न कहा कि इसमें लापरवाही की गयी है क्योंकि इसे जान-बूझकर खोला नहीं गया है। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को जांच कराने का कष्ट करेंगे कि वे कौन-कौन लोग थे जिन्होंने जान-बूझकर ऐसा किया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसमें इस प्रकार की लापरवाही की कोई बात नजर नहीं आयी लेकिन फिर भी जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, जांच करा लूंगा।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इस सरकार का वोल्टेज गिरता चला जायगा ?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

जब वोल्टेज कम होता है तो मशीनरी फेल हो जाती है, यहां पर भी अगर ऐसा होगा तो पंखे वगैरह नहीं चलेंगे। तो जब वोल्टेज कम था तो 2 पम्प किस प्रकार चलत रहे। चारों क्यों नहीं चल पाय ? क्या वे 2 पम्प जो चल नहीं पाये खराब थे ?

श्री अध्यक्ष---

अगर चारों नहीं चल सकें तो दो तो चलाये गये ।

श्री प्रभु नारायण---

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि लो वोल्टेज बिजली की कमी के कारण था । बिजली की कमी के कारण नहीं बल्कि लो वोल्टेज की जो स्थिति है वह इस कारण है चूंकि लिफ्ट कैनाल्स तक बिजली पहुंचने के पूर्व इन लाइनों से बहुत से कनेक्शन्स स्टेट ट्यूबवेल्स, प्राइवेट ट्यूबवल्स के होते हैं, तो सारे प्रदेश में जो लिफ्ट कनाल्स हैं, वे लो वोल्टेज के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं । तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन पम्प कैनाल्स को ठीक से चलाने के लिये ठीक से बिजली मिल सके, उनके लिए अलग से बिजली का प्रबन्ध हो सके ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

यू0 पी0 भर में एक समस्या है । उस सिलसिले में हम सोच रहे हैं कि वे कौन से तरीके हो सकते हैं, जिनसे हमारी पम्प नहरें पूरे वक्त चल पायें क्योंकि अगर 2 घंटे भी नहीं चलती हैं तो पूरा पानी नहीं मिल पाता है । तमाम प्रदेश की जितनी हमारी पम्प नहरें हैं, वे पूरे चल सकें, ऐसा प्रयास कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

कनहर डैम, जिला मिर्जापुर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं उसका कार्यालय

*1---श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी तहसील (मिर्जापुर) के अन्तर्गत कनहर डैम निर्माण कराने के लिये सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का कार्य समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो बन्धा बनाने के लिये कितने क्षेत्रफल भूमि अधिगृहीत किये जाने की योजना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी नहीं । प्रायोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का कार्य समाप्त हो गया है । विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का कार्य प्रगति पर है ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार बांध बनाने के लिये लगभग 5,450 एकड़ भूमि के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है ।

*2---श्री शिव सम्पत्ति राम---

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि कनहर डैम निर्माण योजनाओं के लिये कार्यालय कार्य-स्थल पर न रखकर कहीं अन्यत्र रखने का विचार है ? यदि हां, तो कहां तथा क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

कनहर डैम निर्माण योजना से सम्बन्धित प्रमुख संगठनों के मुख्यालय के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है । प्रायोजना निर्माण-कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह निर्णय लिया जायगा ।

श्री शिव सम्पत्ति राम—

क्या यह भूमि अकेले उत्तर प्रदेश की है या बिहार और मध्य प्रदेश की भी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री प्रभुनारायण—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कनहर डैम का मुख्यालय किस स्थान पर बने इसका कुछ प्रस्ताव या सोच-विचार किन-किन स्थानों के लिये आया है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

अभी हैडक्वार्टर उसका दुद्धी में ही पड़ता है । बात यह है कि अभी मकानात नहीं बन पाये हैं इसलिए अभी दुद्धी में पूरा स्टाफ मुन्तकिल नहीं किया जा सका ।

श्री प्रभुनारायण—

मैंने यह बात पूछी कि मुख्यालय बनाने के लिये यह कहा था कि निश्चय नहीं लिया गया है तो किन-किन स्थानों पर मुख्यालय बनाने के लिये प्रस्ताव आया है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने अर्ज किया कि उसके बारे में दुद्धी में जो उसके करीब से करीब है, वहां प्रस्ताव है कि बनाया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

मन्त्री जी ने कहा कि 5 हजार एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है तो क्या यह कृषि वाली भूल है ? अगर कृषि वाली ली है तो यहां से जो लोग विस्थापित होंगे उनके पुनर्वास की भी कोई योजना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी है । उसके ऊपर भी प्रबन्ध किया जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसी प्रश्न से सम्बन्धित नीति का प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह बंधा वर्षा ऋतु आ गयी और ऐसे बंधे बने नहीं हैं । बताया जाता है कि जमीन अभी मिली नहीं और अभिग्रहण का कार्य बहुत अधिक समय लेता है । तो क्या सरकार के पास कोई ऐसे भी मामले विचाराधीन हैं, तो कोई ऐसी योजना है कि जब बंधा बनाने के लिये जमीन की आवश्यकता हो तो शीघ्रातिशीघ्र इर्रीगेशन डिपार्टमेंट उसे प्राप्त कर सके । क्योंकि ऐसा देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतना कोआपरेट नहीं करते कि आवश्यकतानुसार तुरन्त जमीन उपलब्ध करा द, म जाती तजुब के आधार पर कह रहा हूं ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं । अगर जरूरत हो तो कोई कानून भी बनाया जा सकता है । उसकी पूरी कोशिश हो रही है ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय सिचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 5 हजार एकड़ जमीन ले रहे हैं उसम कितन गांव आ जायेंग जो उजड़ जायेंगे और उनको बसाने की क्या व्यवस्था

है और क्या जैसा कि टेहरी डम में किया गया है कि पहले ही एरिया में आने वाले लोगों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था कर दी गयी है, वही यहां भी करेंगे कि बनने से पहले उनको अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जाय तब बांध बनाने की शुरूआत की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यही प्रश्न नेगी जी ने किया था ।

श्री भीखा लाल—

मैंने दूसरा किया था कि बांध बनने से पहले बसाने की व्यवस्था कर दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में शिकायत

*3—श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी परियोजना प्रारम्भ से अब तक भर्ती किये गये और क्या इस भर्ती के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही एसी शिकायत शासन को मिली हैं कि यह भर्ती इम्प्लायमेंट के माध्यम से न करके सीधी की गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

उक्त परियोजना के अन्तर्गत 378 तृतीय और 677 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रारम्भ से अब तक भर्ती किय गये । भर्ती के सम्बन्ध में इस प्रकार की केवल एक शिकायत शासन को मिली है जिसकी जांच हो रही है ।

श्री रामसेवक यादव—

पहले तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यह जो प्रश्न का उत्तर आता है, ये तीन जवाब हर सवाल में मिलते हैं—"जी हां", "नहीं", "जांच जारी है", "विचाराधीन है", तो उससे जो प्रश्न करन का अर्थ होता है उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलता । इस प्रश्न के संबंध म तो कम से कम मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उनके डिपार्टमेन्ट ने जो गलती की, उसको उन्होंने सुधार दिया । तो मन्त्री का काम है कि विभाग की गलतियों को छुपायेगा नहीं, पकड़ेगा और मन्त्री लोग इस सदन में जो सच है उसका उद्घाटन करेंगे । तो मैं चाहूंगा कि आपके जरिये कि "जी हां", "नहीं, "जांच जारी है", "नोटिस की आवश्यकता है", इसको बन्द करा दें तो इसका कुछ मतलब होगा ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यादव जी, मैं तो आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि मैंने खुद इस चीज को देखा तो खुद सुधार कर दिया ।

श्री रामसेवक यादव—

यह आप पर ही लागू नहीं होता है । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उन्हें एक शिकायत मिली है । तो मैं जानना चाहूंगा कि शिकायत किस की तरफ से है, कहां की है और उस पत्र में क्या-क्या शिकायतें हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह दलबहादुर सिंह, जनसेवक, राय बरेली का एक शिकायती खत था लेकिन जब उसकी इन्क्वायरी की गयी तो उन्होंने खुद इन्कार किया कि यह खत मेरी तरफ से है ।

श्री राम सेवक यादव--

इन्होंने उत्तर में जो संशोधन किया है और कहा है कि जांच जारी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि यह जांच कब से जारी है और किस अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है और शारदा सहायक परियोजना के सभी खंडों की जांच हो रही है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैंने तो यह अर्ज किया कि जांच इस प्रश्न के बाद अब शुरू की है, कोई छिपाने की बात नहीं है। मैंने जब देखा और यह पाया कि इसमें कुछ गलती की गयी तो आदेश दिये कि इसकी फौरन जांच की जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि शासन की ऐसी नीति है कि इस प्रकार की जो परियोजनायें चल रही हैं वहां 500 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती स्थानीय लोगों में से की जाय? यदि है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों की भरती की गयी है उनमें से कितने लोग स्थानीय हैं?

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जी हां। उन्हीं में से कितने स्थानीय लोग हैं?

श्री अध्यक्ष--

यह ब्योरे का सवाल है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इस सवाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें एप्वाइंटमेन्ट में बहुत गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है और हमें तो लगता है कि इसमें दो-दो, चार-चार सौ रुपये लोगों से लिये गये हैं तब भरती की गयी है । अगर उस शिकायत में यह लिखा हुआ है तो वह क्या है और किस अधिकारी के खिलाफ है और क्या उसके खिलाफ तत्काल कोई ऐक्शन लेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जो शिकायत आयी थी वह श्री किशोर चन्द्र एग्जीक्युटिव इंजीनियर के खिलाफ थी ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

शिकायत पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

शिकायत वही थी कि इन लोगों को एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के माध्यम से नहीं रखा गया बल्कि सीधे भरती कर ली गयी थी ।

बहराइच के बघेल ताल से निकाले गये नाले का टूट जाना

*4--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को पता है कि बहराइच जनपद में प्रयागपुर स्थित बघेल ताल से निकाला गया नाला खरगापुर ग्राम के पास टूट गया है जिससे हजारों एकड़ भूमि वर्षा काल में जलमग्न हो जाती है? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा देने का कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्नगत नाला कहीं नहीं टूटा है। अतः इसके कारण भूमि के जलमग्न होने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि मुझे मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो आ जाने दीजिये।

(मन्त्री द्वारा उत्तर पढ़ने के बाद।)

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, मैं स्वयं देख कर आया हूं, नाला कई वर्षों से टूटा है और कई सौ एकड़ जमीन हुजूरपुर, धनपारा आदि गांवों की बह जाती है। मन्त्री जी गलतबयानी कर रहे हैं कि नाला नहीं टूटा है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

असल बात यह है कि माननीय सदस्य वहां गये थे और देख आये हैं.....

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप लिखकर दें। वह कह रहे हैं कि उनकी जानकारी है।

श्री बाबूलाल वर्मा--

इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र भी गत माह मन्त्री जी को लिखा था और उसका भी कोई उत्तर मन्त्री जी ने नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको मेरा पत्र मिला था?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

एक नदी वहां से दूसरी निकलती है जिसमें पानी भर जाता है और वह इधर उधर फैल जाता है। माननीय सदस्य जो टूटने की बात कह रहे हैं, अगर वे लिख कर देंगे तो जांच करवा लूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

नाला तो कभी टूटता ही नहीं, बंधा टूटता है (हंसी)

श्री बाबू लाल वर्मा--

वहां पर एक बघेल ताल है जिसका पानी टेहरी नदी में गिरता है। उससे जमीन टूटती है। वहां पर जो पुल बना है वह भी टूट गया है और दो तीन आदमी मर गये।

श्री अध्यक्ष--

आप यह सब लिखकर माननीय मन्त्री जी को भेज दें।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई माननीय सदस्य यहां कोई सूचना देता है तो वह अपने व्यक्तिगत आधार पर देता है, उसकी उसे व्यक्तिगत जानकारी होती है और माननीय मन्त्री जी के पास जो सूचना आती है वह विभाग से आती है। एक सदस्य एक सवा लाख जनता द्वारा चुन कर आता है। तो सत्यता कहां है मन्त्री जी के वक्तव्य में या माननीय सदस्य के कथन में जिनको कि स्वयं उसकी जानकारी होती है ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री ऊदल--

जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है क्या मन्त्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैं अर्ज कर दूं कि वहां पर एक बघेल ताल है, उसका पानी निकालने के लिये वहां पर एक 2 मील साढ़े 3 फर्लांग का कट बना हुआ है । उसके दोनों तरफ मिट्टी डाली गयी है । बरसात में यह मिट्टी बह जाती है । लेकिन कोई नाला नहीं टूटा है ।

श्री बाबूलाल वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने गलत सूचना दी है, मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दें ।

सेंगर नदी, इटावा पर अधूरे पुल का निर्माण

*5— श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला इटावा में बकेवर भर्थना के मध्य सेंगर नदी के पुल पिछले चार वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, इस महत्वपूर्ण पुल को क्या सरकार शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

जी हां, इस पुल को शीघ्र बनवाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

श्रीमन्, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल का निर्माण इतने लम्बे अरसे तक क्यों बन्द रहा है ? दूसरे अभी तक कितनी धनराशि इस पुल के निर्माण म व्यय हो चुकी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, अभी तक 7 लाख 75 हजार रुपया केवल व्यय हुआ है । देर का कारण यह है कि पहले जिस ठेकेदार ने ठेका लिया, उसने बीच में ही काम को छोड़ दिया । इसके बाद ठेका दूसरे ठेकेदार को दिया गया । उसने कुछ काम किया और बाद में काम को छोड़ दिया । अब इस काम को सेतु निगम को दिया गया है, वह इस काम को करेगा । यही कारण है कि देर हुयी । दूसरे जो कुएं गलाये गये हैं उसमें से 2 की मिट्टी कुछ खराब है । इसका टेस्ट हो रहा है । टेस्ट खत्म होने के बाद इसको बनाने की कोशिश की जायेगी ।

श्री प्रभुनारायण--

श्रीमन्, मंत्री/जी के उत्तर से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है । क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करगे कि जो वह 2 ठेकदार थे उनकी कितनी सिक्योरिटी जमा थी, और उन की सिक्योरिटी को जब्त किया गया, या नहीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

ठेकेदारों की सिक्योरिटी की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गोरे लाल शाक्य—

अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री जी से पुछना चाहता हूं कि जो यह कुएं बनाये गये हैं क्या उन्हीं पर पुल बनाया जायगा या इसको इधर-उधर हटाया जायगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन्, हमने पहले ही बता दिया है कि बीच के दो कुयें की मिट्टी खराब है। इसका टेस्ट हो रहा है? टेस्ट के बाद कोई व्यवस्था की जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो उन 2 ठेकेदारों ने काम को छोड़ दिया वह इस प्रश्न का महत्वपूर्ण अंग है। मन्त्री जी ने कहा कि मेरे पास उसकी सूचना नहीं है। तो सूचना प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाया जा रहा है और जो इन दो ठेकेदारों ने काम को बीच में छोड़ दिया है, क्या उनके खिलाफ सरकार कोई कदम उठा रही है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमन्, इस समय जो कदम उठाये गये हैं उनकी कोई मेरे पास सूचना नहीं है। जो भी कानूनी कदम होंगे उनको उठाया जायेगा।

(शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, क्या यह सही नहीं है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने रुपया खाकर इस मामल को दबा दिया है कि ठेकेदारों को सजा न मिल पाये? मान्यवर, मन्त्री जी ने अभी कहा है कि एक ठेकेदार न काम शुरू किया और छोड़ दिया। दूसरे ठेकेदार ने काम शुरू किया और उसने भी काम को छोड़ दिया तो इससे सरकार का बड़ा नुकसान हुआ है। मन्त्री जी सिक्योरिटी के बारे में और क्या कार्यवाही हुयी नहीं बता सके। श्रीमन् तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे यह काम था उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, मैंने तो पहले ही बयान किया कि मेरे पास सूचना नहीं है कि क्या कदम उठाये गये। लेकिन जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें कि क्या इनका जवाब संतोषजनक है? जो जवाब इनके विभाग से आया है वह अपूर्ण है। यह स्वाभाविक था कि यह प्रश्न किया जायेगा कि ठेकेदारों ने जो कार्य छोड़ दिया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। इसका माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है। यह टाप का करप्शन है कि मंत्री महोदय को पता नहीं है कि ठेकेदारों के खिलाफ क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न को देख लें कि प्रश्न क्या है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर एक बात सामने आई गई है कि समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं हुआ । काफी रुपया लग गया, मंहगाई बढ़ रही है जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं । सारी जिम्मेदारी ठेकेदारों की है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई । इसका जवाब विभाग के पास है और मंत्री जी के भी पास है । किन्तु यह जानबूझ कर जवाब छिपाया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न को देखें और उसका उत्तर है कि पुल को शीघ्र बनवाने की व्यवस्था की जा रही रही है । पुल न पूर्ण होने का कारण भी उन्होंने बताया है ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मंत्री जी ने कारण यह बताया है कि जिस ठेकेदार को काम दिया गया वह छोड़ कर चला गया । दूसरा ठेकेदार भी काम छोड़ कर चला गया । इसका जवाब विभाग से आया । तो मैं जानना चाहता हूं कि इनके पास जब जवाब आया तो उसी रोज नीचे के अधिकारियों से कोई जवाब तलब किया गया कि ठेकेदारों को कोई सजा दी गई कि नहीं ? अब कह रहे हैं कि तहकीकात करेंगे जिससे कि गवर्नमेंट की एफीशियन्सी मालूम हो सके कि इन्होंने जवाब तलब किया है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जवाब जो आया उसकी सूचना हमने दे दिया । बाकी सूचना को इतनी जल्दी नहीं मंगाया जा सकता था । वैसे मैं मानता हूं कि इसकी सूचना होनी चाहिये थी ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज से 10 दिन पहले मंत्री महोदय को लिखकर दे दिया था कि इन प्रश्नों का उत्तर मंगा लें । इनका प्रोग्राम भी था और यह इटावा गये भी थे । तो इसका उत्तर वहां से मंत्री महोदय क्यों नहीं लाये?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न के बारे में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, तो वही सवाल किया गया है कि उस पर तो और सुविधा होनी चाहिये थी । माननीय मंत्री जी बतालवें ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, यह जो प्रश्न किया गया है उसका जो जवाब आया मैंने निवेदन कर दिया । पत्र का हमें ख्याल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, अगर इस तरह से प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा तो किस प्रकार से शमा चल सकता है । यह तो टोटल फेलियोर है एडमिनिस्ट्रेशन का । मैं और मेरा दल दो मिनट के लिए सदन का त्याग करता है ।

(भारतीय जनसंघ तथा संगठन कांग्रेस के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं । अगले दिल लिया जायेगा ।

गोरखपुर के ड्रेनेज डिवीजन के ठेकेदारों अधिदर्शकों सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध मिट्टी के कार्य का भुगतान न करने की शिकायत

*6—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ड्रेनेज डिवीजन के किन-किन ठेकेदारों, अधिदर्शकों, सहायक अभियंताओं, अधिशासी अभियंता के विरुद्ध जनता एवं प्रश्न-कर्ता की ओर से मिट्टी के कार्य भुगतान एवं अन्य निर्माण कार्यों के संबंध में सन् 1972 से फरवरी, 1974 तक कितनी शिकायतें की गई ? अब तक इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

मान्यवर, आप देखें कि एक महीने से अधिक गुजरने के बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । यह जो क्रम है ठेकेदार से एस० डी० एम० तक यह सब मजामार पार्टी है । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई शिकायत आई है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मुझे इस वक्त याद नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने 21-5-74 को प्रश्न किया और आप 1972 से लेकर 1974 तक की जानकारी चाहते हैं । इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है । आप चाहें जितने सवाल करेंगे व्यर्थ होंगे । यह प्रश्न आपका फिर आयेगा 15 दिन के अन्दर ।

श्री ऊदल—

इसको आप जल्दी रखवा दीजिये ।

जूनियर हाई स्कूल कानपुर के छात्रों एवं छात्राओं को क्षतिपूर्ति अनुदान

*7—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के जूनियर हाई स्कूलों के कक्षा 6 के छात्रों का कक्षा 7 व 8 की छात्राओं का क्षतिपूर्ति अनुदान वित्तीय वर्ष 7973-74 का अब तक प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और इस संबध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

आंशिक प्राप्त हुआ है शेष के प्रपत्र निदेशालय भेजे गये हैं ।

चुनार, मिर्जापुर की नहरों का जनता द्वारा काटा जाना

*8—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनार तहसील (मिर्जापुर) में जनता ने वर्ष 1973-74 में अवैध ढंग से नहरों की सिंचाई के लिये कितने स्थानों पर काट दिया था ? इस तरह काटी गई नहरों की मरम्मत पर दिनांक 1 मई, 1974 तक कितना खर्च हुआ और कितने लोगों के विरुद्ध नहर काटने के आरोपों में कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

चुनार तहसील (मिर्जापुर) में जनता ने वर्ष 1973–74 में 36 स्थानों पर नहरों को अवैध रूप से काट दिया था ।

काटी गई नहरों की मरम्मत कराने पर 1 मई, 1974 तक 297 रु० का खर्च हुआ ।

नहरों को काटने के आरोप में 128 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

खिरकिया–बासीघाट रोड (देवरिया) सड़क को पक्का करने की मांग

*9—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना तहसील (देवरिया जनपद) के विशुनपुरा ब्लाक में खिरकिया से बासीघाट तक (घोरहरा, गन्धौरिया, जानकी नगर सोहवरना सिंगा पट्टी होते हुए बासीघाट तक) टेस्ट वर्क में बनी हुई सड़क को पक्का नहीं बनवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस महत्वपूर्ण मार्ग को पीच रोड बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

पूर्वी यमुना नहर द्वारा पानी देने का सामर्थ्य बढ़ाने की योजना

*10—श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वी यमुना नहर से इस समय उत्तर प्रदेश को कितना पानी मिल रहा है और क्या इस नहर की सामर्थ्य को बढ़ाने की कोई योजना बनी थी ? यदि हां तो उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

पूर्वी यमुना नहर को इस वर्ष खरीफ 1382 में प्रतिदिन औसतन निम्नलिखित पानी मिला है—

अप्रैल, 1974	..	1229 क्यूसेक्स ।
मई, 1974	..	1282 क्यूसेक्स ।
जून, 1974 (14 जून तक)	..	1341 क्यूसेक्स ।

जी हां, एक योजना बनी थी, जिसके अनुसार ताजे वाला के पास एक नये बैराज का निर्माण कराया जायगा बैराज का निर्माण हरियाणा सरकार को करना है, परन्तु अब तक बैराज के निर्माण स्थल का चयन नहीं हो सका है।

श्री सत्यपाल मलिक—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी यमुना नहर से 52/53 में जितना पानी मिलता था आज उससे कम पानी मिलता है या ज्यादा पानी मिलता है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

बहुत अरसे से जितना यू० पी० का शेयर है वह नहीं मिल पा रहा है और कम होता जा रहा है ।

श्री सत्यपाल मलिक—

अध्यक्ष महोदय, यह असलियत है कि पानी कम होता जा रहा है । जब यह नहर बनी थी तो पंजाब को दो हिस्सा और हमें एक हिस्सा पानी मिलता था । लेकिन प्रेक्टीकली अब वह साढ़े तीन हिस्सा ले रहे हैं और हमें एक हिस्सा मिल रहा है । जब कभी विवाद खड़ा होगा तो यही चीज लीगलाइज हो जायगी । दूसरे मेरे प्रश्न का जो जवाब मंत्री जी ने दिया तो वह शायद मुझे नहीं। 52 53 में एक योजना इस नहर के किनारों को ऊंचा करके उसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिये बनी थी । शुरु में 31 लाख की थी और बाद में 80 लाख उस पर खर्च हुआ । कुछ दिनों के लिये उसकी समर्थ्य बढ़ी थी । लेकिन अब मेरी जानकारी है कि अब वह फिर कम है ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह बात सही नहीं है । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नहर में पानी ज्यादा नहीं आ सकता तो जहां पर इस वक्त बैराज बना हुआ है चौधरी साहब ने भी देखा होगा उसका रुख गलत है और उसकी बिना पर हमारे सूबे को पानी नहीं मिल पा रहा। अब हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाय । हम हरियाणा गवर्नमेंट को बार-बार लिख रहे हैं कि बैराज बनाव क्योंकि यह उन्हें ही बनाना है और वही रख-रखाव भी करते हैं । हम एक ही चीज कर सकते हैं और वह करते हैं कि उसके सामने से बोल्डर्स और पत्थर निकाल दें ताकि पानी आ सके । बहुत अरसा हुआ जब एक मुहादा हुआ था । हम सोच रहे हैं कि नोटिस देकर उसको खत्म कर दें । उसके लिये कानूनी मशिवरा करा रहे हैं । हरियाणा गवर्नमेंट ने कभी इस मुहादे को पूरा करने की कोशिश नहीं की । और भी तजवीजें हम सोच रहे हैं जिन्हें यहां अर्ज करने में मजबूर हूं ।

श्री सत्यपाल मलिक—

यह खुशी की बात है कि मंत्री जी इस तरफ सीरियस हैं कि पानी ज्यादा मिले। सन 52-53 में किनारा ऊंचा करने की जिससे पानी ज्यादा आन की सामर्थ्य बढ़ सके एक योजना बनी थी । उस योजना पर जो रुपया खर्च हुआ उसका क्या फायदा हुआ ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने अर्ज किया कि नहर की पोजीशन यह है कि जितना हमारा पानी का हिस्सा है वह आ सकता है । मुजफ्फरनगर में जो पुल वगैरह हैं, अगर पूरा पानी लें तो शायद न आ पाये इसलिये यह आदेश दे दिये हैं कि उन पुलों को चौड़ा किया जाय । जहां तक हमारे पानी के हिस्से का ताल्लुक है तो पूरा पानी ले सकते हैं ।

श्री सत्यपाल मलिक—

एक विभागीय रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि नहर की सामर्थ्य कम है क्योंकि बड़े पुल चाहिये । अकेला पुलों को बड़ा करने के लिये 15 लाख रुपया खर्च किया । क्या उस रुपये के खर्च करने के बाद कुछ स्थिति सुधरी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने अर्ज किया सहारनपुर जिले में जरूर पुल चौड़ा हुआ है और उसे ठीक किया गया है । लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में अभी तक न हो पाया है । उसको भी जल्द से जल्द कर दिया जायेगा। लेकिन जितने पानी का हिस्सा यू० पी० का है, वह पूरी तरह से आ सकता है और जहां तक मेरी जानकारी है उसमें कोई दूसरी नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मा0 सिचाई मंत्री जी को जानकारी है कि सन् 56 ईसवी में उत्तर प्रदेश सरकार और तत्कालीन पंजाब सरकार में एक एग्रीमट हुआ था जिसके अन्तर्गत एक तिहाई पानी का क्रमशः भाग उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के लिये तय हुआ था। लेकिन पिछले कई वर्षों से जितनी मात्रा में हमारी नहर में पानी आ सकता है उतना पानी न आकर एग्रीमट का आधा पानी आ रहा है। तो उस एग्रीमेंट को खत्म करने में क्या दिक्कत है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैंने मलिक साहब के सवाल के जवाब में अर्ज किया कि उसके सिलसिले में पूरी तरह से गौर कर रहे हैं और यकीनन हम उस खत्म कर देना चाहत ह इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन बात यह जरूर है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा। लकिन जहां तक पानी का सवाल है, पानी पूरा लना चाहते हैं।

चौधरी चरण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में हमारे लीगल रिमेम्बरेंसर की क्या राय है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

अभी उनकी राय ली जा रही है। जो भी कार्यवाही हो सकती है, उसे जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

राय तो लीगल रिमेम्बरेंसर से एकदिन में मिल सकती है। उसके बाद एडवोकेट जनरल से पूछना होगा। इस तरह स कैसे काम चलेगा। लीगल रिमेम्बरेंसर स राय लन का काम तो दो दिन का है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उनसे राय ली गयी है। उसके लिये फिर लिखेंगे। जितनी जल्दी कार्यवाही हो सकती है, उसम एक मिनट के लिय भी दर नहीं होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने मंत्री महोदय से एग्रीमेंट के बारे में पूछा था। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि राय ल रहे हैं। पिछले एक वर्ष से यही कह रह हैं। तो वह क्या इस महीने के अन्त तक लीगल रिमेम्बरसर की राय लेकर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर, जल्द से जल्द राय लेकर आगे की कार्यवाही करेंग।

पुरानी राप्ती (बस्ती) पर बने बांध का सुदृढ़ीकरण

*11--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)

क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में पुरानी राप्ती पर जो बांध बनाया जा रहा है, उसके पानी को निकालने के लिये बनाई गई नहर के सकरी होने से जल भराव की समस्या को निवारण करने के लिए निकासी की नहर को चौड़ा करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इस समय पुरानी राप्ती नदी के किनारे कोई बांध नहीं बनाया जा रहा है बल्कि 1955–56 में बने एक बांध का सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है ।

श्री रामेश्वर यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में पुरानी राप्ती पर जो बांध बनाया जा रहा है, उसके पानी को निकालने के लिये बनाई गई नहर के सकरी होने से जल भराव की समस्या के निवारण करने के लिए, क्योंकि नहर छोटी है, निकासी की नहर को चौड़ा कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं मालूम पड़ता है, स्थगित किया जाता है ।

इन्दिरा देवी बालिका विद्यालय, तिर्वागंज (फर्रुखाबाद) के प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*12—चौधरी चरण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे इन्दिरा देवी बालिका विद्यालय, तिर्वागंज (फर्रुखाबाद) के प्रबन्धक द्वारा भ्रष्टाचार एवं अन्य वित्तीय अनियमितता किये जाने के संबंध में कोई शिकायती-पत्र, हाल ही में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं ।

चौधरी चरण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस विद्यालय के हिसाब का आडिट हो चुका है। आडीटर ने बहुत सी गड़बड़ियां पायी हैं। आडीटर की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आई है, जिला निरीक्षक और मैनेजर के पास भी गयी है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

चौधरी चरण सिंह—

मेरा सवाल यह है कि क्या इसका आडिट हुआ है और इस मैनेजर के खिलाफ वह आडिट की रिपोर्ट जिला इंस्पेक्टर, मैनेजर और गवर्नमेंट के पास आई है या नहीं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो देखूंगा ।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह किस अफसर के आधार पर दिया है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यह जवाब मांगा गया है।

नोट:—नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 12 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता व वेतन

*13--श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धांत पर गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता व वेतन वितरण करने में क्या कठिनाई है । क्या शिक्षा मंत्री इस विषमता को दूर करने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री रामजी लाल सहायक--

प्रश्न विचाराधीन है ।

जी हां, मामला विचाराधीन है ।

तारांकित प्रश्न

*1--चौधरी रामपाल सिंह यादव तथा श्री हरिकेवल--

[6वें गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*2--श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

परौख नाला, डेरापुर (कानपुर) का निर्माण

*3--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम परौख नाला के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब और उक्त नाले की लम्बाई क्या है, किन-किन गांवों से निकलेगा और इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां । स्वीकृति 21-7-72 को दी गई । इस नाले की लम्बाई 1 मील 6 फरलांग 132 फीट है । यह नाला ग्राम परोख भूपतियापुर तथा गुरियापुर से निकलेगा । इस नाले की अनुमानित लागत 65,307 रु० है तथा वर्ष 1974-75 में व्यय हेतु 10,000 रु० की प्रदिष्टि की गई है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव द्वारा बी० डी० टी० इन्टर कालेज, मियांगंज में शिक्षकों की नियुक्तियों का अनुमोदन तथा वेतन का भुगतान

*4--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने मुंसिफ उत्तरी उन्नाव द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा दिनांक 23-4-73 तथा जिला उन्नाव द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा दिनांक 24-4-73 का उल्लंघन करते हुए जनपद के बी० डी० टी० इंटर कालेज, मियांगंज में शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया है ? यदि हां तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां ।

उन्नाव जनपद के बी०डी०टी० इंटर कालेज, मियागंज में वर्तमान सत्र के अन्तर्गत कुछ अध्यापकों/कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई थीं और उक्त विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उनका अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया था ।

माननीय मुंसिफ उत्तरी उन्नाव एवं जिला जज, उन्नाव द्वारा जारी की गयी निषेधाज्ञा क्रमशः दिनांक 23-4-73 एवं दिनांक 24-4-73 से संबंधित मुकदमों में विभाग पार्टी नहीं है । निषेधाज्ञाओं पर प्रबन्धक की आख्या एवं शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लेख किया था कि किसी न्यायालय द्वारा अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगी है, के आधार पर नियुक्तियों का अनुमोदन प्रदान किया गया था। अतः आज्ञा उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता ।

*5—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने ऐसे शिक्षकों का जुलाई 1973 का वेतन भुगतान किया है, जो न तो विद्यालय में कार्यरत थे और न तो विद्यालय से छुट्टी पर ही थे ? यदि हां, तो ऐसा किये जाने का क्या कारण है ।

श्री रामजी लाल सहायक—

विद्यालय के प्रबन्धक के प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी भी ऐसे शिक्षक को जुलाई, 1973 का वेतन भुगतान नहीं किया गया, जो विद्यालय में कार्यरत न रहा और न ही विद्यालय से छुट्टी पर थे ।

किसान इण्टरमीडिएट कालेज, सीतापुर में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

*6—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सरैयां स्थित किसान इंटर-मीडिएट कालेज के प्रबन्धक बोर्ड को सुपरसीड करके सरकारी ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कब की गई है। यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सरकार अब इस कालेज को प्रबन्ध-कारिणी समिति का चुनाव करके चुने हुए प्रतिनिधियों का उसका इंतजाम सुपुर्द करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

किसान इंटर कालेज, सरैयां, सीतापुर के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में प्रबन्धक द्वारा अधिनियम की धाराओं का नियमानुसार पालन न करने तथा वेतन वितरण में अवरोध उत्पन्न करने के कारण उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 6 के अन्तर्गत प्रबन्धाधिकरण को अतिक्रमण करते हुए मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ के आदेश दिनांक 16-12-72 द्वारा विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया । जांच करने में और भी अनियमि-तायें पाई गईं जो प्रबन्धाधिकरण द्वारा की गई थीं । अतः विद्यालय की प्रबन्धाधिकरण का चुनाव करके उसे इन्तजाम सुपुर्द करने पर विभाग उस समय तक विचार न कर सकेगा जब तक प्रबन्धाधिकरण की गम्भीर अनियमितताओं का निराकरण नहीं हो जाता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् को पुनः जिला परिषदों को देने की योजना

*7—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करगे कि बेसिक शिक्षा विभाग को जिसे जिला परिषदों से अलग किया गया है अब पुनः जिला परिषदों को देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामजी लाल सहायक—

यह प्रकरण विचाराधीन है ।

राजकीय व मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में असमानता

*8—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन चलने वा बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन क्रम तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (गै सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त) से सम्बद्ध बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम में असमानता है ? यदि हां, तो इसको दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

शासन ने असमानता को दूर करने का निर्णय ले लिया है और शिक्षा सत्र 1974–75 में इस असमानता को दूर कर देने का विचार है। इस संबंध में व्यवहारिक पहलुओं पर तत्परतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

परगना कोल असला, पंदहा, अठगोयां जिला वाराणसी के नालों की खुदाई और पुलों के निर्माण की मांग

*9—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का एक पत्र 10–4–74 का लिखा हुआ परगना कोलअसला, पंद्रहा, अठगौवा तहसील व जिला वाराणसी के नालों की खोदाई एवं उस पर पुल के निर्माण के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के विद्यालय निरीक्षकों की सर्वे अधिकारी के पदों पर पदोन्नति

*10—श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन (जिला सहारनपुर) तथा श्री धर्म वीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त उपविद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति करके उन्हें सर्वे अफसर बनाया गया है यदि हां, तो इनकी पदोन्नति के लिये क्या विधि अपनाई गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां । जिला सर्वेक्षण अधिकारी के पद विशेष कार्य हेतु निश्चित अल्पकालीन अवधि के लिये सृजित किये गये हैं । प्रशासनिक दृष्टि से जनहित म यह आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक जिले के उपविद्यालय निरीक्षक को ही उन पदों पर तदर्थ रूप से स्थानीय पदोन्नति दे दी जाय । चूंकि यह जनसम्पर्क का कार्य था इस पद के लिये उप विद्यालय निरीक्षक ही अधिक उपयुक्त समझे गये ।

गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों, अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों के लिये सामूहिक जीवन बीमा योजना

*11—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर सामूहिक जीवन बीमा योजना कब से लागू की गई है । क्या शिक्षा मंत्री इस योजना की रूपरेखा को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

यह योजना मार्च, 1974 से लागू की गई है । योजना की विस्तृत रूपरेखा अभी निर्मित नहीं हुई है । तथापि इस संबंध में निर्गत राजाज्ञा की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 759-762 पर)

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा लिपिकों की भविष्य निधि में बढ़ोत्तरी पर विचार

*12—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों लिपिकों को सरकार के द्वारा दिये जाने वाले भविष्य निधि के अंश को 6 1/4 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है यदि हां, तो कब से ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इस प्रश्न पर शासन अभी विचार कर रहा है।

गैर-सरकारी मान्यता व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रणाली में परिवर्तन

*13—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री गैर-सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यता एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के नये वेतनमान निर्धारित करने के मामले में विस्तृत सूचनायें एकत्र की जा रही है। अतः इन शिक्ष कों कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रणाली के परिवर्तन के बारे में अभी कोई विचार नहीं हो रहा है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षको एवं कर्मचारियों की केन्द्रीयत भर्ती के विषय पर अभी शासन विचार कर रहा है। अतः भर्ती की प्रस्तावित नई प्रणाली के सम्बन्ध में सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के पी० एस० डी० कमान्डरों की सह-जिला विद्यालय निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति

*14---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पी०एस०डी० के कमान्डरों की सीधे शिक्षा विभाग के विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालय में संयुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण है ? तथा कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां। पी०एस०डी० के 15 कमाडेन्ट्स को सह-जिला विद्यालय निरीक्षक के पदों पर नियुक्त कर दिया गया है।

इसका कारण यह है कि पी०एस०डी० के विघटन के फलस्वरूप फालतू निकलने वाले कर्मचारियों को बेरोजगार न होना पड़े। अधीनस्थ शैक्षिक सेवा (राजपत्रित) तथा उसके नीचे के संवर्गों में प्रत्येक स्तर पर 15-15 व्यक्ति प्रभावित हुये हैं।

प्रदेश के बेसिक अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के लिये पत्र-व्यवहार प्रशिक्षण योजना

*15---श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिक अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के लिये चालू पत्र-व्यवहार प्रशिक्षण योजना समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16---श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी---

[2रे शुक्रवार के प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत उत्तरित]

महिला राजकीय दीक्षा विद्यालय, बहराइच के भवन निर्माण हेतु तथा कथित सरकारी स्वीकृत

*17---श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में महिला राजकीय दीक्षा विद्यालय का भवन बनाने हेतु सरकार द्वारा सन् 1973 में स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो अब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है तथा निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में नियुक्त आशुलिपिकों में अनुसूचित जाति के अभ्यार्थी

*18--श्री सीताराम यादव (जिला फैजाबाद),श्री गिरजा शंकर पाठक तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में सन् 1973 ई0 में कितने आशुलिपिक नियुक्त किये गये हैं उनमें अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी नियुक्त किये गये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

16 आशुलिपिक नियुक्त किये गये जिनमें से कोई अनुसूचित जाति का नहीं है।

ग्राम ईश्वरीगंज मजरा (कानपुर) के लिये नाले की मांग

*19--श्री आशाराम यादव--

क्या सिचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम ईश्वरीगंज मजरा, ग्राम बिनौरा,परगना कानपुर हर वर्ष वर्षा ऋतु में बरसाती पानी भरने से जलमग्न हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार बरसाती पानी के निकालने के लिये रिन्द नदी तक नाला खुदवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय इण्टर कालेज, उरई के सवर्ण व हरिजन छात्रों के लिये अलग-अलग भोजनालय

*20--डाक्टर मलखान सिह (जिला जालौन)---

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, उरई में एक ही छात्रावास में दो भोजनालय हरिजन तथा संवर्ण छात्रों के लिये अलग-अलग बने हैं ? यदि हां, तो इस छुआ-छूत भेदभाव को मिटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं ।

दो अलग-अलग भोजनालय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*21--श्री मलखान सिह--

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

*22--श्री राम जी सिह--

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

बी० टी० सी० में भर्ती हेतु निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश का आदेश

*23--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, बेसिक शिक्षा ने दिनांक 26 अप्रैल, 1974 की बी0टी0सी0 में भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में इस आशय के आदेश जिसकी संख्या सा0 (3)/1340-876/15-16 (5)/74-75 है, प्रसारित किये हैं कि पहले एम0

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी के किये जायं इसके उपरान्त बी० ए० के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के किये जायें उसके बाद इन्टर के तथा हाई स्कूल के अभ्यर्थी उसी प्रकार किये जायं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की एक प्रति सदन के और पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां ।

†संलग्न है ।

अतारांकित प्रश्न

बहराइच के ब्लाकों में प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की संख्या

1--श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में विकास खंड सिरसिया हरिहरपुर रानी, जमुनहां नबावगंज तथा मिहीपुरवा के क्रमशः कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक है तथा उनकी संख्या या और जिले के शेष अन्य ब्लाकों के प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में क्या अनुपात है ? इस असमानता को मिटाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

1--सिरसिया	..	..	200
2--हरिहरपुररानी	..	..	114
3--जमुनहां	..	..	142
4--नबावगंज	..	..	178
5--मिहीपुरवा	..	..	116
सिरसिया	..	..	1:1
हरिहरपुररानी	..	..	1:6
जमुनहां	..	..	1:7
नबावगंज	..	..	1:9
मिहीपुरवा	..	..	1:6

प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके इस कमी को पूरा किया जायगा ।

2--श्री मोहन लाल कपूर--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जालौन में जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन

3--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जालौन जिले में जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या है ? तथा यह समिति कब गठित की गई तथा अब तक उसकी कितनी बैठकें हुई ?

†छापा नहीं गया ।

श्री रामजी लाल सहायक--

अभी किसी भी जिले में जिला बेसिक शिक्षा समिति के गठन का कार्य उपयुक्त रूप में सम्पन्न नहीं हुआ है ।

मझोली सागर बांध, बस्ती की मरम्मत

4--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बस्ती जिले के मझौली सागर बांध की जो वर्षा में टूट गया था जिससे सिचाई की भारी क्षति हो रही है, तत्काल मरम्मत कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्नगत बांध की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है ।

हाई स्कूलों, इण्टर कालेजों तथा सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को बी० टी० सी0 म प्रवेश हेतु वरीयता

5--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0टी0सी0 के लिये मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों, इन्टर कालेजों तथा संलग्न प्राइमरी विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को प्रवेश के लिये अन्य अध्यापकों की तरह अवसर क्यों नहीं प्रदान किया जाता ? क्या उन्हें भी अध्यापक उम्मीदवार समझ कर उनके लिये स्थान सुरक्षित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

पिछले वर्ष तक स्थानीय निकायों के अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को बी0टी0सी0 में प्रशिक्षण में वरीयता दी जाती रही यह वरीयता अब समाप्त कर दी गई है। प्रश्न नहीं उठता ।

6--श्री गंगा प्रसाद वर्मा--

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

7--श्री राम रेखा यादव--

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

शारदा नहर डिवीजन, शाहजहांपुर के मोटर ड्राइवरों का स्थायीकरण

8--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सिचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर डिवीजन, शाहजहांपुर में कितने मोटर ड्राइवर हैं ? यह कब से मुलाजिम हैं और अब तक इनको मुस्तकिल न करने की क्या वजह है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर में केवल दो मोटर ड्राइवर हैं जिनमें से एक दिनांक 1-4-57 से तथा दूसरा दिनांक 22-7-65 से इस खंड में कार्यरत है।

इस खंड में पहले ड्राइवर का कोई स्थाई पद न होने के कारण इन्हें अभी तक स्थाई नहीं किया जा सका है ।

वाराणसी में सिंचाई एडवाइजरी समिति की अनुमति के बगैर ट्यूब वेल का लगाया जाना

9—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सन् 1971-72, 72-73 तथा 1973-74 में कितने ऐसे ट्यूबवेल लगाये गये जिनका चयन सिंचाई, एडवाइजरी समिति वाराणसी द्वारा नहीं किया गया है और इसका क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

क्षेत्रीय विधायक एवं जनता की मांग पर वाराणसी जिले में वर्ष 1972-73 में 13 तथा 1973-74 में 3 राजकीय नलकूप बिना सिंचाई एडवाइजरी समिति के परामर्श के लगाये गये। वर्ष 1971-72 में ऐसे कोई नलकूप नहीं लगाये गये।

नाद नदी के उत्तरी क्षेत्र तथा परगना कोल-असला व पन्द्रह वाराणसी में ट्यूबवल लगाने हेतु विज्ञापन

10-11—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाद नदी, जिला वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने हेतु 26-3-74 को उन्हें एक ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कोल-असला तथा पन्द्रह जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने के लिये उन्हें 26-3-74 को एक ज्ञापन मिला है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

12—श्री मुलायम सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

13—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह तथा श्री मंगरे सिंह—

[7 वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचेड़ी विधन सड़क, कानपुर को पक्का करने की मांग

14—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री मंगरे सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर परगना के अन्तर्गत सचेड़ी से विधन जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का बनाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सड़क को पक्का बनाये जाने का निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

15-16—श्री चन्द्रभान आजाद तथा श्री ऊदल—

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

17-18—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री जगन्नाथ सिंह—

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

नाद नदी व कुन्डी नाला, वाराणसी पर पुल बनाने की मांग

19—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाद नदी में गांव सरांय धरसौना, जिला वाराणसी में तथा कूंडी नाला में गांव कनिपर, तहसील वाराणसी, जिला वाराणसी में सरकार पुल बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं ।

गोरखपुर में सहजनवा बखिरा, मार्ग का निर्माण

20—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के सहजनवा तथा पाली ब्लाक में बिगत पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें प्रस्तावित तथा निर्मित नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या भविष्य में सरकार इन ब्लाकों में सड़कों के निर्माण में प्राथमिकता देगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में सहजनवां तथा पाली ब्लाकों में सहजनवा-बखिरा मार्ग का निर्माण इस विभाग द्वारा किया गया है । पांचवी पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध परिव्यय के आधार पर मार्गों के प्रस्तावों पर बिचार किया जायेगा ।

मिर्जापुर के बल्लिपरवा, मुजेहरा व भोगांव नाले को बांधने की योजना

21—श्री आशाराम यादव—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के अन्तर्गत कोन ब्लाक को बाढ़ से बचाने के लिये बल्लिपरवा, मुजेहरा व भोगांव नाले को बांधने की कोई योजना बनाई गई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं ।

अड़वा बांध परियोजना व सोन पम्प नहर परियोजना मिर्जापुर के अन्तर्गत नहरों का निर्माण

22—श्री आशाराम यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में 1974 में कितनी नई नहरें बनवाने की योजना है और कहां-कहां है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मिर्जापुर जिले में वर्ष 1974 में नई नहरें बनाने की योजना निम्न हैं:—

(क) अड़वा बांध परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 109 किलोमीटर लम्बी नहरों में से 58.8 किलोमीटर लम्बी नहरों का निर्माण हलिया ब्लाक में किया जायगा।

(ख) सोन पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत चोपन कस्बे से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व से प्रस्तावित 17.3 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर में से किलोमीटर ०—0 से किलोमीटर 12—775 तक की लम्बाई में 3 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण मिट्टी में पूरा किया जायगा।

विकास खंड हरिहरपुर रानी एवं सरसिया, बहराइच में सड़कों का निर्माण

23—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के सड़क निर्माण हेतु पिछले अप्रैल, 1973 से 1 मई, 1974 तक कितना धन दिया गया और प्रदत्त धन में से विकास खंड हरिहरपुर रानी एवं सरसिया, जिला बहराइच पर कितना खर्चा हुआ और इससे कौन-कौन सड़कें बनाई गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बहराइच जिले के सड़क निर्माण हेतु पिछले अप्रैल, 1973 से 1 मई, 1974 तक सड़क निर्माण हेतु कुल 30.435 लाख रुपया आवंटित किया गया था जिसमें से जिले के विकास खंड हरिहरपुर रानी एवं सिरसिया के निम्नलिखित सड़कों के निर्माण-कार्य पर कुल 7.235 लाख रुपया व्यय किया गया है:—

1—तिलकपुर—भिन्गा मार्ग

2—भिन्गा—लक्ष्मणपुर मार्ग

3—भिन्गा—सिरसिया चौधरीडीह मार्ग

4—कंकरदरी—चौधरीडीह मार्ग।

श्री सत्यपाल मलिक द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अभी हाल में.....

श्री अध्यक्ष—

कार्य सूची में जो विशेषाधिकार है उसे इस समय लिया जा रहा है। उसे खत्म करके क्या आपकी बात रख दी जाय, यह व्यवस्था आप मांग रहे हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरी बात उससे ज्यादा महत्व की है।

श्री अध्यक्ष—

कार्य सूची में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पहले लिया जायगा। वह सदन के सम्मुख है। माननीय सत्यपाल मलिक का इस सम्बन्ध में नोटिस है। उसे मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं:—

"मान्यवर गत 25 जून को श्री राम अधार राय तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा का एक प्रश्न था कि क्या सरकार बतायेगी कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लि०, लखनऊ को केवल वियर बनाने का लायसेंस दिया गया था और क्या यह सही है कि इस कम्पनी द्वारा तैयार किया हुआ रम, ह्विस्की तथा बरांडी खुले बाजारों में बिक रही है और यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

माननीय मुख्य मंत्री ने तब उत्तर दिया कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लि०, लखनऊ को केवल बियर बनाने का लायसेंस दिया गया था, इस कम्पनी द्वारा बियर के अतिरिक्त कोई अन्य मदिरा स्वयं नहीं तैयार की जाती। इस कम्पनी के लिये ही आरक्षित केवल बिस्की की कुछ ब्रेन्ड मोहन मीकिंग ब्रिवरीज लि० द्वारा तैयार की जाती है जो नियम संगत है।

अतः सरकार द्वारा कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

मेरा यह निवेदन है कि गौल्ड वाटर ब्रिवरीज लि०, लखनऊ बियर और ह्विस्की के अलावा ब्रान्डीज, रम और जिन शराबों की अनेक किसमें अपना उत्पादन कह कर बेच रही हैं जिसका विज्ञापन साथ में नत्थी है।

इससे स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री महोदय ने ब्रान्डी, रम और जिन को मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज बना कर बेचने का तथ्य जान बूझकर छिपाया है इसलिये मैं सदन के अवमान का प्रश्न मुख्य मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत करता हूं।"

यह बयान असत्य है और बदनीयती से दिया गया है यह माननीय सदस्य किस प्रकार कहते हैं?

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

आप एक चीज तय कर सकते है कि झूठ क्या है? मंत्री जी सदन को गुमराह करते हैं या सदन में झूठ बोलते है इसकी परिभाषा तय होनी चाहिये। मैं प्रश्न को दुबारा पढ़ रहा हूं—क्या सरकार बतायेगी कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लि०, लखनऊ को केवल बियर बनाने का लायसेंस दिया गया था और क्या यह सही है कि इस कम्पनी द्वारा तयार किया हुआ रम, व्हिस्की तथा ब्रान्डी खुले बाजारों में बिक रही है और यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? सवाल यह किया गया था कि तीन किस्म की शराब बाजारों में बिक रही है वह कैसे बिक रही है जबकि लायसेंस केवल बियर बनाने के लिये दिया गया था। इस पर मुख्य मंत्री जी ने जबाव दिया कि गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लि०, लखनऊ को केवल बियर बनाने का लायसेंस दिया गया था, तो इससे साफ हो जाता है कि जो व्हिस्की मोहन मेकिंग, गाजियाबाद में बनती है उसको जो फालतू मात्रा होती है उस पर लखनऊ की यह शाखा अपना लेबुल लगा लेती है क्योंकि यह फैक्टरी नई है और बेचती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं । आपने जो विज्ञापन दिया है वह लखनऊ के बारे में है . . .

श्री सत्यपाल मलिक--

गलत बयानी की है क्योंकि लखनऊ की यह कम्पनी व्हिस्की के अलावा शराब की अनेकों किस्में अपना उत्पादन करके बेच रही है इसलिये मुख्य मंत्री जी ने झूठ बयान दिया है।

श्री अध्यक्ष--

हो सकता है यहां बनती हो या हिन्दुस्तान में कहीं और बनती हो। तो मालूम होता है कि इसको देखने की जरूरत है। जो आपने विज्ञापन दिया है इसको मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करेंगे ।

श्री सत्यपाल मलिक--

असल बात यह है कि अभी पिछली 25 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने अपना जन्म दिन मनाया है . . . . .

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं अपने शोधकर्त्ता माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि झूठ शब्द का प्रयोग वे न करें क्योंकि चर्चिल ने भी झूठ शब्द का प्रयोग अपनी टर्मनालोजी में सुधार करके ही किया था ।

श्री सत्यपाल मलिक--

जैसे झूठ का असत्य ।

स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में बिजली के अभाव में एक बालक की मृत्यु पर दिये जाने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

माननीय चौधरी साहब ने जो वक्तव्य बिजली के अभाव में एक बालक की मृत्यु के बारे में दिया है वह बयान अभी मिला है। तो अगर चौधरी साहब तैयार हों तो इसे किसी दूसरे दिन के लिये रख दें ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मुझे अभी मिला है । मेरे ख्याल से इसे कल के लिये रखिये ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत माननीय सदस्य आटा आदि की कमी के बारे में दे देते हैं। यह खाद्य का विषय है और उस पर बहस अभी होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मेरा भी था । मुरादाबाद में दुकानें लूटी जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि यहां पर फूड रायटस शुरू होने वाले हैं वह शुरू हो गये हैं। यह तो आज रोज की चीज हो गई है। बजट के मौके पर तो बहस होगी ही ।

श्री अध्यक्ष---

और वह है कि मुरादाबाद में गेहूं न मिलने के कारण जनता द्वारा जो आटा चक्कियों का लूट लिया जाना और उन पर कब्जा। तो आपको खाद्य चर्चा पर इसे उठाने का मौका है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमान, फूड डिस्कशन तो बहुत देर से होगा। ये दंगे शुरू हो गये हैं और इनका अभी तांता लगेगा, यह तो नित्य होंगे। मैंने 27 जिलों के बारे में कहा था, जिनको आपने सरप्लस मानकर निकाल दिया कि वहां कोई खाद्य वितरण का प्रबन्ध नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

खाद्य स्थिति पर इसके अनुदान पर आपको मौका मिलेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जिन 27 जिलों के बारे में कहा था कि हम राशन की दूकानें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे सरप्लस ह, वहां पर फूड रायट्स शुरू हो गये हैं। इसमें शान्ति और व्यवस्था का भी प्रश्न है यह तो अभी हर जिले में चलेगा।

श्री अध्यक्ष---

अब यदि यह मान लिया जाये कि 2 आटा मिलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट लिया गया, तो इस पर अल्पसूचित प्रश्न आप कर सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप इस पर कम से कम बयान ही दिला दें, बड़ा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा ही है तो फिर आप नियम 51 में दे दें, तो वक्तव्य हो जायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैंने 51 में तो दूसरा दिया है---1 5 सौ बोरे नष्ट होने के बारे में।

श्री अध्यक्ष---

इसको भी लिखकर दे दीजियेगा, वक्तव्य दिला दिया जाएगा।

दूसरा, जाली करेंसी नोटों के बारे में श्री त्रिवेणी सहाय का है। यह फिर आया है, यह केन्द्रीय विषय है। पूर्व सूचना को अस्वीकार किया था और इसे भी किया है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

प्रदेश में जाली नोट चल रहे हैं और आपने उसे अस्वीकार कर दिया। सरकार यह मालूम करे कि कितने नोट्स उत्तर प्रदेश में ऐसे चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य संविधान जानते हैं। आज तो नहीं, हर दिन उनके पास संविधान की पोथी रहती है, उन्हें इसके बारे में स्वयं सोचना चाहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय---

यह राष्ट्रीयकृत बैंकों का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन ये उनके कारनामे हैं। 100-100 के, 1-1, 2-2 के नहीं, नोट चल रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों ने इनका यूज किया होगा। अखबारों में आया है, अपन पढ़ा भी होगा।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

जब जाली सरकार ही चल रही है, तो जाली नोटों की इनको क्या चिन्ता पड़ी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आप देखें श्रीमन्, नोट छापना उत्तर प्रदेश सरकार का जुरिस्डेक्शन तो नहीं है ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, जाली वोट के साथ अब जाली नोट भी छप रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब एक, सर्वश्री हरिकेवल प्रसाद, रामपाल सिंह यादव आदि ने देवरिया जिले में बी० टी० सी० के अभ्यर्थियों की सूची में हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के नाम न होने के संबंध म दिया है, उनका नाम लिस्ट में नहीं है । हरिजनों को जो उनको मिलना चाहिये कि वह उस सूची में नहीं हैं । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें। हो सकता है कि देवरिया जिले में हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिये जो प्राविधान है उसके अनुसार न हो । इस पर प्रश्न कर लें ।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक अर्ज करना चाहूंगा, देवरिया के बारे में ।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं । अस्वीकार है ।

(श्री हरिकेवल श्री अध्यक्ष के साथ कुछ बोलते रहे । उनका माइक्रोफोन बन्द था ।)

अब, ग्राम कमेला, थाना सुबेहा, जिला बाराबंकी के रामसेवक जी ने, एक व्यक्ति की हत्या के बारे में दिया है । अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

[× × × × ×]

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है । आपने क्या निर्णय किया ?

श्री अध्यक्ष—

वह हो गया । कार्य-स्थगन पर आ गये थे ।

केन्द्रीय मंत्री के पुत्र द्वारा श्री अध्यक्ष को लिखे गये तथा कथित पत्र के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

(माइक्रोफोन बन्द था) सदन की यह परम्परा रही है कि प्रदेश के ऐसे मामले जो अपना विशेष महत्व रखते हैं जीरो आवर में उठाये जायं ।

श्री अध्यक्ष—

बिना नोटिस के ।

[×××]श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

धान की तस्करी की रिपोर्ट टनकपुर थाने में लिखायी गयी है। जो केन्द्र के मंत्री हैं जगजीवन राम जी उनके लड़के का नाम आया है।

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

301 में ऐसे ही मामले...

श्री अध्यक्ष---

तो 301 का नोटिस देंगे। उसका हम फैसला करेंगे। लेकिन अगर नोटिस न दें और यों ही कहने लगें तो यह तो नहीं हो सकता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर यहां फैसला करने वाले हैं तो सुन लें। बड़े-बड़े केन्द्र के मंत्रियों के लड़के तस्करी...

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि नियम के अनुसार कोई सवाल उठायेंगे या हर बार खड़े होकर जो कहना चाहेंगे कहेंगे। उन्होंने एक सवाल उठाया, वह सवाल उठा भी था, उसका कुछ यहां जबाव भी हुआ था।

एक सदस्य---

बिल्कुल सुनायी नहीं दे रहा है।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)---

जब हरिजनों का सवाल आता है, तो टाल दिया जाता है एक तरफ तो कहा यह जाता है कि हरिजनों के लिये सब कुछ कर दिया गया है। (माइक बन्द हो जाने के कारण ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष---

यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप अपने नेता से मालूम करें कि कौन सवाल उठाया जा सकता है, कौन नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री नन्दराम---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक रोज की बात है पदोन्नति की बात हुई थी तो आपने कह दिया था कि इस पर विचार नहीं होगा। यह थोथी बात ह, झूठी बातें ह।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य के समझने का सवाल नहीं है। यदि देवरिया में एक दो परसेंट नहीं लिय गये ह।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जैसी कि मुझे जानकारी मिली है वह यह है कि आपके पास जगजीवनराम जी के लड़के का एक पत्र आया है । यदि आया है तो वह सदन की प्रापरटी हो गया और उसके हम लोग भी हिस्सेदार हो गये । कोर्ट का जब कन्टेम्प्ट होता है अगर वह नोटिस नहीं ले तो कोई आदमी ला सकता है। हम यह कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब चर्चा प्रारम्भ हो तो आप दूसरी व्यवस्था दे दें । यह बता दीजिये कि आपके पास ऐसा कोई पत्र आया है । यदि आया है तो हम आगे कहेंगे हम यह कहेंगे कि यह चर्चा का विषय बन सकता है । यह सदन की प्रापरटी हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि हर खत जो मुझे आता है वह सदन की सम्पत्ति है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह नहीं कहता हूं कि जो पत्र श्री वासुदेव सिंह के नाम आये वह सदन की प्रापरटी है बल्कि जो पत्र स्पीकर के पास आये वह जरूर सदन की प्रापरटी है ।

श्री अध्यक्ष—

जैसा आपने सवाल किया है उसकी व्यवस्था भी सुनिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं कहता हूं कि हमारा मतलब तो चेयर से है ।

श्री अध्यक्ष—

आप पूरी बात सुनिये पहले । पहली व्यवस्था यह है कि हर पत्र जो मुझे आता है वह सदन की सम्पत्ति नहीं है । मेरे नाम से कोई चिट्ठी आती है तो वह सदन की सम्पत्ति नहीं है । मेरा एक नियम यह भी है कि जो अंग्रेजी देश हैं उसके अलावा जो हिन्दुस्तानी नहीं जानता है उसकी बात दीगर हो सकती है। कोई चिट्ठी निजी तौर पर अंग्रेजी में आती है तो मैं उसे पढ़ता नहीं हूं और वह रद्दी की टोकरी में जाती है । सचिव को आदेश है कि कोई अंग्रेजी की चिट्ठी मेरे पास न आये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो आपने सिद्धान्त की बात कही। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे स्पीकर के पास इस प्रकार की कोई चिट्ठी श्री जगजीवन राम के पुत्र की आई है या नहीं । पहले आप बता दें । अंग्रेजी में तो रूलिंग का हवाला दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई अध्यक्ष कहकर भी सम्बोधित करता है तो भी मैं उसको नहीं पढ़ता ।

एक सदस्य—

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था यह है कि कोई भी सीधा सवाल नहीं कर सकते हैं । दूसरी चीज यह है कि माननीय सदस्य हमारे कक्ष में गये और इसका जबाव भी मिल गया और अब अध्यक्ष से सवाल

करते हैं तो कौन सी व्यवस्था हो सकती है। जो चिट्ठी वासुदेव सिंह को आयेगी और जो चिट्ठी अध्यक्ष को आयेगी उसमें फर्क है। जो चिट्ठी अंग्रेजी में आती है उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है या उसको सम्बोधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है। अगर माननीय सदस्य सहयोग करें तो एक भी टिट्ठी अंग्रेजी में नहीं आ सकती है।

एक सदस्य--

अगर उर्दू में चिट्ठी आती है तो उसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

पता चल गया कि आपके पास चिट्ठी आयी ह। एक साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि चिट्ठी आपके पास आयी है। मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। केवल आप बता दें कि आपके पास चिट्ठी आयी है या नहीं आयी है। मैं दूसरा सवाल नहीं करूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

कोई अंग्रेजी का खत है उस पर आप नोटिस नहीं लेते है तब यह सवाल क्यों हो रहे हैं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह सर्व विदित हो गया कि आपके पास चिट्ठी आयी है। हम केवल आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं कि चिट्ठी आयी है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या यह सदन यह नतीजा निकालने में सही होगा कि चिट्ठी आयी, लेकिन अंग्रेजी में आयी।

श्री अध्यक्ष--

अखबार में छपा है। दूसरे सदन के किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिये कुछ कहना उपयुक्त नहीं है। वहां कहा गया विधान सभा क अध्यक्ष के पास कुछ आया है। इससे भ्रम फैला है, नहीं तो यहां सवाल क्यों उठता। तस्करी का सवाल विधान सभा में उठता। यह हमसे सम्बन्धित नहीं था।

एक सदस्य--

मान्यवर, हम ऐसा हिन्दीकरण नहीं चाहते हैं। अगर कोई कहता है कि हमारा बस्ता हो गया है और अंग्रेजी में लिख दें तो नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने जो प्रार्थना की थी कि अगर कोई मंत्री कहे तो कहते हैं कि इरेलेवेन्ट है और जब आप ..

श्री अध्यक्ष--

पहले तो यह सवाल ही गलत है। मुझसे सवाल करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अच्छा होता यदि कह देते कि चिट्ठी आयी है।

श्री अध्यक्ष---

हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपको यह बताने में क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं कहता हूं कि अध्यक्ष को क्या-क्या चिट्ठी आयी है, किस भाषा में आयी है यह यहां बताने के लिये बाध्य करना अभूतपूर्व काम होगा । संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, एक जो सीड स्कैन्डल का सवाल है उस पर मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था । माननीय खाद्य मन्त्री ने उस पर वक्तव्य दिया था और हम लोगों को सूचना है कि केन्द्र के मन्त्री के पुत्र का एक पत्र आपके पास आया है ।

श्री अध्यक्ष---

पत्र अखबार में छपा है। और वह विधान परिषद् .....मैं कह रहा हूं कि अकारण कोई भी जो आपसे सम्बन्धित होगी वह हम आपको दे देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कोई चीज हो तो नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि.....

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

वहां पर तमाम पुस्तकें अंग्रेजी में रखी हैं ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय बांके लाल जी अंग्रेजी के अक्षरों को पोत कर जेल गये थे ? अगर आप तस्करी के बारे में चाहते हैं तो कर सकते हैं । मूल सवाल यह है कि क्या इस तरह से कोई सवाल अध्यक्ष से किया जा सकता है । यह सवाल है । यही मैंने कहा ।

चौधरी चरण सिंह---

आप मेरी गुस्ताखी माफ करेंगे आपने सदन के साथ मजाक क्यों किया । अगर खत नहीं आया था तो कह देते कि नहीं आया हैं, वह अखबार में आया है ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा तो कि अखबार में छपा है । इसे मैंने अखबार में पढ़ा ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, यह अंग्रेजी में चिट्ठी भेजी गयी । मुझे भी इसकी जानकारी है कि वह अंग्रेजी में भेजी गयी । विधान परिषद् के कमरे में टाइप हुई थी ।

(व्यवधान) (शोर) (कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष---

ऐसी कोई चिटठी मेरे पास नहीं आई।

(माइक काट दिया गया आवाज नहीं आयी)

(व्यवधान-शोर-घोर शोर)

श्री त्रिवेणी सहाय––

श्रीमन्, धमकियां दी गई ।.....(व्यवधान)

(घोर शोर)

श्री अध्यक्ष––

मैं समझता हूं कि माननीय त्रिवेणी सहाय, माननीय जनसंघ के नेता जो कह रहे हैं, उसे मैं अपने खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव समझता हूं । मैं माननीय रामायण राय से निवेदन करूंगा कि वह यहां पर आयें और विराजमान हों ।

(इस समय सरक र तथा विरोधी पक्ष के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने पुनः अपना आसन ग्रहण किया)

1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 29–कला एवं सस्कृति, अनुदान संख्या 30–वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध तथा अनुदान संख्या 36–सूचना तथा प्रचार

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29–कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,23,900 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,26,500 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने क लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,79,300 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, यह जो परिव्यय हैं जिनकी स्वीकृति के लिये सदन से आग्रह किया है यह सूचना तथा प्रचार विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग एवं वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध विभाग से संबंधित हैं । श्रीमन्, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में राज्यस्तर पर, जो केन्द्रीय स्तर पर कार्य होते हैं उनको एक प्रकार से अनुपूरक कार्यवाही के रूप में कार्य होते हैं । श्रीमन्, आपको ज्ञात होगा कि यहां पर जो हमारी आब्जरवेटरी है वह इसी संस्कृति के अन्तर्गत आती है । हमारे यहां भी प्रयास रहा है अपने क्षेत्र की और दूसरे जो सांस्कृतिक संगठन हैं उनकी सहायता की जाय और जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनके द्वारा भी इस प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यकलापों को अग्रसर कराया जाय ।

सूचना विभाग का महत्व आज के संदर्भ में और भी बढ़ जाता है । यह आवश्यक है कि शासन की नीति के सम्बन्ध में जहां एक संतुलित सूचना व्यवस्था हो वहां भी आवश्यक है कि जनता प्रदेश के उन आवश्यक तथ्यों से जो वास्तविक तथ्य हैं उनसे वह अवगत होती रहे । तो सूचना विभाग पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है और इस बजट में इस बात की चेष्टा है कि उसके कुछ अंगों को सुसंगठित किया जाय चलचित्र, पुस्तकालय, केंद्रीय जो टेक्निकल कर्मशाला

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वर्कशाप है, उसके पुनर्संगठन की स्थापना की जाय जिसमें कि जो विभाग रेडियो आदि और प्रचार यंत्र हैं उनके मेन्टीनेंस की व्यवस्था करें और इसके लिये जिला सूचना केन्द्र कीस्थापना का प्राविधान है। चलचित्र इकाई जो डाकूमेन्ट्रीज हैं, ये डाकूमेन्ट्रीज बनाने का प्राविधान है। जो इस विभाग ने डाकूमेंट्रीज निकाले उनकी बड़ी प्रशंसा भी हुई। जो पश्चिमी जिले हैं, जो दिल्ली टेलीविजन सेन्टर हैं, उसमें टेलीविजन लगाने की व्यवस्था है। जो समाचार हैं उनके विशेषांक के लिये भी इसमें प्राविधान किया गया है। मैं इस समय अभी क्योंकि इसके लिये कुल आधा दिन नियत है, मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता। जो सुझाव आयेंगे मा0 सदस्य के उनके सम्बन्ध में मैं फिर कुछ निवेदन करूंगा।

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान सं० 36—सूचना तथा प्रचार के अधीन संपूर्ण मांग की राशि घटा कर एक रुपया करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, आज जो बजट रखा गया है उस पर वक्त कम है और मैं कम वक्त लेकर चाहूंगा कि ज्यादा लोग उसमें हिस्सा लें, लेकिन मैं बहुत थोड़े में यह कहना चाहता हूं कि जिस विभाग लिए रुपया सरकार ने मांगा है इस बजट के तहत, वह विभाग लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुक्सान कर रहा है। मान्यवर, बहुत दार्शनिक लहजे सूचना विभाग के कार्य विवरण में लिखा गया है। लोकतांत्रिक सरकार की रीति-नीति से जनता को अवगत कराने के लिये सूचना विभाग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र में सवाल सिर्फ बोलने की आजादी का नहीं। बोलने की आजादी तो आपने मेहरबानी करके विरोध के लोगों को दी हुई है लेकिन यह आजादी अपने आप कोई आजादी नहीं। सिर्फ बोलने की आजादी तो असल आजादी है कि जो सरकारी पक्ष के लोग बोलते हैं वह बात जनता तक पहुंचने के सारे साधन मौजूद हैं लेकिन उनकी बात काटते हुए और अपनी बात रखते हुए जो विरोधी पक्ष के लोग बात करते हैं उस बात को जनता तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए यह आजादी गैरबराबरी की आजादी है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग को कोई राशि इसलिए न दी जाय कि यह विभाग सिर्फ शासक दल के पक्ष के नेताओं और हुकूमत चलाने वाले लोगों तथा हुकूमत की बात को जनता तक पहुंचाना चाहती है। विरोध की बात को जनता तक नहीं पहुंचाती है। मान्यवर तमाम योरोप के मुल्कों में और सारे मुल्कों में जहां लोकतंत्र के ऊपर रोजमर्रा नये-नये सवाल उठते हैं। हरबर्टमार्थर ने यह सवाल उठाया है। रेडियो, टेलीविजन, सरकारी प्रचार आदि ये ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो समाज को एकतर्फा करती हैं। समाज को एकंगी करती हैं। ये चीजें अपनी बात तो जनता से कह देती हैं लेकिन जनता क्या सोचती है इसका मौका जनता को नहीं देती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मान्यवर, जो यह विभाग रेडियो द्वारा या टेलीविजन द्वारा बातें फैलाता है, वह जनता क दिमाग पर सरकार की राय को थोप देता है। इस विभाग की शक्ल ऐसी हो कि या तो यह विभाग कतई न हो और अगर जरूरी हो तो नीति के आधार पर यह तय हो कि यह विभाग सरकार की उपलब्धियों को और विरोध पक्ष की राय को फैलाये। जो पुस्तकें इस विभाग ने छापी हैं, उनके बारे में इस सदन में कई प्रश्न उठे।

(इस समय 12 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुई)

माननीय, अधिष्ठाता महोदया उस दिन बहुत कम चीजें आ पायी थीं। सूचना एवं प्रसार विभाग ने एक किताब पेश की थी, जिसके बारे में जानकर सदन को हैरत होगी। मुझे एक जिम्मेदार आदमी ने बताया कि उस किताब के लेखक 1942 की आजादी की लड़ाई के समय माफी मांग कर जेल से छूट कर आये थे। इस आदमी को उत्तर प्रदेश की आजादी का इतिहास लिखने को कहा गया। उनका नाम है कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र। उस पुस्तक में एक जेलर के ऊपर 6 पन्ने लिखे गये लकिन जवाहर लाल नेहरू जी के ऊपर एक भी पन्ना नहीं है। इसी प्रकार से माननीय लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर एक पन्ना भी नहीं है जबकि एक जेलर की कार्यवाही के ऊपर ६ पन्ने छपे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी के ऊपर सम्पूर्ण पन्ना है, लोहिया जी, आदि के लिये एक लाइन और आचार्य नरेन्द्र देव के लिये एक वाक्य ही दिया है। यह पुस्तक अपने आप में इस विभाग की नीतियों का पर्दाफाश करती हैं। जब यह लिखवायी गयी तो केवल अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिये लिखवायी गयी। मैं नहीं जानता कि कोई सेंसर होता है या नहीं। मैं यह मांग करता हूं कि य किताबें अपनी पसन्द के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये लिखायी जाती हैं या उनसे अपने व्यक्तित्व को फायदा पहुंचाने के लिये लिखायी जाती है? इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जितने भी प्रकाशन इस विभाग द्वारा कराये गये हैं, सदन की एक सर्वदलीय समिति बैठाकर, उसके सामने रखे जायं। वह सारे साहित्य का अवलोकन करे और जो सरकारी रीति नीति के बारे में छपी है, उनको छोड़ भी दिया जाय, शेष की जांच करे।

जो अखबार हमारे सूबे में हैं, या बाहर हैं, उनके नुमाइन्दे यहां पर हैं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप सरकार पर लगाताहूं कि इसने बराबर यह कोशिश की है कि उनके ऊपर तरह-तरह के दबाव डालकर या तो उनको अपनी राय का कर ले या उनको खरीद ले और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किन्हीं मान्यताओं से बंधे हुए हैं, उन्हें डराया जाय। ऐसे मामले भी हुए हैं कि संवाददाताओं के तबादले भी करा दिये गये हैं और उनको धमकाया भी गया है। संवाददाता बहुत ही आवश्यक चीज है। होना तो यह चाहिये कि अखबार वालों को अच्छी-अच्छी सुविधायें मिलें। सब के लिये एक नीति तय हो जाय, सब के आवास के लिये तय हो जाय, सब को वाहन की सुविधा मिले, लेकिन एक को दे देंगे और दूसरों को नहीं देंगे या एक को पहले दे देंगे और दूसरे को बाद में। एक को ज्यादा सुविधा दे देंगे और दूसरे को कम जो आपका प्रचार नहीं करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जितने भी पत्रकार हैं, समाचार पत्र हैं, अखबार हैं, उनको साफ तौर से एक नीति के आधार पर सुविधायें दी जायं। जितने सरकार के समथक हैं, उनको ज्यादा फायदा पहुंच रहा है और जो विरोध कर रहे हैं, उनको नुक्सान पहुंच रहा है।

अभी जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था उसमें इस विभाग ने काफी कुछ काम किया। जो एक नाटक दिखाया जा रहा है "बढ़त कदम" उसे उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में दिखाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसको देखने के बाद कोई इंडिपेंडेंट राय वाला आदमी यह नहीं कहेगा कि वह इतिहास का सही प्रस्तुतीकरण है। एक समिति बनायी जा सकती है

[श्री सत्यपाल मलिक]

सदन को जो यह देखे कि वह नाटक जो दिखाया जा रहा है वह इतिहास के तथ्य सही ढंग से पेश करता है या नहीं । कहीं एसा तो नहीं है कि जो इतिहास के नम्बर वन के लोग हैं उनका उसमें जिक्र न हो और जो आज हुकूमत में हैं उनका ज्यादा जिक्र तो नहीं है । जब चुनाव के ठीक पहले इन नाटकों और किताबों के जरिये उन लोगों के व्यक्तित्वों को उभारा जाता है जो चुनाव की लड़ाई में मौजूद हैं तो निश्चित तौर से यह काम उस पार्टी के उन व्यक्तियों क फेवर में जाता है जिन व्यक्तियों का उसमें जिक्र है । तो मेरा यह निवेदन है कि चुनाव क दौरान जो यह विभाग है इसने नाटकों के जरिये से बहुत जोरदार तरीके से सत्तारूढ़ दल की मदद की है।

माननीय प्रधान मन्त्री जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही थीं तो इस यात्रा के दौरान में कुछ पत्रकारों को हर तरह की सुविधायें दी गयीं और निश्चित तौर से यह मानव स्वभाव की कमजोरी है और निश्चित तौर से नतीजा निकलता है जिसके द्वारा किसी को सुविधाएं मिलती हैं वह सुविधा देने वाले के प्रति बहुत नर्म होता है, कन्सीडरेट होता है ।

मुझे यह जानकारी एक जिम्मेदार आदमी ने दी है कि इस विभाग ने जितना ए0 आई0 सी0 सी0 का मैटीरियल चुनाव के दौरान छपा है उसका ज्यादातर सामान उत्तर प्रदेश सूचना विभाग और प्रसार के लोगों ने तैयार करके भेजा और तब वह छपा । यह भी बताया गया कि जिस दिन पार्टी लीडर का चुनाव होना था और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री बहुगुणा बन थे तो एक पोस्टर इस विभाग से निकला जिसमें उनकी मुस्कराती हुई तस्वीर प्रदेश के प्रति आभार प्रकट करते हुए दिखाई गयी है । अपने आप में हो सकता है कि जो भी हुकूमत में आयेगा वह यह तर्क दे सकता है कि जब मैं प्रदेश का नेता चुन लिया गया हूं तो मेरी तस्वीर छपनी ही चाहिये । लेकिन लोकतंत्र के देशो में जनता के रुपये से तस्वीरें इस तरीके से छपवा कर अपने चुनाव जीतन और गद्दी-नशीनी के लिये इस तरह से . . . .

श्री अधिष्ठाता---

आप और कितना टाइम लेंगे, क्योंकि ढाई बजे इस पर वोटिंग होनी है,और भी माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री सत्यपाल मलिक---

मैं अभी खत्म कर रहा हूं . . .

श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)--

जैसा कि अभी आपने "बढ़ते कदम" के बारे में कहा वया यह यू0 पी0 के इनफार्मेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से दिखाया गया, यह आपको जानकारी है?

श्री सत्यपाल मलिक--

मेरी गहरी जानकारी नहीं है । अगर केन्द्रीय सरकार भी इसको दिखाती है तो बगैर आपकी मदद के नहीं दिखाती और अगर यह गलत तरीके से पेश करता है तो आपका फर्ज है कि आप उसको रोकें ।

रेडियो का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में बहुत बहस हो चुकी है, ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है ।

अभी दो मामले उठाये गये थे, उनके बारे में कह कर खत्म करूंगा । एक पार्क है जिसका नाम "लोहिया पार्क" रख दिया गया था । एक सरकस वाले विज्ञापन में उसे "विक्टोरिया पार्क" कहा जाता है । आप उस पार्क का नाम "सामान्य कांग्रेसी" के नाम से कर देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब "लोहिया पार्क" रख दिया तो डा0 लोहिया का नाम न देकर बिक्टोरिया का नाम दिलाना एक शर्मनाक चीज है ।

एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था कि जितने रेडियो पर आप व्यापारिक विज्ञापन लेते हैं, उनके बारे में मालूम ऐसा होता है कि आप यह देखते हैं कि वह पैसा देते हैं या नहीं, यह नहीं सोचते कि किसका विज्ञापन हो रहा है। अभी आज कल कानपुर की एक साड़ियों की दूकान का विज्ञापन रेडियो पर सुनने को मिलता है। रेडियो के अनुसार उस दूकान की साड़ियों से "दहेज की शोभा बढ़ती है"। दहेज प्रथा कानूनन बन्द है लेकिन आप साड़ियों का ऐसा विज्ञापन ले लेते हैं और उसमें मां-बाप को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह शादी में दहेज द और उसमें साड़ियां दी जायं। इससे हम एक बड़े नये मामले की ओर आकृष्ट होते हैं कि यूरोप में और अमेरिका वगैरह में जो तरक्की हुई, उद्योग के जो इस्तेमाल के बढ़िया साधन पैदा हुए उसके बारे में एक क्रांतिकारी विचारक ने यह कहा है कि यह समाज आदमी को पसन्द की छूट नहीं देता है कि कोई किस तरह रहता है, क्या पहिनता है, कैसे साबुन से नहाता है। बल्कि यहां के निर्माता, यहां के पूंजीपति कुछ चीजें पैदा करते हैं और विज्ञापन के जरिये लोगों पर थोप देते हैं कि आप इन चीजों को पहनिये, इन चीजों को इस्तेमाल करिये। तो जो समाजवादी सरकार है और एक तरह से गरीब मुल्क की सरकार है उसको विज्ञापन के बारे में यह नीति बनानी चाहिये कि वह तमाम चीजें जो खर्चीली है, जो विलासिता और फैशन की है, जो लोगों का आर्थिक संतुलन बिगाड़ देंगी उन चीजों का विज्ञापन किसी भी सरकारी माध्यम से नहीं होना चाहिये।

मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेकर आखिर में फिर यह निवेदन कर रहा हूं कि इस विभाग का सारा काम निरर्थक है, एक-पक्षीय है, सरकार के काम को बढ़ावा देना है, झूठ बोलना है, फिजूलखर्ची करना है और इसी सन्दर्भ में मैं अपनी बात के साथ जोड़ कर के यह कहना चहता हूं कि एक जिम्मेदार पत्रकार ने बताया कि किसी प्रेस कान्फ्रेन्स में आफ दि रेकार्ड मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि इस प्रदश में सूचना विभाग नाम का कोई विभाग है ही नहीं। हो सकता है यह गलत हो, लकिन मुझे खुद बताया गया कि मुख्यमन्त्री की राय इतनी खराब इस बारे में है। तो मेरे कटौती के प्रस्ताव का आप लोग समर्थन करें और इस विभाग को ऐसा बनायें जो बोलने की आजादी और उसको फैलाने की आजादी, विरोध पक्ष और सरकार दोनों को दे और दोनों की बातों को प्रदेश की जनता तक फैलाये।

धन्यवाद।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीया, मैं आपके माध्यम से अपने पूर्व वक्ता महोदय से प्रारम्भ में एक आग्रह करना चाहता हूं। कोई मेरी प्रत्यक्ष उनको सलाह नहीं है, मेरा आग्रह है। किसी मौके पर डाक्टर लोहिया ने कहा था कि जनतंत्रमें गोली चलाने की आजादी तो नहीं है लेकिन बोली अवश्य ऐसी होनी चाहिये जो प्रभावशाली हो। और मैं समझता हूं कि उस महापुरुष के उस कथन का ठीक तात्पर्य ग्रहण न करने के कारण बहुधा हमारे नौजवान मित्र ऐसे शब्दों का इस सदन में प्रयोग करते हैं जो उनके संसदीय जीवन के लिये मुनासिब शब्द नहीं हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सदाचार की भाषा सदा मान्य होती है और अधिक प्रभावशाली होती है। इससे अधिक मैं उनसे और नहीं कहना चाहता हूं।

जिन तथ्यों को पिछले दिन भी उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए उठाया था, सूचना और प्रचार विभाग के ऊपर बोलते हुए जिन तथ्यों को उन्होंने उद्धृत किया,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

बार-बार उनका यह कहना था कि उनको किसी बड़े पत्रकार ने कहा, किसी ने सूचना दी। मैं समझता हूं कि सदन में कोई बात करते समय उसकी प्रमाणिकता को जब तक वह जांच नहीं कर लेते हैं, उनको सुनी सुनाई बातों की चर्चा इस सदन में नहीं करना चाहिये। उन्होंने जिस किताब की चर्चा की, उसके बारे में यह कहा कि उसके लेखक ने माफी मांगी थी। जिन सज्जन का नाम उन्होंने लिया उस किताब के लेखक के रूप में मैं स्वयं एच0 एस0 आर0 ए0 का सदस्य रहा हूं। सरकार की होम डिपार्टमेंट की फाइलें इस बात की साक्षी होंगी कि जिस सज्जन की वह चर्चा कर रहे थे वह इस प्रदेश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के एक माने हुये नेता रहे हैं। इतना ही नहीं जो देश सेवा उन्होंने की है उसके बदले केन्द्रीय सरकार की ओर से, प्रधान मंत्री जी की ओर से उन्हें ताम्रपत्र भेंट किया गया था। आप स्वयं जानते होंग कि किसी भी राजनीतिक पीड़ित को जब ताम्र-पत्र भेंट किया जाता है तो गृह विभाग इस बात की जानकारी करता है कि वह कब पकड़ा गया था, माफी मांग कर छूटा था या सजा काट कर छूटा था। उसका रिकार्ड है। जेल विभाग ने किसी भी ऐसे आदमी की पशन स्वीकृत नहीं की है जो माफी मांग कर आया है। इसलिये माननीय सदस्य को अपनी इस भूल को सुधार लेना चाहिये। मैंने स्वयं उस ग्रन्थ को पढ़ा ह। 15 अगस्त को एक आयोजन था जिसमें राष्ट्रीय संग्राम के ऊपर एक रूपक प्रस्तुत किया जाना था, उस समय मैंने उस ग्रन्थ का अवलोकन किया। यह मानता हूं कि उसमें एक, दो महापुरुषों के नाम छूट गये हों, किसी को अधिक स्थान मिल गया हो या किसी को कम मिला हो, लेकिन वह किताब बहुत अच्छी है। संविद के जमाने में भी चौधरी साहब की बड़ी-बड़ी तस्वीरें छपा करती थीं। तो इन बातों पर माननीय सदस्य को इतना गुस्सा प्रकट करना नहीं चाहिये था।

'बढ़ते कदम' जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें भारतीय संग्राम का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। प्रारम्भ में बहादुरशाह को दिखलाया है, सन् 1857 का गदर दिखाया ह, झांसी की रानी, राजा बेनीमाधो, आदि को दिखाया है (व्यवधान) पडित जी को भी, गुलाब के फूल की ओर संकेत करक (व्यवधान)।

एक सदस्य—

कौन पंडित जी।

श्री रामायण राय—

वह पंडित जी जो हमारे सौभाग्य से और आपके दुर्भाग्य से इस देश के महापुरुष रहे हैं आपके चिढ़ने से इतिहास के वे स्वर्णिम पन्न फाड़ कर फेंके नहीं जा सकते (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया खामोशी से सुनें।

श्री रामायण राय—

मैंने पहले भी कहा था—'न सुनना हराम है, न सुनाना हराम है, सुनने के बाद तैश में आना हराम है।'

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

यह शेर तो पीने के बारे में है।

श्री रामायण राय—

उसका अनुभव तो माननीय सदस्य को है, मुझे नहीं। मैं आपके माध्यम से यह बता रहा था कि सूचना विभाग के बारे में यह कहा कि यह विभाग तो सरकार क मंत्रियों तथा

सरकार के कृत्यों को ही जनता तक पहुंचाता है, जनता की हलचलें और उनकी समस्याओं की कोई सूचना नहीं देता। यह गलत है। इसी विभाग द्वारा जो पुस्तक छपी है (व्यवधान) इसका कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने इस पवित्र सूचना विभाग को डा0 गोविल्स का सूचना विभाग समझ रखा है। आप लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में चल रहे हैं जिसका कि यह विश्वास है कि बार-बार दोहराने से झूठ भी सच साबित हो जाता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें लिखा है कि 'सूचना विभाग की पत्र सूचना शाखा का मुख्य कार्य शासन के कार्य कलापों, नीतियों एवं उपलब्धियों को समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना हैं और समाचार-पत्र-पत्रिकाओं में व्यक्त जन भावना से शासन को अवगत कराना है'। तो यह विभाग जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, जनता की क्या आकांक्षायें होती है शासन को पहुंचाता है। इन बातों से शासन को यह विभाग अवगत कराता रहता है और माननीया आप जानती हैं कि इस विभाग का उधर के बैठने वालों ने क्या किया है। यह उन्हीं का परिणाम है कि यह विभाग टूट गया है, ध्वस्त हो गया है।

आप मलिक साहब पता लगायें इस सूचना विभाग को किसने इतना खत्म किया। मैं तो माननीय सदस्य से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं अभी केवल 29 जिलों में इसकी शाखायें खोली गयी हैं और इस विभाग को प्रत्येक जनपद में अपनी शाखाओं को खोलना चाहिये। मेरा अनुभव ह, और मैं बम्बई, कलकत्ता जैसी नगरियों में गया हूं। वहां पर ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन किसी विवशता से वहां पड़े हुये हैं। तो माननीया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसी महानगरियों में दिल्ली की तरह सूचना विभाग के केन्द्र खोले जाने चाहिये। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यहां इस विभाग की बिल्डिंग में एक हास्पिटल चल रहा है। हास्पिटल भी हमारे जीवन के लिये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है लेकिन बेहतर होगा कि इससे भी बड़ी एक इमारत अस्पताल के लिये बनायी जाये जिससे सूचना विभाग अपने दायित्व का निवहन अच्छी तरह से कर सके। आपने अभी पत्रकारों की बात कही है तो मैं आग्रह करता हूं कि पत्रकार चौथी स्टेट होता है। जन जीवन का वह एक सबल प्रहरी होता है और जनतंत्र का भार उसके कंधों पर होता है। चूंकि वह सरकारी जीपों में बैठकर गये इसलिये आप यह कह रहे है कि उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया। तो मलिक साहब मैं कहता हूं कि मुझसे ज्यादा वह आपको छापते हैं। वह कांग्रेस की गाड़ियां नहीं थीं वह तो शासन की गाड़ियां थीं। अन्त में मैं अपने नौजवान दोस्त से कहना चाहता हूं कि मौके बे मौके वह जिस प्रकार के शब्द प्रकट करते हैं वह उनके लिये उचित नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, मेरे मित्र ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव पर 2 विषयों पर मुख्य रूप से कहूंगा। वह है शोध और सूचना एवं प्रसार विभाग। मुझ बड़ा खेद है और यह बड़े दुख और आश्चय की बात है कि शोध की ओर कुछ नहीं किया गया है। देश की प्रगति के लिये यह अतिआवश्यक होता है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क होता है वैसे हमारे देश के औद्योगिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिये शोध जरूरी है। लेकिन इस प्रदेश में नहीं बल्कि इस देश में इस तरफ बहुत कम प्रगति हुयी है। इसी का परिणाम है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शोध और वैज्ञानिक विकास की प्रगति शून्य क बराबर ह। थोड़ा समय ह इसलिये संक्षेप में म अपने विचार रखूंगा। यह जो अनुसंधान एवं वज्ञानिक शोध की शून्यता है उसका मुख्य कारण एक यह ह कि आज अपनी सरकार द्वारा उच्च पदस्थ

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक वातावरण नहीं बनाया जा रहा है। अनुसंधान का वातावरण नहीं बनाया जा रहा है बल्कि जो एक वातावरण युवावर्ग वैज्ञानिक बनाना चाह रहा है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है और सरकार की विरोधी नीतियां उस पर चलती रहती हैं।

दूसरा कारण यह है कि आज देश और प्रान्त के वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध का कार्य बिल्कुल शून्य है। माननीया हमने कहा कि इस शून्यता के दो कारण हैं--एक तो प्रमुख सरकार की गलत नीति है जिससे प्रान्त का वैज्ञानिक अनुसंधान एवं शोध का वातावरण नहीं बढ़ रहा है। दूसरे उच्च पदों पर वैज्ञानिक निदेशक विश्वविद्यालयों या अनुसंधान केन्द्रों में प्रोफेसरों, हेड आफ डिपार्टमेंट और रीडरों के पदों को लोग जब भी प्राप्त करते हैं तो इन पदों को सोर्स के कारण प्राप्त किया जाता है, अपने स्वयं ज्ञान तथा रिसर्च के कारण नहीं। इसलिये ये लोग इन पदों को प्राप्त करने के बाद शोध एवं अनुसंधान के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। इस प्रकार ये लोग शोध कार्यों की उपेक्षा करके अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। मुझे अनुभव है कि गोरखपुर और बनारस विश्वविद्यालयों के अधिकांश प्रोफेसरों और रीडरों की नियुक्तियां जब से इन पदों पर की गई हैं जिससे उन्होंने पद प्राप्त करने के बाद एक भी रिसर्च का कार्य नहीं किया है। जिस विभाग का हेड आफ डिपार्टमेंट शोध कार्य में रुचि नहीं लेगा तो उसके मातहत कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिकों को शोध कार्य में कैसे रुचि पैदा हो सकती है। दूसरी बात नियुक्तियों में बड़ी धांधलेबाजी होती है। सुन कर आश्चर्य होता है कि बड़ी हद तक शोध ज्ञानों की उपेक्षा करके शोधकर्ताओं की नियुक्तियां होती हैं। इस बात को सारा देश और प्रदेश जानता है कि विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहां जो लोग लौटे हैं उनकी उपेक्षा की जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो शोध और अनुसंधान के विषय पर बजट है। इसी पर आप बोलें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीया, मैं शोध एवं अनुसंधान पर ही बोल रहा हूं। मैं कह रहा था कि जो विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके वैज्ञानिक लौटे हैं उनकी उपेक्षा करके तथा जो अपने देश में रिसर्च करने के बाद पी०एच० डी० की डिग्री प्राप्त करते हैं उनकी उपेक्षा करके केवल मास्टर डिग्री रखने वाले की नियुक्ति की जाती है। ऐसी नियुक्ति में किसी भी वैज्ञानिक को काम करने की प्रेरणा कहां से मिलेगी ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ऐसा सख्त नियम बना दे कि रिसर्च के जो पद हैं उन पर नियुक्ति में सबसे अधिक प्राथमिकता सबसे पहले विदेशों से जो शोधकर्ता लौटे हैं उनको मिलेगी। यदि वे नहीं मिलते हैं तो पी०एच० डी० वालों को और उसके बाद मास्टर डिग्री रखने वालों की नियुक्ति की जायेगी। इस प्रकार के आदेश सरकार के होने चाहिये। यदि ऐसा नहीं करती है तो देश और प्रान्त में शोध का वातावरण नहीं बन सकता है। और देश चाहे वह कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो उसमें पिछड़ा रहेगा साथ ही औद्योगिक प्रगति में भी पिछड़ा रहेगा। माननीया, जो शोध का कार्य कराते हैं, जहां भी उनकी नियुक्ति हो उन पर कड़ी निगाह रखी जाय।

मैं तो इस मत का हूं कि अगर वह डाइरेक्टर के पद पर नियुक्त हैं और पद प्राप्त करने के बाद रिसर्च का कार्य छोड़ देता है या उसमें रुचि नहीं लेता है तो उसको रिवर्ट कर देना चाहिये। इसी तरह से चाहे वह प्रोफेसर्स हों, कोई भी हो। इन कार्यों को नीति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रिसर्च सेण्टर्स में वह लोग रिसर्च गाइड करते हैं जो स्वयं रिसर्च नहीं करते और न ही रुचि लेते हैं। वे मात्र पी०एच० डी० करके पद प्राप्त कर लेते हैं। मेरा सुझाव है ऐसे लोगों को रिसर्च गाइड करने की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिये।

शोध के लिये एक चीज आवश्यक है कि जो शोधकर्ता है वह शोध में रुचि तभी लेगा जब भविष्य में जीवन निर्वाह के लिये साधन उपलब्ध कराने की गारन्टी सरकार दे। अगर वह नहीं देती है तो जो रिसर्चकर्ता है उसका भविष्य निश्चित नहीं होता। अगर भविष्य में निश्चितता है और उसे जीवन निर्वाह के साधन मिलेंगे तो वह रुचि लेकर कार्य करेगा और रिसर्च में प्रगति होगी।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि जितने भी शोध के करने वाले पद हैं उन पर नियुक्ति के लिये एक आयोग बना दिया जाय और जिस प्रकार लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है उसी तरह से यह आयोग नियुक्ति करे जिससे नियुक्ति में जो पक्षपात होता है वह न होने पावे और सब वैज्ञानिको को इस बात का विश्वास हो कि वह जो अनुसंधान करेंगे उस पर यह प्रदेश, यह सरकार और समाज पुरष्कार देगा। डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति करते समय बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिये और अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो विदेशों में जो भारतीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठा प्राप्त हैं उनको आमंत्रित किया जाय और उन पदों पर नियुक्त किया जाय।

इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की यह नीति है कि शोध के कार्य को महत्ता मिले और ज्ञान का विकास हो तो उसे शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसी नीति बनानी होगी कि माध्यमिक शिक्षा तक "रोजगार परक," और स्नातक तथा उसके ऊपर "ज्ञान परक" शिक्षा देनी होगी। माध्यमिक तक "मास एजूकेशन" तथा उसके उपर "क्लास एजूकेशन" बनाना पड़ेगा।

सूचना प्रसारण के संबंध में एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह कांग्रेस की नीति प्रचार का साधन बना हुआ है। कांग्रेस अधिवेशन में इस विभाग ने ट्रकों में बंडलों को लेजा कर बांटा कलकत्ता में उनके डैलीगेट्स में, प्रदर्शनी लगाई, जब कि जनसंघ और बी० के० डी० के अधिवेशनों में ऐसा नहीं किया गया यह विभाग अखबारों में विज्ञापन देने में भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। इसकी नीति यह है कि जो कांग्रेस की नीतियों को फ्लेश करते हैं उन्हीं को आये दिन विज्ञापन दिया जाता है और उनको नहीं दिया जाता जो कि कांग्रस की नीति के विरोधी हैं। इस विभाग के डाइरेक्टर का पद किसी अनुभवी पत्रकार को देना चाहिये न कि किसी आई० ए० एस० को।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने भाई श्री मलिक के भाषणों को निरन्तर सुनता चला आ रहा हूं। आज मुझे एक शब्द सुनकर बहुत वेदना हुई कि टेलीविजन सरीखे अत्यन्त आधुनिक साधन के विषय में यहां तक कह दिया कि प्रचार की सामग्री में इसका स्थान उचित नहीं है या प्रचार विभाग या सूचना विभाग का कार्य अच्छा नहीं है। यह तो वैसे ही है कि कोई बूढ़ा आदमी नई दवा देखकर उसके सेवन में आनाकानी करे। दूसरी बात आपने "बढ़ते कदम" के विषय में कही। शायद आपको बहुत जानकारी होने पर भी जानकारी नहीं है कि यह पर्यटन विभाग का प्रयास है, न कि सूचना विभाग का। आपने एक बात और कही कि इतिहास में इस प्रकार की भूलें होती हैं तो मैं अपने विद्वान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास हमेशा लिखा जायगा, लोग उससे असहमत होंगे और होते रहे हैं। आपने बार-बार उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी का जिक्र किया और इसी सदन में इस पुस्तक को लेकर जो भी निर्णय हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं। जहां तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

यह कि उसमें जिन-जिन महानुभावों का जिक्र नहीं हुआ है तो मैं स्वीकार करता हूं कि यह एक भयंकर भूल है। ऐसा नहीं होना चाहिये था, यह मैं मानता हूं। यह भी मानता हूं कि इस पुस्तक को लिखने से पहले देख लेना चाहिये था।

लेकिन एक बात आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि मलिक साहब शब्दों पर बहुत जोर देते हैं और लगता है कि वे भाषा वैज्ञानिक हैं। यह लिखा है उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम की एक झांकी। यह इतिहास नहीं है। 150 पृष्ठों में यह अपेक्षा करना कि सारे लोगों के नाम लिखे जायेंगे तो मैं समझता हूं इसको मेरे योग्यतम भाई भी स्वीकार करेंगे कि सबका समावेश करना कहां तक संभव है।

एक बात और बताना चाहता हूं कि यह पुस्तक इतिहास की दृष्टि से न लिखकर केवल 23 निबन्धों में लिखी गयी है। अगर हरेक निबन्ध को पढ़े तो उनका स्वयं का अलग अस्तित्व मिलता है। उन्होंने स्वयं इस बात क' स्वीकार किया कि बरेली के जेलर के बारे में ११ पृष्ठ लिखे गये हैं। अगर यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा जाता, किसी के प्रचार के लिये किया जाता तो स्पष्ट था कि 1 : पृष्ठों में इंदिरा गांधी का वर्णन होता लेकिन उसमें जेलर का वर्णन है, जेल में जाने से किस प्रकार की ताड़ना और यातना होती है इसका वर्णन है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या गुनाह किया सूचना विभाग ने। क्या मलिक साहब चाहते हैं कि लेखक की भावनाओं पर कुठाराघात किया जाता। आपने स्वयं कहा कि बोलने की स्वतंत्रता देते हैं हम कहते हैं कि सूचना विभाग ने लिखने की भी स्वतंत्रता दी इस पुस्तक में।

लेखक को किसको पारिश्रमिक नहीं मिलता है? मलिक साहब ने कहा है कि इसमें बहुत सी कमियां रह गयीं हैं। मैं कहता हूं कि चौधरी साहब ने भी कृषि पर एक पुस्तक 400–500 पन्नों की लिखी है। क्या उससे बढ़िया पुस्तक कोई दूसरी नहीं हो सकती? तो क्या उस लेखक से भी भूल नहीं हो सकती? तो मलिक साहब को इस प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिये था। यह लेखक का छोटा सा प्रयास है, जिसमें कुछ भूलें हो सकती हैं। आपने कहा कि लेखक सन् 42 में मांफी मांग चुका है। मा० मलिक साहब तो चौधरी साहब के परम मित्र हैं। कम से कम उनसे पूंछ लिया होता तो इस लेखक के बारे में। माननीया, यह लेखक, श्री कन्हैया लाल प्रभाकर, उत्तर प्रदेश के माने हुए पत्रकार हैं और पत्रकार के साथ-साथ लेखक भी हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर ज्यादा बात न करूं। जहां तक लेखकों की स्वतंत्रता का प्रश्न है, उनको पूर्णरूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। यदि इस प्रकार उन पर अंकुश रखा जायेगा, तो यह ठीक नहीं होगा जैसा अभी माननीय ओम प्रकाश जी ने शोधकों के बारे में कहा, उसी तरह से लेखको के बारे में भी अगर उनको हर कार्य अधिकारियों से परमीशन लेकर करने का अंकुश रखा गया तो उनके लिये कार्य करना असंभव हो जायेगा।

माननीय यहीं पर मैं थोड़ा सूचना विभाग के बारे में भी प्रकाश डालना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सूचना की गति को आगे बढ़ाने के लिये टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स और 10 मिनट की फिल्म का निर्णय ले लिया गया है। ये फिल्में 10 मिनट के लिये बनायी जायेंगी और प्रदश में जो 350 से लेकर 365 सिनेमागृह हैं, इनके माध्यम से प्रदेश भर की प्रगति की जनाकारी दी जायेगी। हमारी सरकार ने सम्पादकों के लिये अनेकों प्रकार की सुविधायें देने की चेष्टा की है और आगे भी प्रयत्नशील है। जैसे उनको बस की सुविधा दी गयी है, उसी प्रकार अन्य सुविधायें भी दी जानी चाहिये। विज्ञापन के बारे में इस विभाग में कम से कम बजट होता है और इस विभाग की कोई स्वतन्त्रता नहीं होती है। हमारे मलिक साहब जहां सूचना विभाग की आलोचना की बात करते हैं वही इस विभाग के सम्मान, स्तर और विश्वसनीयता को भी देखना चाहिये। क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की मासिक पत्रिका को देखा है? हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के जितने भी प्रकाशन हैं, सूचना विभाग के प्रकाशन उनसे कहीं अच्छे हैं।

माननीया मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि मलिक साहब को इस बात की वकालत करनी चाहिये कि यह जो सूचना विभाग है इसके निदेशालय को और अधिक सशक्त बनाया जाय, अगर यह वास्तव में यह चाहते हैं कि इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाय और इसको अगर सामाजिक शिक्षण का माध्यम बनाना चाहते हैं, तो आज भी यह तृतीय श्रेणी का निदेशालय है, यहां कर्मचारियों के वेतनों में अनेकों न्यूनतायें हैं। यहां के निदेशक को रीजन का होना चाहिये। निदेशालय को अधिक से अधिक सुविधाओं से सम्पन्न कर दिया जाना चाहिये, ताकि यह अधिक से अधिक प्रदेश की सेवा कर सके। जितनी भी योजनायें इसमें हैं उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि उनके द्वारा हमारे प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो सकेगी।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं। यह शोध कार्य, वैज्ञानिक शिक्षा, संस्कृति या कला इसका प्रसार तथा प्रचार होना चाहिये और इसमें बढ़ोत्तरी आ नहीं सकती, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा न हो। उच्च शिक्षा बहुत आवश्यक है, उसका स्तर ऊंचा होना भी आवश्यक है, विश्व-विद्यालयों का खुलना भी आवश्यक है। बिना इसके हम उन्नति नहीं कर सकते।

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात कहने का उन पर यह असर पड़े कि मैं विश्वविद्यालय खोलने के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का वह सौभाग्यपूर्ण दिन होगा जिस दिन हर जिले में और शहर में विश्वविद्यालय खोले जायं, लेकिन केवल विश्वविद्यालय खोल देने से उन्नति नहीं हो सकेगी। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बड़े जोर से कहा कि हम इतने और विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, पन्तनगर का कम्पस पर्वतीय जिलों में खोल रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि पर्वतीय जिलों में पन्तनगर का कैम्पस न खोला जाय लेकिन आप 5 करोड़ रुपया इस पर खर्च करने जा रहे हैं बिना इसका ख्याल किये हुए कि डिग्री कालेजेज और इंटरमीडियेट कालेजेज और बेसिक शिक्षा का हमारे यहां क्या हाल है? महात्मा गांधी की बड़ी दुहाई दी जाती है। हर बात पर कह दिया जाता है कि हम गांधी जी के उसूल पर चल रहे हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 5 करोड़ रुपया पन्त नगर यूनिवर्सिटी का जो कम्पस पहाड़ी जिलों में खोला जा रहा है उस पर खर्च करने की बात कही गयी लेकिन मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं कि यह रुपया यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन द्वारा केन्द्रीय सरकार से आ रहा है, प्रदेश की सरकार की ओर से नहीं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त––

मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। रुपया भारतवर्ष का है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य वैज्ञानिक शिक्षा तथा शोध कार्य पर बोलें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त––

मैं यही कह रहा हूं कि कला, शोध कार्य आदि में उन्नति नहीं हो सकती जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो जाता। मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय 67 में खुले और उसके बाद एडहाक कमेटी वहां पर कार्य कर रही है, वहां पर चुनाव नहीं हो सका। सन् 73 में इस सम्बन्ध में सरकार ने ऐक्ट भी पास किया और अब तक चुनाव हो जाते लेकिन वह कार्यान्वित

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

नहीं हो सका। केवल यूनिवर्सिटी स्थापित कर देने से शिक्षा का प्रसार नहीं होगा न प्रचार होगा और इस प्रकार शोध, वैज्ञानिक शिक्षा, कला व संस्कृति में हम वृद्धि नहीं कर सकते। मैं एक दृष्टान्त आप को दूं। आगरा विश्वविद्यालय में चुनी हुई बाडी समाप्त कर दी गयी। जो वहां के उपकुलपति हैं, जो रिटायर आई० सी० एस० आफिसर हैं वह किसी की भी परवा नहीं करते। स्टेटचूट व रूल्स के विपरीत कार्य करत हैं। रजिस्ट्रार श्री एम० जी० गुप्त हैं उनको डिसमिस कर दिया गया था और जब उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये चार्जेज बहुत सीरियस हैं। 11 तारीख को जजमेंट हुआ और एडवोकेट जनरल ने जो मुकदमा लड़ रहे थे उन्होंने वाइस चांसलर को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय। उनको रिइंस्टेट करना नहीं है। 20 तारीख को कमेटी बुलाई गयी लेकिन 16 तारीख को आदेश दे दिया कि 56 हजार का जो पेमेंट किया गया वह गलत पेमेंट किया गया।

मैंने आपसे निवेदन किया कि जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगी तब तक शोध कार्य नहीं हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी में इंस्टीटचूट आफ सोशल साइसेज में पिछले तीन सालों से कोई शोध कार्य नहीं हो रहा है। क्या वैज्ञानिक सेवायें हमें मिलेंगी। वहां पर 80 विद्यार्थी हैं और 14 अध्यापक हैं। सरकार का इतना रुपया जाया हो रहा है पहले 75 पैसे का लिफाफा आता था उसे बढ़ा कर 1.75 पैसा कर दिया है। विश्वविद्यालय में फाइनेन्शियल आफीसर्स की नियुक्ति सरकार करती है लेकिन वहां का उप कुलपति जिसको चाहे नियुक्त कर देता है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

ये विश्वविद्यालयों पर लगाकतार बोलते चले जा रहे हैं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

आप कह रहे हैं, शोध कार्य पर नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आप शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ायेंगे, जो असन्तोष विद्यार्थियों में रोज अखबारों में निकलते हैं कि वहां पर इम्तिहान हो रहे हैं और उसके लिये पुलिस का प्रबन्ध किया गया है।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

शिक्षा का विषय तो कल हो चुका।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

आप छपवाते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध की धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है कि वे गौतम बंश में पैदा हुये थे। आप कहते हैं कि शोध कार्य में नहीं बोल रहा हूं। सम्राट् अशोक की शैलियों और मंजूषा में लिखा है--(व्यवधान) यदि शिक्षा में इतनी कमी रहेगी तो शोध-कार्य क्या होगा। पुलिस के जरिये इम्तहान करा रहे हैं। लड़के नकल करेंगे, छुरा चलायेंगे। आप यूविर्सिटीज खोलें लेकिन उनको सही और विधिवत रूप से चलायें ताकि जनता का पैसा सही रूप में इस्तेमाल हो सके। हर नागरिक चाहता है कि उसकी उन्नति और तरक्की हो लेकिन विश्वविद्यालय में आज उप कुलपति नियमों का उल्लंघन करके जिसको चाहता है नियुक्त करता है। अनियमित रूप से कार्य करता है।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)--

गौतम बुद्ध शाक्य वंश में पैदा हुये थे।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, आपको इजाजत नहीं दी गई है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, आपने मझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं त्रिशेष रूप से कला, संस्कृति, सूचना और प्रसार के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं काफी दिनों से विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के विवाद को सुन रहा हू और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज विरोध पक्ष की वही स्थिति है जो एक धार रखने वाले के यहां चक्का चलाने वाले अन्धे की है जिसको यह मालूम नहीं होता कि छुरी पर धार दी जा रही है या चाकू पर। वह तो चक्का खींच रहा है यही स्थिति विरोधी पक्ष की है। तो आज ये लोग केवल विरोध मात्र के लिये ही विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी भाई मलिकजी ने एक सवाल में कहा कि आज सूचना विभाग कवल व्यक्तिगत प्रचार का साधन बन गया है। मलिकजी को यह पता नहीं कि संविद के शासन के समय में सूचना विभाग से आपके सम्मानित विरोधी पक्ष के नेता चौधरी साहब ने यही काम लिया था। उनके हर मंत्री के पैम्फलेट फोटो समेत छपते थे। उस समय पूरे प्रदेश में यही सब चला था। उस समय प्रदेश में यह चर्चा थी कि यह पैम्फलेट व्यक्तिगत प्रचार के लिए है तो लोग कहते थे कि ये पैम्फलेट्स गुमशुदा की तलाश की तरह हैं। प्रत्येक पैम्फलेट पर विरोधी दल के नेता का फोटो होता था। तो उस सूचना विभाग को जो उन्होंने खराब कर दिया ह, उसको ठीक करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील ह।

यहां पर माननीय सदस्य कई चीजों पर बोले, मैं विशेष रूप से कला और संस्कृति के बारे में माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि वह कला और संस्कृति के बारे में मेरे कुछ सुझाव नोट कर लीजिए। बात यह है कि 25 वर्षों के दौरान जिसमें विरोध पक्ष का भी शासन रहा, लखनऊ ही सब कला और संस्कृति की गतिविधियों का केन्द्र बराबर बना रहा ह। यहां राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ राज्य संग्रहालय, राज्य पुरातत्व विभाग, राजकीय अभिलेखागार आदि सभी सरकारी संस्थाएं यहीं लखनऊ में स्थित हैं। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाएं जैसे वज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, राज्य ललितकला अकादमी सभी यहीं लखनऊ में स्थित हैं। मेरा इस संबंध में कहना यह है कि ये जो संस्थाएं हैं इनको प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी भेजा जाय।

मैं आपके सामने विशेषरूप से आगरा का जिक्र करना चाहता हूं जो भारत का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है और हमारी कला और संस्कृति का प्रतीक है। वहां पर संसार के कोने-कोने से विदेशी यात्री तथा पर्यटक आया करते हैं। इसलिए स्थापत्य कला के बारे में जहां पाषाण की सुन्दरता, पत्थर की एनग्रेविंग का जो काम आपको ताज में मिलेगा वह अद्वितीय है। एतमा-दुद्दौला और दयालबाग को आप देखें, उसमें भी पाषाण की सुन्दरता दर्शनीय ह। इन सबमें पत्थर की आत्मा डालने की जरूरत है।

दूसरी बात ललित कलाओं का केन्द्र लखनऊ में स्थित है। किन्तु आगरा बहुत प्रारम्भ से मूर्तिकला का केन्द्र रहा है और आज भी ह। यह कला फारस, ईरान से हमारे देश में आई और इस कला के कारीगर पांच सौ, छ सौ वर्ष पहले यहां आएं। उनके वंशज आज भी वहां हैं जो मूर्तिकला का काम कर रहे हैं। वे मारबेल की मूर्तियां बनाते हैं, जिसका अद्भुत नमून ताज है, वह कला उस वक्त ईरान से आई। जरदोजी के कारीगर भी आए, उनके वंशज भी वहां पर हैं और उन्होंने अपनी कारीगरी में देश और विदेशों में बहुत नाम कमाया है जरी और मारबेल के काम पर वहां के लोगों को नेशनल एवार्ड मिला हुआ है। इसलिए यह जो कार्यालय लखनऊ में स्थित ह, उसको भी आगरा में होना परम आवश्यक है। इसके अलावा आगरे का दरी-गलीचे व मिट्टी के खिलौनों का काम भी भारत प्रसिद्ध है तथा आगरा के समीप स्थित फिरोजाबाद

[श्री गुलाब सेहरा]

नगर अपने कांच के काम, डिकोरेशन पीस के लिए प्रसिद्ध है। वहां ग्लास का काम, ग्लास इंडस्ट्री घर-घर में कायम है। इसलिए ललित कला इंडस्ट्रीज का कन्द्र आगरा में होना चाहिए।

अब एक बात मैं भारतीय संस्कृति के बारे में भी कहना चाहता हूं, उसमें यदि आप देखें तो पाएंगे कि श्रीकृष्ण का एक प्रमख स्थान है, भारतीय संस्कृति के वह केन्द्र बिन्दु रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण का योगदान भारतीय संस्कृति में अविस्मरणीय है। और उनसे सम्बन्धित तीन कलाएं-वादन, गायन व नृत्य गायब हो जाएंगी यदि श्रीकृष्ण का नाम निकाल दिया जाए लेकिन वृज क्षेत्र में जहां श्रीकृष्ण पैदा हुए और जो उनकी लीलास्थली रही है, वहां संगीत नाटक अकादमी होनी चाहिए। किन्तु आज संगीत नाटक अकादमी वहां से अलग है। यह अकादमी वहीं स्थापित होनी चाहिए।

वहां पर विशेष रूप से महाकवि सूरदास का एक स्मारक होना चाहिए जो कृष्ण साहित्य के अमर रचयिता रहे हैं। सरकार को सूरदास स्मारक समिति बनानी चाहिए या वहां पर जो सूरदास स्मारक मंडल है, उसको विभाग की ओर से अनुदान मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि ब्रज काव्य का जो माधर्य है, उसके साथ-साथ लोकगीत, संगीत, नौटंकी, लोकनृत्य, रसिया, ख्याल आदि जो है, वह भी हमारी परम्परागत धरोहर है। उसकी सुरक्षा के लिए भी इस विभाग की ओर से काफी ठोस काम होना चाहिए। इसके अलावा कठपुतली, नौटंकी, नृत्य जो वहीं की देन है, और जो अब लखनऊ तक और उधर देहरादून तक पहुंच गया है, राजस्थान तक पहुंच गया है, इन सबको ओर भी इस मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए।

शास्त्रीय संगीत की महान् सृष्टि के रूप में संगीत अकादमी लखनऊ में है। संगीत के, ध्रुपद के महान् ज्ञाता स्वामी हरिदास, तानसेन के गुरु का जन्मस्थल और संगीत स्थल वृन्दावन रहा है। वहां हरिदास संगीत सम्मेलन होता रहा है। हरिदास के नाम से इस विभाग की ओर से संगीत विद्यालय वृन्दावन में खुलना चाहिए।

आगरा घराने की गायकी जो खास तौर से खयाल गायकी कहलाती हैं उसमें विश्वविख्यात गायक फय्याज खां रहे हैं। उनकी एक शैली है जो आगरा घराने की एक विशेष चीज है जिसके लिए इस विभाग को एक इंस्टीट्यूशन खयाल गायकी के लिए खोलना चाहिए।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है, आगरा जनपद का सम्बन्ध उर्दू के मशहूर शायर गालिब स रहा ह क्योंकि गालिब का जन्मस्थल आगरा रहा है। गालिब शताब्दी देश में हर जगह मनायी गयी। इस प्रदेश में गालिब का जन्म हुआ है। आगरा में गालिब और नजीर का कोई स्मारक नहीं नजीर जो हिन्दू मसलिम एकता के परिचायक थे, जिनके काव्य में जनवाणी रही है, जिन्होंने अपने काव्य में जनता की आम भाषा का प्रयोग किया है और हिन्दू मुसलिम त्यौहारों पर अपनी शायरी की है, नजीर का भी कोई स्मारक प्रदेश में होना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है।

दूसरी बात विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि सूचना और प्रसार विभाग की ओर से माननीय चन्द्रभानु गुप्त के शासन में कुछ भूमि फिल्म वालों ने गाजियाबाद में ली थी। सरकार की ओर से, फिल्म इंडस्ट्री कायम करने के लिए गाजियाबाद में भूमि आवंटित की गयी थी। लेकिन चौधरी साहब के शासन काल में आबंटित भूमि वापस ले ली गयी। जो लोग इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि प्रदेश में यह इंडस्ट्री लगायी जाय उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसको बम्बई में भी प्रचार किया जाय ताकि वहां के लोग आकर यहां इस इंडस्ट्री को लगा सकें।

दूसरे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपना उद्योग यू० पी० में लगाना चाहते हैं उनके साथ दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश को उनको कोई सूचना नहीं मिलती

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि दो-तीन जगह जो औद्योगिक नगरियां हैं दो-तीन सूचना केन्द्र सूचना विभाग की ओर से खोले जायं जैसे मदरास, बम्बई, और कलकत्ता है। जहां के उद्योगपति कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वहां प्रदेश के मामले में मालूमात कर सकें। वह जो 29 सूचना केन्द्र सूचना विभाग की ओर से हैं इसमें कुछ प्रमुख नगर छूट गये हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो नगर छूट गये हैं उनमें सूचना केन्द्र खोले जायं। मैं कला और संस्कृति और सूचना प्रसार बजट का समर्थन करता हूं और पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चर्चा में मुझे टाइम दिया।

*श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)---

माननीय महोदया, आपने मुझे मौका दिया, कि मैं जो सूचना और प्रसार के सिलसिले में तजवीज पेश है या बजट आया है उस पर मैं अपने खयालात का इजहार करूं इस सिलसिले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके द्वारा सरकार से अर्ज करता हूं, मोहतरमा, कि इस विभाग की जब बुनियाद पड़ी थी उनका मन मकसद यह था कि सरकार जो काम अवाम के लिए करेगी, जनता के लिए करेगी, जनता के भविष्य का मसला जो तय करेगी इसका सीधे अवाम से रिश्ता कायम करना होगा। अवाम तक पहुंचना होगा। इसका प्रसार न केवल अखनऊ में बल्कि सारे प्रदेश के एक-एक जिले में शाखायें खोली जा चुकी थीं। लेकिन इसका कम रफ्ता-रफ्ता पार्टी प्रचार का साधन बनकर रह गया है। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा, कहा जाता है कि कांग्रेस के प्रचार का यह एक साधन बनकर रह गया है यह महकमा। यह गल्ती चौधरी साहब ने की है। लेकिन मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर चौधरी साहब ने गल्ती की है तो क्या आप उसको दोहराने में ही फख्र समझेंगे। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी दलील नहीं है कि अगर कोई गल्ती करे तो हम भी गल्ती करें।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि आज सूचना विभाग का क्या काम रह गया है। इन अखबारों के जरिये हम अपने खयालात का इजहार करते हैं। जो अखबार सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं क्या उनको दूसरे अखबारों की तरह ही एडवरटाइजमेंट्स दिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि उन अखबारों के साथ नाइंसाफी होती है। अखबारों में भेदभाव पैदा किया जाता है। जो अखबार सरकार की गलत नीतियों की तारीफ किया करते हैं उनको खूब एडवरटाइजमेंट दिये जाते हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि इस महकमे को कायम करने का जो मकसद था उसका दुरुयोग किया जा रहा है। मैं एक मिसाल एवाम के सामने पेश करना चाहता हूं। जिस कदर पोस्टर्स यह महकमा शाया करता रहता है। इन पोस्टर्स के पूरे के पूरे बंडल वैसे ही बंधे रखे रहते हैं और जब चुनाव का वक्त नजदीक आता है तब इनको निकाला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले चुनाव में हजारों पोस्टर्स दिखाई पड़त थ। क्या यह पोस्टर्स सूचना विभाग के नहीं थे? मैं समझता हूं कि इनको बन्द होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि वह लोग जिन्होंने तवारीख के पन्नों में कोई इजाफा नहीं किया है और जिनका लिटरेचर में कहीं सुनाई नहीं देता है ऐसे लोगों की किताब छापी जाती हैं। यह सरकारी अफसरों दुमछल्लेहों और उनकी चमचागीरी करते हैं। ऐसे लोगों की किताबें छापी जाती हैं जिनका जनता से, अवाम स कोई मतलब नहीं होता है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस महकमे से जो यह काम लिया जा रहा है उसको रोकना चाहिय ताकि जिस मकसद से यह महकमा खोला गया था उससे फायदा उठाया जा सक। जैसे-जैसे यह मकहकमा अपने फर्ज से कोताही करता गया इसकी शाखाय उखाड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जफर आजमी]

कर फेंक दी गई। अब केवल लखनऊ में ही इसका काम रह गया है। यह अपने काम को अंजाम न देकर एक महदूद दायरे के अन्दर केवल पार्टी विशेष के काम को ही अंजाम देता है। लिहाजा यह काम बन्द होना चाहिये।

मैं आज सरकार से कहूंगा कि इस पर और फरमायें। मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और मैं उनसे एग्री करता हूं। उनके सुझाव बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हर चीज पश्चिम में ही नहीं चली जानी चाहिए। हर चीज आगरा में ही नहीं होनी चाहिये। हमारे यहां भी मौलाना शिबली और राहुल जैसी हस्तियां पैदा हुई हैं। ऐसी विभूतियां हमारे पूरब में पैदा हुई हैं। इनकी यादगार के लिये कुछ न कुछ पूरब में भी बनाया जाना चाहिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से मामले को नोट किया जायेगा। मौलाना शिबली और राहुल साहब के लिये कोई ऐसा मुकाम बनाया जायेगा जिससे उनकी याद हमेशा ताजा बनी रहे। कौन इन्सान ऐसा है जो उनके नाम को नहीं जानता है। हमारे इतिहास में उनका नाम रोशन हैं। मैं आपके जरिये सरकार से कहूंगा कि ऐसी यादगार कायम करने का इन्तजाम करें तो मैं समझूंगा कि उनके साथ इन्साफ हुआ है। अब मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मझे बोलने का मौका दिया। इन शब्दों क साथ म खतम करता हूं और दूसरे माननीय सदस्य को बोलने का मौका दें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अभी हमारी पार्टी को मौका नहीं दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी पार्टी के सदस्य ने कटमोशन दिया है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मलिक जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको समझने की कोशिश मैंने की। उसका कारण यह था कि उन लोगों से ज्यादा आशा नहीं थी जो 55 वर्ष से अधिक हो गये हैं और जो 55 वर्ष से कम हैं उनकी ओर कभी-कभी जरूर ध्यान आ जाता है और यह समझता हूं कि ये मार्ग-दर्शन देंगे, लेकिन मुझे यह लगा कि जिस तरह से लोग किस्सा सुनाते हैं उसी तरह से मुझे लगा कि उनके भाषण में ह। जैसे बढ़ते कदम की बात की गई कि यह इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिखाया गया है। तो मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार के इनफार्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट कहीं बीच में नहीं था। दूसरी बात लोहिया पार्क के बारे में कही गयी। यह प्रस्ताव नगर महापालिका का था। उस पार्क में लोहिया जी की मूर्ति भी रखी है। उसे नगर महापालिका द्वारा लोहिया पार्क कहा जाता है। अगर इस बात की कोशिश की जाती है कि उसका नाम बदलें, तो मैं कह सकता हूं कि वह गलत है। सरकार किसी पार्क को क्या कहता है, इससे हमारा मतलब नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

रेडियो आप सुनते हैं? वह कह रहा है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

वह एडवरटाइज होता है। इस तरह से कुछ बातें और भी हैं। इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के ऊपर आरोप लगाया गया है तो उसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि सदन

में जो पुस्तकें फाड़ी जाती हैं, उसको प्रकाशित करने में इनफार्मेशन डिपार्टमेंट नाकामयाब रहा है। इनफार्मेशन डिपार्टमेंट की यही खराबी है कि उसको अखबारों में छपने के लिये नहीं देता। तो इसमें इनफार्मेशन डिपार्टमेंट की कमजोरी जरूर है और उसके विरुद्ध जो क्रोध है, वह है। प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र के सम्बन्ध में नयी वल्यूज बन रही है। जो असेम्बली चुन ली जाये उसको तोड़ दिया जाय। यह नये इतिहास की रचना हो रही है, लेकिन अभी यह बन नहीं पाया है। एक बात और है कि जिस पुस्तक का जिक्र किया गया। जो लोग डाक्टर साहब के चरणों पर बैठते थे वह जानते हैं कि डा० लोहिया के क्या विचार थे। उनका विचार था कि जब कोई पुस्तक लिखी जाये तो उसमें बड़े 2 लोगों के ही नाम नहीं आने चाहिये बल्कि एक कामन मैन का नाम आना चाहिये।

मलिक को उस किताब में यह देखना चाहिये कि सूचना विभाग की तरफ से छपी है जिसमें एक भी बड़े आदमी की बात नहीं है। उसमें जेलर का नाम दिया गया है जिसके सम्बन्ध में 9 सफे में लिखा गया है। उस किताब में प्रधान मन्त्री का जिक्र नहीं है जितना कि जेलर का है। तो इनफार्मेशन डिपार्टमेंट ने यह तो उनकी नियत के हिसाब से समाजवादी दिशा में कदम उठाया है। उनकी सराहना करनी चाहिय। मान्यवर, म इस बात की ओर ध्यान दिला रहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि इनफार्मेशन डिपार्टमेंट में जितनी मदें रखी गयी हैं उसकी धनराशि और बढ़ायी जानी चाहिये ताकि कटौती का प्रस्ताव लाया जाये। कटौती का प्रस्ताव लाया गया और यह कहा गया कि इसको घटाकर एक रुपया कर दिया जाये। इसका मतलब यह है कि जितना काम हो रहा है उसकी सूचना जनता तक न पहुंच पाये। अगर वह जनता तक नहीं पहुंच पाती है तो हम लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र की बात करते हैं वह नहीं हो पायेगी।

इस कारण मेरा विचार है कि इस मद में जो धन रखा गया है उसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिये और इसको पास किया जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने जिक्र किया। कोई साथी इनफार्मेशन पर बोलते-बोलते विश्वविद्यालय पर पहुंच गया कई और साथी बोले वे बोलते-बोलते किसी दूसरी चीजों की ओर इशारा किया, लेकिन सूचना विभाग की तरफ किसी ने ठोस सुझाव नहीं दिये। उत्तर प्रदेश सरकार को इनफार्मेशन डिपार्टमेंट की अहमियत पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकार का यह इरादा है कि 10 मिनट की फिल्में बनायी जायें और उनमें सरकार द्वारा जो नये-नये कदम उठाये जा रहे हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाये और जनता के अन्दर सही रूप रख सके। शिक्षा क ऊपर बोलते हुए मलिक ने कहा था कि आज विद्यार्थियों को मार्ग-दर्शन नहीं हो पाता है और वह फिल्में देखने चले जाते हैं। इससे उन पर प्रकाश पड़ेगा। उनको मालूम होगा कि क्या हो रहा है।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आम जनता को भी मालूम हो जायेगा कि क्या हो रहा है। मजदूरों और किसानों को जो इनफार्मेशन पहुंच नहीं पाती है। जितनी चीजें हैं उनकी जो इनफार्मेशन है वह बड़-बड़े नगरों के अन्दर होती है। बड़े-बड़े शहरों के अन्दर होती है और बड़े-बड़े अखबारों क अन्दर सूचना विभाग की तरफ से खबर निकलती हैं।

मैं यह चाहता हूं कि इतिहास के अन्दर, आम आदमी में, गरीबों में, मजदूरों में उन बातों की चर्चा होनी चाहिये ताकि उनकी रुचि जो है इन सारी बातों की ओर हो और जो मसला आज उठता है उत्तर प्रदेश के अन्दर, जो स्कीमें बनती हैं, जो चीजें होती हैं उन सबके बारे में उनकी सूचना जो है वह मिल सके। एक तस्वीर के बारे में भी जिक्र किया गया कि

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

मा० मुख्य मन्त्री जी की एक तस्वीर सूचना विभाग ने धन्यवाद के लिये छाप दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पहले एस० वी० डी० के जमाने में कोई किताब ऐसी नहीं निकली जिसमें चौ० साहब की तस्वीर नहीं मिल सकी हो। डा० लोहिया साहब को सफेद रंग से प्यार नहीं था, सांवले रंग से प्यार था। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मा० राम सेवक जी से कहना चाहता हूं कि इसीलिये राम सेवक यादव जी से डा० लोहिया को बहुत प्यार था।

श्री अध्यक्ष---

आप ही की तरफ से जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को तो पांच-पांच मिनट तक बोलने के लिये कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। जो प्वाइन्ट हों, वह आप लोग लिखकर दे दें मलिक जी को।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) (व्यवधान)

अब यह वोट ढाई बजे खत्म होना चाहिये। अब दूसरे अनुदान भी अभी हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, पांच-पांच मिनट का टाइम दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

यह आपको कैसे शिकायत हो सकती है ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मान्यवर, मैं यह गंगा जल ढूंढ़ कर लाया हूं। यह गंगाजल हजारों के लिये है।

श्री रामायण राय---

इस ग्रांट पर कितनी बहस हो यह नेता विरोधी दल ने तय किया था कि आधा दिन चाहिये और उन्होंने यह तय किया था कि ढाई बजे इस पर वोट होना चाहिये और बजट के मामले में मान्यवर स्वयं जानते हैं कि जो समय निर्धारित होता है उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। मा० मलिक को अगर कुछ कहना है तो उनसे कहलाइए उसके बाद मन्त्री जी को जवाब भी देना है।

श्री अध्यक्ष---

यह आप माननीय मन्त्री जी के यहां जाकर गंगा जल दें और अखबार वालों को लेकर जाइए, सब छप जायगा। जो सही चीज है उसको तो छपना चाहिये।

*श्री सत्यपाल मलिक---

अध्यक्ष जी, मा० सदस्य ने जो बहस में बातें कही हैं मैं संक्षेप में सिर्फ जो बातें कही हैं उन्हीं का जवाब देना चाहता हूं। जब बजट में कोई कटौती का प्रस्ताव करता है, विरोधी पक्ष का आदमी और जब सत्तारूढ़ दल के लोग बहस करते हैं तो वह उस व्यक्ति पर नहीं करते हैं, उस बजट पर करते हैं। मान्यवर, रामायण राय जी ने कहा कि मौजूदा कहानी सदन में नहीं करना चाहिये। मान्यवर, मेरी जानकारी बहुत कम है, लेकिन जितनी भी कोशिश मुझ से हो सकती है तथ्यों को इकट्ठा करने में उतनी कोशिश करता हूं। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था करिये कि विरोधी पक्ष को साधन जुटाने का अवसर मिलना चाहिये। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब सवाल किये जाते हैं तो मा० मन्त्री जी प्रश्न का जवाब सही नहीं दे पाते हैं, जबकि उनके पास साधन जुटाने के तमाम साधन होते हैं।

मान्यवर, हम लोग जो तथ्य इकट्ठा करते हैं अपनी जानकारी में कोशिश करते हैं कि कोई सस्ती और असत्य बात न करें। रामायण राय जी के दल के नेता ने यह मंजूर किया कि वह किताब गलत थी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आइंदा यह किताब नहीं छपेगी। कोई भी आजाद आदमी उस किताब को पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि वह कोई मौजूदा कहानी की किताब नहीं। जो इतिहास बनते हैं उसमें उनका जिक्र नहीं है। उसमें जो लोग इतिहास बनाते हैं उनका जिक्र न करके और तमाम लोगों का जो लेखक हैं जिनके पास अपनी जानकारी की घटनाएं हैं उनको सरकार के माध्यम से चलाते हैं, जो कि ठीक नहीं।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह विभाग जनता की प्रतिक्रिया है। जो मैंने आपकी रिपोर्ट में पढ़ लिया था, आप अखबारों की कटिंग सरकार के पास भेज देते हैं जिस पर कोई गौर नहीं होती होगी। गेहूं या खाद्य के बारे में जो आपकी नीति थी, उस नीति को फैलाने के लिये किताब लिखी, वह किताब प्रदेश में बट गई। क्या प्रदेश बिना पढ़े और सुने जो अखबारों का नाम नहीं जानता है, लिखना नहीं जानता है उसकी प्रतिक्रिया आपकी नीति के बारे में क्या है ? उस प्रतिक्रिया को जानने का आपके पास क्या साधन है। आपके विभाग का यह फर्ज होना चाहिये कि देहातों में जाकर उन लोगों की राय का सर्वे करें। उन लोगों की राय, प्रतिक्रिया जानें। मान्यवर, टेलीविजन की बात कही गई। मैं टेलीविजन के विरोध में नहीं हूं लेकिन यह टेलीविजन सरकारी इस्तेमाल के लिये प्रचार के लिये एक माध्यम हैं।

आप नये जमाने के जो बड़े औद्योगिक समाज हैं, उनकी नकल करके अपने को आधुनिक समझते हैं। जिन्होंने इनका अविष्कार किया था उनकी राय को पढ़िये। एक पुस्तक है स्क्रीनिंग आफ आमेरिका और दूसरा है रिसीडिंग फयूचर आफ अमेरिका। वहां के विद्वानों ने कहा है और पत्रिकाओं में ऐसे लेख हैं जिनमें कहा गया है कि टेलीविजन एक हद तक समाज विरोधी हो चके हैं क्योंकि यह जिस तरह से प्रचार करते हैं, उनसे लोगों की राय एकतरफा बनती है और जो उत्पादन करता है वे उपभोक्ताओं को अपने विज्ञापनों द्वारा ललचाते ह कि वे उनको खरीदें। तो मेरी प्रार्थना है कि आप टेलीविजन के बारे में पश्चिम के लोगों की जिन्होंने उनका इस्तेमाल किया है, उनकी जानकारी को और उन विद्वानों की बाबत पढ़िये, उनक लेखकों को पढ़िये जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि टेलीविजन प्रचार का अच्छा माध्यम नहीं है और यह एकांगी प्रचार करता है, एक तरफा प्रचार करता है। रेडियों पर जो आपके विज्ञापन आते ह, उनमे लोहिया का नाम पार्क के संबंध में नहीं आता है। दहेज की बात एक सामान्य चीज की बात आपके सामने उठी। आप गरीबी हटाना चाहते हैं, फिजूल खर्च को खतम करना चाहत ह तो कोई पाबन्दी होनी चाहिये कि जो विज्ञापन आपके यहां से प्रसारित किये जायें उनमें ऐसी चीजों का जो विलासिता की चीजें हैं, उनको खरीदने के लिये साधारण जनता न ललचाये।

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि जो पुस्तकें आपकी छपी हैं, या आपने छपवायी हैं, या एस० बी० डी० की सरकार ने छपवायी हैं, आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये कि सदन की एक सर्वदलीय समिति आप बनायें जो सारे साहित्य की जांच करे। वह यह भी देखे कि कितनी पुस्तकें छपी हैं, कितनी बंटी ह, कितनी पड़ी हैं। कितना रुपया लेखकों को दिया गया है। कितना ट्रांसलेटरों को दिया गया है और जिन लोगों को यह काम दिया गया है, वे योग्य हैं या उनसे भी योग्य लोग हैं। ये सारे मामले आपके विभाग में भ्रष्टाचार के द्योतक हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर छपवाने का विरोध नहीं करता हूं लेकिन आपको चाहिये कि इन पुस्तकों

[श्री मत्यपाल मलिक]

में सरकार की नीतियां छपें। अगर कोई चीज छपनी है तो वह सरकार के बारे में छपे, उसमें मंत्रियों की तस्वीर न छपे। क्योंकि मंत्री स्वयं में सरकार नहीं है।

अब मैं एक और बुनियादी बात पेश करता हूं। यह जो आपका विभाग है उसका इस्तेमाल सही काम में नहीं हो रहा है। इसको साबित करने में एक बड़ी दिक्कत होती है। स्टेट और पार्टी, दोनों के बीच में एक बहुत कमजोर धागा रखते हैं। आप कहते हैं कि स्टेट का काम करते हैं लेकिन विरोध पक्ष कहता है कि पार्टी का काम करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप एक समिति का गठन कर दे जो इस विभाग के कामों की जांच करे। खोज के मामले के संबंध में मेरा निवेदन है कि जितने खोज के मामले आपके सूबे में हो रहे हैं, वह उत्पादन नहीं निरर्थक खोज है। जिस विभाग के सारे कामों में गलतियां हों तरह-तरह की शंकायें हों, उस विभाग पर मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, सदन उसका अनुमोदन करे।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया और मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन किया है।

सम्मानित सदस्य मेरठ ने विवाद को, अपना कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए, एक सैद्धांतिक और नीति के स्तर तक ले जाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश में बोलने की आजादी तो है, लेकिन यह सूचना विभाग का उदाहरण देते हुए, लिखने की आजादी कमजोर है। मैं उनसे दुर्भाग्यवश इस मामले में असहमत हूं। मैं बोलने की आजादी को भूंकने की आजादी नहीं कह सकता। मुझे जरा दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी तो केवल भोंकने की आजादी है।

श्री सत्यपाल मलिक––

निजी स्पष्टीकरण कर दूं। मैंने यह कहा था कि लिखने की आजादी नहीं होनी चाहिये, मैं यह नहीं कहता। आप मेरा वाक्य नोट कर लीजिए, आगे चलकर बहुत काम आयेगा, उसको समझ लीजिए। हमारे यहां बोलने की आजादी है। हम सरकार के विरोध में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसको जनता तक फैलाने के साधन जितने आपको हैं उतने हमारे पास नहीं हैं। बोलने के साधन हैं, लेकिन उसको फैलाने के साधन नहीं हैं इसलिए लोकतन्त्र ठीक से नहीं चल रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

उन्होंने कहा कि "आगे को काम आयेगा" तो उसका अभी इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारा कहना यह है कि लिखने की आजादी का मूल्यांकन सूचना विभाग से नहीं हो सकता। सारे संसार में लिखने की आजादी का मूल्यांकन सूचना विभाग से नहीं हुआ। सूचना विभाग तो सरकार का एक अंग है। किसी पार्टी की सरकार किसी देश में हो, उसकी नीतियों और उसके कार्यक्रम को जनता को सूचित करने की आवश्यकता होती है और इसीलिये उसके अन्तर्गत एक विभाग होता है जो उसकी नीतियों और सूचनाओं को, बिभिन्न विभागों के कार्यकलाप का प्रकाशन करके वितरित कराता है। अगर हम सूचना विभाग के तमाम कार्यकलाप को लेकर लिखने की आजादी का मूल्यांकन करने लगें तो इतिहास के प्रति न्याय नहीं होगा।

अब इसमें फ़्रीडम आफ दि प्रेस है। हजारों समाचार पत्र हमारे देश में हैं। तो लिखने की आजादी है या नहीं है, वह इसी से हम मूल्यांकन करेंगे कि संविधान की मर्यादा के अन्तर्गत हमारा प्रेस क्या लिखता है किताबें क्या लिखती हैं। हमारे प्रदेश में कई सरकारें रहीं जिन्होंने

सूचना विभाग का इस्तेमाल किया। मेरे पास इस समय वह सब है। तो जितनी सरकारें आयीं उन सबने अपने-अपने सूचना-पत्र भाषण सूचना विभाग के माध्यम से निकाले। जिस समय यहां एस० वी० डी० गवर्नमेंट थी, माननीय श्यामलाल यादव उस समय सूचना मन्त्री थे। उस समय जो बजट उन्होंने पेश किया वह मेरे पास मौजूद है। उन्होंने स्वयं सूचना विभाग के बारे में कहा कि "सूचना विभाग का ऐसा गठन किया जा रहा है जिससे वह अधिक से अधिक उपयोगी हो। सूचना विभाग का काम होता रहे, जैसे कि समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित करनी है, शासन द्वारा कुछ प्रकाशित करवाने की आवश्यकता होती है, फिल्म आदि का प्रदर्शन करवाना होता है, आदि वह काम होते होंगे।" आगे कहा, "जिससे सरकार की तरफ जितने काम हैं वह सबके सब उसमें आते रहेंगे। उसके द्वारा सब सूचना मिलती रहेगी।" तो यह तो सूचना विभाग का सामान्य कार्य है। इसको हमें कोई बड़ी वैदान्तिक या फिलास-फिकल हाइट्स में नहीं ले जाना चाहिये। केवल एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि सूचना विभाग ने जो प्रदेश के मासिक, साप्ताहिक पत्र छपते हैं, जिले के भी छपते हैं तो उसने 1,65,555 समाचार-पत्रों का संकलन करके 5,50,615 कटिंग्स भेजीं आफिसर्स के पास और तमाम विभागों में ताकि यह पता चल सके कि जनता क्या शिकायत कर रही है। जिलों में अक्सर पत्रों के सम्पादकों के नाम पत्र लोग लिख देते हैं। सबके ऊपर सवाल भी नहीं हो सकते। तो यह एक बहुत बड़ा महत्व का काम है कि कहीं जिले में कोई समाचार-पत्र कुछ छापता है उसकी कटिंग यहां भेजना, फिर उसकी जांच होगी, उस पर कार्यवाही होगी--यह बहुत बड़ा कार्य सूचना विभाग कर रहा है जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया।

अब रेडियो टेलीविजन का जहां तक सम्बन्ध है उनका नियंत्रण प्रदेशीय सरकार का नहीं है। हां, इसका अवश्य सूचना विभाग से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। रेडियो-टेलीवीजन की क्या विचारधारा हो, इसमें भिन्न-भिन्न रायें हो सकती हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां टेलीविजन, रेडियो व्यक्तिगत सम्पत्ति है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां कारपोरेशन या विभाग उन्हें चलाते हैं। साधन सम्पन्न देशों में सैकड़ों रेडियो, टलीविजन स्टेशन हैं जिनमें आपस में कम्पटीशन होता है, केवल विज्ञापन के आधार पर वह चलते हैं, कोई लाइसेन्स फी वगैरह उनको नहीं देनी पड़ती, जिसकी चाहें सुन सकते हैं रेडियो, टेलीविजन रख कर। बहुत से दुनियां के देश ऐसे हैं जहां दोनों पक्षों को रखने की कोशिश रेडियो, टेलीविजन करते हैं। अगर सवा सात की न्यूज रेडियो पर सुनें तो विरोधी दल और शासक दल, सब के नाम सुनने को मिलते हैं। मैं नहीं कहता, बहुत से नाम रह भी गये हों मन्त्रियों के भी सदस्यों के भी, लेकिन कभी-कभी विरोधी दल के नाम ज्यादा आते हैं। आल इंडिया रेडियो की जो कमेन्ट्री होती है वह जो निस्पक्ष विचार के लोग होते हैं उनसे करायी जाती है। तो केवल सरकारी पक्ष का प्रचार होता है, ऐसी बात नहीं है।

किन्हीं सम्मानित सदस्य ने कहा कि विज्ञापन केवल प्रचार के लिये दिये जाते हैं और पत्रकारों को खरीदने की चेष्टा होती है। मुझे दुःख हुआ इस बात को सुनकर। हमारे प्रदेश और देश के श्रमजीवी पत्रकारों की अपनी मर्यादा और गरिमा है और जो उनको खरीदने की चेष्टा करेगा वह स्वयं पीछे हट जायगा, खरीदने की बात तो उसके दिमाग में ही नहीं आ सकती। अगर कोई इस प्रकार की बात सोचे तो यह बिल्कुल अमर्यादापूर्ण है। जो हमारे पास आंकड़े हैं, 750 विज्ञापन दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक अखबारों को दिये गये। 219 हिन्दी, उर्दू साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन जारी किये गये हैं इस विचार से नहीं कि कौन सरकार की प्रशंसा करता है। यह हो सकता है कि किसी पत्र में किसी मिनिस्टर का भाषण आ जाय और उसी में कटु आलोचना भी हो। हमारे तरुण भारत, पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, नवक्रांति, देहात आदि अखबार हैं जिनके लिये इस बात की चेष्टा की जाती है कि जिस नियम के आधार

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पर दूसरे पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं उसी प्रकार इनको भी विज्ञापन दिये जायं । मुझे दुःख है कि मुझे नाम लेना पड़ा, मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन उदाहरण के लिये मुझे कहना पड़ा और मैं माननीय सदस्य मेरठ और अन्य सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी यह नीति जारी रहेगी । जो सरकार विज्ञापनों के आधार पर चलना चाहती है वह किसी माने में अपने को लोकतन्त्रीय आधार पर चलने वाली सरकार नहीं कह सकती है ।

जहां तक सरकारी प्रकाशनों का सम्बन्ध है, हिन्दी समिति के प्रकाशनों का सारे देश में बड़ा महत्व है । 222 पुस्तकें हिन्दी समिति ने छापीं जिसमें भानु प्रताप सिंह जी की भी पुस्तक है । वह कृषि के पंडित हैं, विचारधारा उनकी कुछ भी हो । आचार्य दीपंकर, कोई उनकी विचार धारा हो, उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई । और जो लब्धप्रतिष्ठ विद्वान हैं सारे देश के, उनकी किताबें छापीं ।

जो दूसरा सुझाव दिया गया कि विज्ञापनों को फैशन या विलासिता का आधार नहीं बनाना चाहिये, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं । लेकिन हमारे सूचना विभाग के विज्ञापन ऐसे नहीं जाते । हम तो जो शासन के कार्यकलाप हैं उनका उल्लेख करते हैं । अगर कोई कानून इस विषय में बनना है तो यह केन्द्रीय विषय है । केन्द्रीय सरकार ऐसा कानून बनाये कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम किस प्रकार लिया जाय या राष्ट्रीय झंडे का किस अवसर पर प्रयोग किया जाय । लेकिन विज्ञापन लिखना भी एक कला है ।

आज तो बड़ी-बड़ी फर्म्स एडवरटाइजमेंट की खुली हुई हैं । तो यह प्रश्न बिल्कुल अलग है । कुछ लोगों को तो यह शिकायत रहती है कि सूचना विभाग जो विज्ञापन देता है बड़े नीरस होते हैं, उनमें विलासिता आदि की बात तो आ ही नहीं सकती । अगर कहीं किसी माननीय सदस्य को ऐसी बात दिखायी दी हो तो वे कृपया मेरी नोटिस में लायें, मैं उसे अवश्य देखूंगा । चूंकि ढाई बज रहा है, इस पर वोटिंग होना है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा । जिन माननीय सदस्यों ने जो अन्य सुझाव दिये हैं जैसे अन्य स्थानों पर सूचना केन्द्र खोलने के बारे में, मैं उनका स्वागत करता हूं । नान प्लान एक्सपेन्डीचर को चूंकि हम कम कर रहे हैं, इसलिये हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इस पर कोई तुरन्त निर्णय ले सकें, लेकिन इस प्रकार के केन्द्र अन्य जगह भी खोले जायेंगे । मुझे आशा है वह दिन शीघ्र आयेगा जब हम इस सूचना विभाग को प्रदेश व्यापी संगठन के रूप में पुनर्गठित कर सकेंगे । अपने सम्मानित सदस्य, मेरठ से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को कृपया वापस लें क्योंकि उन्हें भी कभी सूचना विभाग चलाना होगा ।

श्री रामसेवक यादव--

उस समय आप इधर विरोध पक्ष में बैठेंगे और आपकी तरफ से कटौती का प्रस्ताव आयेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29-कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन राशि की पूर्ति के

लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,23,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,26,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36––सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,79,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52––वन अनुदान संख्या 65––पर्यटन, अनुदान संख्या 81––वनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 86––पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

*वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)––

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52–वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,13,73,100 पये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–पर्यटन के अन्तर्गत होने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

वाल परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,99,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81—वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,41,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86—पर्यटन सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, वन विभाग ने जो भी महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, उनकी एक पुस्तिका सभी माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत की जा चुकी है। मैं खास-खास कार्यों को जो वन तथा पर्यटन विभाग ने किये हैं आपके सामने रखना चाहूंगा ।

श्रीमन् सारे माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जितना वन विभाग का क्षेत्रफल है वह अन्य प्रदेशों को देखते हुए कम है । हालांकि वह होना चाहिये था 33 फीसदी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में, वन 17 फीसदी ही हैं । इससे साफ जाहिर है कि हमारे वनों की सुरक्षा होनी चाहिये ।

एक चीज श्रीमन्, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जमीन की कमी की वजह से वनों में जो जमीन खाली होती है वहां पर कृषि के लिये अक्सर जमीन लोग मांगते हैं और लोग जबर्दस्ती वहां पर बैठ जाते हैं । जिससे विभाग को कठिनाई होती है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जहां पर यह लोग जबर्दस्ती बैठ जाते हैं और सरकार को उनको निकालने में परेशानी होती है, वहां पर हमारी मदद करें ।

श्रीमन्, वन विभाग के दो मुख्य कार्य हैं वृक्षा रोपण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 1973–74 में 8,695 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर औद्योगिक वृक्ष लगाये गये हैं । इस वर्ष 7,700 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वृक्ष लगाने का इरादा है । इसी तरह से जो जल्दी उगने वाले वृक्ष हैं 1973–74 में 13,727 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाये गये और इस वर्ष 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगाने का विचार है । इन बनों में शीशम आदि जो औद्योगिक वृक्ष हैं उनको लगाया गया है, इनसे फरनीचर और अन्य कई सामान बनाये जाते हैं ।

इसी तरीके से जो जल्दी उगने वाले वृक्ष हैं, क्विक ग्रोइंग स्पीसीज हैं जैसे यूकेलेप्टस आदि जो कि पेपर और रेयान आदि बनाने में काम आते हैं काफी तादाद में लगाये जा रहे हैं ।

श्रीमन् एक समस्या हमारी पहाड़ी क्षेत्रों की है । वहां के बनों को पंचायत फारेस्ट कहते हैं । विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिये था लेकिन कुछ कारणों से धन आदि के उपलब्ध न होने से हम लोग साइंटिफिक वे में वहां कार्य नहीं कर सके ह । लेकिन इस वर्ष इस कार्य को लिया जा रहा है और 25 लाख रुपया खर्च करके 1 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्लांटेशन करने का विचार है।

3,750 हेक्टेयर भूमि लेकर तार लगाया जायगा जिससे वहां मवेशी न जा सकें और घास उगा सकें । इस कार्य की वजह से श्रीमन् पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सी सुविधायें पहुंचेंगी । इस तरह यह कार्य लिया जा रहा है । श्रीमन् एक समस्या हमारे बन विभाग के सामने

इन्क्रोचमेन्ट की है । जो लोग जमीन पर वहां कब्जा कर लेते हैं या जो लोग बहुत दिनों से काबिज हैं उनको हटाने की दिक्कत है । इसके लिये एक सब कमेटी बनाई गई है और जो वह रिपोर्ट देगी उसके अनुसार इन अनधिकृत काबिज लोगों को हटाने का प्रबन्ध किया जायगा ।

हमारी कुमायूं फारेस्ट कमेटी बहुत पुरानी हो गई है जिसने कि बहुत सी संस्तुतियां की हैं जिनके अनुसार वन विभाग कार्यवाही नहीं कर पा रहा है । श्री भंडारी जी के चेयरमैनशिप में पुनः एक कमेटी बनाई गई है और उसने जो संस्तुतियां की हैं उनको बन विभाग ने मान लिया है और आदेश भेज दिये गये हैं कि उनको मान लिया जाय । उत्तरकाशी और टेहरी में कुछ समस्यायें हैं जिनको दूर करने के लिये भी एक कमेटी बनाई गई है । इस प्रकार मने कुछ खास बातें कही हैं और श्रीमन् माननीय सदस्य भी कुछ सुझाव देंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)––

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–वन में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–पर्यटन में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(इस समय 2 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

श्रीमन् हमारे वनों की दशा अत्यन्त दयनीय है । सन् 1961 में हमारे वनों का कुल क्षेत्रफल 39,770 वर्ग किलोमीटर था जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 13.54 प्रतिशत था और श्रीमन् उसके 13 वर्ष के बाद 1973 में हमारे वनों का एरिया 49,500 वर्ग किलोमीटर है जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 16.8 प्रतिशत है । आपको याद होगा कि नेशनल फारेस्ट पालिसी ने 1952 में यह सिफारिश की थी कि हमारे देश में वनों का जो क्षेत्रफल है वह 33 1/3 प्रतिशत होना चाहिये जिसमें 60 प्रतिशत पहाड़ी भागों में, 20 प्रतिशत मैदानी भागों में होना चाहिये । श्रीमन्, मुझे दुख है कि बहुत कुछ कहे जाने के बाद भी अभी तक इस सरकार ने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया है अन्यथा यह 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी 13 साल में न होकर अधिक होती । श्रीमन्, जहां तक आमदनी का सवाल है तो इस विभाग ने केवल आंकड़ों को दिखाया है लेकिन आमदनी जैसे बढ़नी चहिये उसकी ओर उनकी तनिक भी चेष्टा नहीं रही है ।

1967–68 में राजस्व 1751 लाख 60 हजार था और 1972–73 में 2466 लाख 91 हजार हो गया । श्रीमन् इसका मतलब यह है कि इन वर्षों में 1751 से 2466 लाख रुपये की आमदनी ला पाये । इसको अधिक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि 1967–68 से लेकर 1974 तक मूल्य में 3 गुना बढ़ोत्तरी वैसे ही हो गई । जो पहले 8 रुपया प्रति स्क्वायर फीट लकड़ी बिकती थी आज 24 रुपये के लगभग प्रति स्क्वायर फी लकड़ी बिकती है । इसलिये जो 24 करोड़ की आमदनी हुई है यह कोई आमदनी नहीं है और न ही प्रगति का द्योतक है । तीन गनी आमदनी तो मल्य बढ़ोत्तरी के कारण वैसे ही हो गई । श्रीमन्, मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि सन् 1961 में एक टेक्नो-एकोनामिक सर्वे आफ उत्तर प्रदेश,

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

किया गया था इसके लिये एक कमेटी गठित की गई थी और उसने सर्वे किया था। उसके पी0 एस0 लोकनाथन डाइरेक्टर-जनरल थे और उसने सन् 1965 में अपनी रिपोर्ट दी। उस कमेटी के सुझाव बड़े महत्वपूर्ण थे। काफी परिश्रम के बाद वह किताब छपी। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि फिर से हमारे प्रदेश की उन्नति क लिये कि क्या-क्या हो रहा है और क्या आवश्यक है, इसके लिये फिर से इसी प्रकार की एक कमेटी बैठायें जो 3–4 वर्षों में सर्वे पूर्ण करके अपनी रिपोर्ट दे ताकि हमारे प्रदेश को कुछ लाभ हो सके।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि उस कमेटी की सिफारिशें लागू की जायं। उसने कहा है कि जो व्यर्थ भूमि पड़ी हुई है उसमें जंगल अविलम्ब लगाये जायं, चाहे उनसे अच्छी लकड़ी न मिल सके लेकिन अगर जंगल होंगे तो ईंधन के लिये ही लकड़ी मिलेगी। रोड्स और टेलीफोन की व्यवस्था शीघ्र की जाय। बिक्री पर, उसके नम्बरिंग पर और यह जो काटने का कार्य है उसको बड़े नियन्त्रित तरीके से किया जाना चाहिये और पेड़ लगाने की समुचित व्यवस्था नियंत्रण के अन्दर होनी चाहिये। जब तक रोड्स वगैरह के जो कार्य हैं देरी से होंगे, तब तक हमारी जो सेवायें हैं उनको संगठित करके काम लिया जाय और उसमें अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी यहां आबादी काफी है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनियन्त्रित ढंग से पेड़ काटने अनियंत्रित रूप से जानवरों को चरने देने और स्वतंत्र रूप से वनों के प्रयोग पर रोक लगाई जाय और जिन लोगों को उसमें स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, उनके लिये रोजगार दिया जाय।

मेरा आपके माध्यम से श्रीमन् यह निवेदन मा0 मन्त्री जी से है कि उस कमेटी की सिफारिशों को जैसा लागू करना चाहिये था वैसा विभाग ने लागू नहीं किया। मैंने वन विभाग में प्रशासनिक सुधार के सम्बन्ध में, अगर माननीय मन्त्री जी जानना चाहें तो 1964–65 में जब मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वन विभाग के अनुदान के ऊपर उसको कृपया पढ़ लें। वह एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी मैं उसको दोहराकर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता, मैंने उसमें विस्तृत जानकारी दी थी। एक बार उसको पढ़ लें तो मालूम होगा कि, मैंने बताया है कि कौन 2 से अफसरों को बदलने की जरूरत है और कौन-कौन से अफसरों को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं उनको फिर से दोहराना नहीं चाहता। श्रीमन् मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को वनों से आय कम क्यों? एक तो श्रीमन् पेड़ गिराने और काटने का तरीका बहुत गलत है। उससे बहुत सी लकड़ी क्षय होती है। रेल के जब स्लीपर बनते हैं जो उसमें भी बहुत सी लकड़ी जाया हो जाती है। उनका कोई वैज्ञानिक ढंग काटने का नहीं है। युद्ध के समय भी अनाप शनाप जंगल काटे जाते हैं। इससे जंगलों को बहुत नुकसान होता है और हमारे जंगलों को क्षति पहुंचती है।

दूसरी बात यह कि चरागाहों में अनियंत्रित ढंग से पशु चुगते हैं और वे सारे पेड़ों का सफाया कर डालते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सड़कें हैं जिनके द्वारा वनों तक पहुंच सकते ह व बहुत कम हैं। 1/5 कि० मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर हैं जब कि ढाई किलोमीटर प्रतिवर्ग किलोमीटर होनी चाहिये। ठेकेदार लोग गलत तरीके से पेड़ काटते हैं और हम नियंत्रण नहीं कर पाते जिसके कारण भी हमारे वनों का ह्रास हो रहा है। इसी तरह से प्रशासनिक यूनिट भी बढ़ी है। एक रेन्जर के पास कम से कम चालीस पचास करोड़ रुपये की संपत्ति है और मीलों का एरिया उसके पास है। छोटे से कर्मचारी के जिम्मे लाखों रुपये की आय है। यहां गड़बड़ी हो सकती है और होती है। वनों में पौधे लगाने की संख्या तो हर साल की दी है लेकिन उनमें से कितने जीवित रहे इसकी संख्या इन्होंने नहीं दी है।

मान्यवर, मेरे पास एक कटिंग है 27 जून के नवजीवन की है जिसे मैं पढ़ रहा हूं: लखनऊ में वन विभाग के कार्यालय में दो तथाकथित बड़ी नर्सरियां (पौधघरों) के नाम से बीज खरीदन,

एक दर्जन मालियों की तनख्वाह, अनेक दैनिक वेतन वाले मजदूरों की तनख्वाह, नर्सरियों के लिये बीज, खाद आदि की खरीद के बहाने 50 से 80 हजार तक रुपया खर्च किया जाता है जबकि पौधघर कहीं है ही नहीं, माली, दैनिक मजदूर व अन्य खर्चे सब हवाई हैं। शासन राजकीय कोष के धन की इस विशाल बर्बादी को रोके। इससे पता लग जायेगा कि पौध कैसे खरीदी जाती है और कैसे लगती है।

एक बात यह और निवेदन करना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय। ये अफसरों से मिलकर राजस्व को कम करते हैं। इसी प्रकार मिलों को जो लकड़ी दी जाती है उसको नियंत्रित किया जाना चाहिये। पहले स्टार पेपर मिल को दो आने मन दी जाती थी फिर 40 पैसा कर दिया गया। आज भी बड़ी रियायत पर उन्हें लकड़ी दी आती है। मुझे मालूम हुआ है कि 600 पेड़ एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री को दिये हैं। जो लुगदी बनाते हैं वह लट्ठे बेच रहे हैं। जंगल में अनधिकृत जानवर आकर चुगते हैं इसको भी रोकना चाहिये। मैं आपक माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमें वनों के विकास के लिये जर्मनी का पैटर्न अपनाना चाहिये और म निवेदन करूंगा कि मंत्री जी अपने कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर जर्मनी हो आवें और देख आवें कि वनों का प्रशासन किस प्रकार किया जाता है और उनकी आमदनी क्या है। सन् 61 में जर्मनी में 71 लाख हक्टेयर में 253 लाख क्यूबिक फिट लकड़ी मिली। इसमें 5 प्रतिशत ईंधन की लकड़ी है बाकी इंडस्ट्रियल टिम्बर है। इन्हें 200 करोड़ की आय हुई। इसी साल में उत्तर प्रदेश में जहां कि एरिया ज्यादा था 6 करोड़ 9 लाख की आमदनी हुई मैं यह तो नहीं कहता कि जर्मनी की परिस्थितियां हमारे यहां विद्यमान हैं। लेकिन इस बात से स्पष्ट जरूर है कि कहीं न कहीं कमी है। कुछ आमदनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इसके लिये माननीय मंत्री जी को जर्मनी का सर्वे करना चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जर्मनी में लकड़ी का उत्पादन 3.4 क्यूबिक मीटर प्रति हक्टर है, जबकि हमारे यहां यह 0.69 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर है। यानी जमनी का 40 गुना ज्यादा है। उन्होंने कसे तरक्की की ? प्लाई वुड के कारखाने लगाने, फक्ट्री लगान और दूसरे सभी काम सरकार स्वयं करती है, वहां। मैं वहां की कुछ फीगर्स देना चाहता हूं। एक लाख पचास हजार टन रेयन ग्रेड पल्प, 6 लाख 50 हजार (टैक्स टायल क लिये) टन मेकेनिकल वुड पल्प और 7 लाख 80 हजार टन कमेकल वुड पल्प तैयार की गयी जो कुल मिलाकर 23 लाख टन पेपर का वार्षिक उत्पादन हुआ और 20 करोड़ की आय हुई। जमनी में इस विभाग में 200 करोड़ से आमदनी बढ़कर अब 700 करोड़ हो गयी, जबकि हमारे यहां अब 25 करोड़ से ज्यादा आमदनी नहीं है, जबकि पहले की आमदनी 9 करोड़ 6 लाख रुपये है। तो उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि जमनी ने वनों की तरफ काफी ध्यान दिया है। टेलीफोन की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, उद्योग धंधों का कायम करना, इत्यादि इत्यादि काम वहां पर किये गये हैं।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों पर और जहां वन हैं, वहां उद्योग धंधे स्थापित करें और वहां क लोगों को काम दें। वहां के लोगों का जीवन आखिर वनों पर ही क्यों निर्भर रहे ? कब तक उन लोगों को अपने जीवन-यापन के लिये वनों की लकड़ी काट-कर जंगली बनाय रखेंगे। उनके लिये मिलों की स्थापना करनी चाहिये, छोटे उद्योग धंधों की स्थापना करनी चाहिये जिससे कि वे भले आदमियों का जीवन बिता सकें।

श्रीमन्, मैं कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। जर्मनी में लकड़ी के काटने और उद्योग धंधों के लगाने, ये सभी काम किये जाते हैं। वहां ठेकेदारों से लकड़ी नहीं कटवाई जाती है। वहां 4 से 6 हजार हैक्टर तक एक फोरेस्टर इंचार्ज

[हरीश कुमार गगवार]

होता है, जो यूनिवर्सिटी प्रशिक्षण प्राप्त ग्रेजुएट होता है। उसके नीचे फारेस्ट गार्ड्स होता हैं, जो 500 हैक्टर के जिम्मेदार होते हैं। उसके नीचे फोरेस्ट वर्कर्स होते हैं जो 70 हैक्टर तक जिम्मेदार होते हैं। इन लोगों को इस विषय में ट्रेनिंग भी होती है। हमारे यहां की दुर्दशा अब देखें। एक रेन्जर ह ता है, जिसके ऊपर मीलों का एरिया होता है। 50/60 करोड़ की संपत्ति एक छोटे अधिकारी के हाथ में होती है (इस समय दर्शक दीर्घा से भ्रष्टाचार-जिन्दाबाद के नारे लगाये गये और सदन में पर्चे फेंके गये)।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय इन्द्रलाल पर्चों को न बीनें। कृपया सभी पर्चे मेरे पास भेज दें।

हरीश कुमार गंगवार—

मैं निदवेन कर दूं कि रेन्जर बहुत लो पेड वर्कर होता है लेकिन लाखों रुपये का राजस्व जमा होता है, उसके लिये वह जिम्मेदार होता है। बहुत बड़ा एरिया होता है और वह उसे सभाल नहीं सकता। इसलिये जर्मनी की तरह प्रशासकीय यूनिट को छोटा करना चाहिये और उसमें वेल ट्रेंड आदमी भरती करने चाहिये जिससे वनों की सुरक्षा हो सके और हमारी आय बढ़ सके।

मैं यह चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में लीसा की फैक्टरीज खोली जायं और रिफाइन करके बाहर भेजा जाय। पेपर्स मिल पहाड़ों की तलहटी में खोली जायं, दूर मैदान में उनके खोलने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने से पर्वतीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। मैं यह भी चाहता हूं कि खिलौना उद्योग, अखरोट, दस्तकारी और रेशम के कीड़े का पालन पहाड़ों पर जोर से चालू किया जाय। प्लान्टेशन को आबादी से दूर हटाकर किया जाय। इस ओर भी ध्यान दिया जाय कि हमें जमीन नहीं मिल पाती। भूमिहीन अथवा दूसरे लोग भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं तो आप इस बात पर विचार करें कि 8 हजार फीट से ऊपर वह प्लान्टेशन कर सकते हैं कि नहीं। जब तिब्बत और काश्मीर में इतनी ऊचाई पर पेड़ हैं तो यहां पर पहाड़ 8 हजार फीट की ऊंचाई पर खाली पड़े हैं जहां प्लान्टेशन किया जाय, उसके लिये कमेटी बिठाई जाय और अफसरों से कहा जाय कि वहां प्लान्टेशन किया जाय ताकि जगह की कमी दूर हो।

मैं यह भी कहूंगा कि जहां पर्वतीय क्षेत्रों में हक छीन लिये हैं वहां के रहने वालों के लिये फारेस्ट डिपार्टमेन्ट को स्कूल खोलना चाहिये और उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिये। आपने देखा होगा कि रेलवे अपना स्कूल खोलता है और वहां बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही वन विभाग भी वहां के रहने वालों के लिये स्कूल खोल सकता है और उनकी सहायता कर सकता है। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो ठेका पद्धति है उसे यदि आप समाप्त नहीं करना चाहते तो बड़े प्लाटों को छोटा प्लाट करके नीलाम कीजिये। बड़े प्लाट होते हैं तो बड़े लोग उनको ले लेते ह। गांव समाज दांवर, परगना बाला बेहटा, जिला ललितपुर में 335 एकड़ भमि 1959 में फोरेस्ट सेटिलमेंट आफिसर ने गांव समाज के हक में छोड़ दी थी लेकिन वन विभाग ने उसे आज तक नहीं छोड़ा है। उसे गांव समाज को दिलाया जाय। इसी तरह से गांव की 1248 एकड़ भूमि ऐसी है जो नम है। उस पर खेती हो सकती है लेकिन वन विभाग उसे दबाये हुए है। वन विभाग उस पर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि नम भूमि में प्लान्टेशन अच्छा नहीं हो सकता लेकिन खेती अच्छी हो सकती है। उसे खेत के लिये भूमिहीनों को बांट दिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

इसी प्रकार ललितपुर के गांव सेवरा में 214 एकड़ का एक प्लाट फालतू है जिसमें कोई वन नहीं है और खेती हो सकती है उसे फारेस्ट डिपार्टमेंट ने ले रखा है। इसलिये अच्छा हो यदि

यह प्लाट दूसरे लोगों को दे दिया जाय। इसी तरह के भंडौरा फारेस्ट डिवीजन झांसी में सागौन, खैर, बांस आदि के जंगल वन विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलकर उन्हें कटवा कर चोरी से बेंच दिया। आपका डी० एफ० ओ० और एस० डी० ओ० कारों में घूमता रहा। इससे स्पष्ट होता है कि वे उनसे मिले हुए थे। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करवा ली जाय। इसी प्रकार से थनगनाबीट, लखन्जर बीट, गोंठरा बीट में तीस-तीस कूपों की रक्षा के लिय फारेस्ट गार्ड होते हैं। हर वर्ष एक-एक कूप की नीलामी होती है लेकिन ठेकेदार पूरे तीसों कूपों का सागौन काटकर ले गये। यह भी ललितपुर का ही झगड़ा है। ललितपुर के वनों से अक्तूबर से अब तक 3-4 करोड़ रुपये का लाख ललितपुर तथा उसके आस पास के रेलवे स्टेशनों से बाहर गया और एक भी पैसा रेवेन्यू के हाथ में नहीं आया और आपके वन विभाग को नहीं मिला। लाख का सारा माल जंगलों से निकलवाकर अधिकारियों ने प्राइवेट लोगों के हाथ बेच दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि गोंठें और पीपल के वृक्ष और पलाश के वृक्षों का सफाया हो गया। इस ओर शासन का ध्यान जाना चाहिये क्योंकि अधिकारियों ने इस अनुचित कार्य को कराकर पचास लाख रुपया कमा लिया।

भेंड़ बकरियों का चराना तो सरकार ने जी० ओ० के द्वारा बन्द करवा दिया। इससे विभाग को लूट करने का अच्छा मौका मिल गया। इससे यह हुआ कि राजस्थान से जो बकरियां आती हैं उनसे 10-5 रुपये प्रति जानवर लेकर वे बकरियां चरा रहे हैं और परिणाम-स्वरूप एक भी वन-पत्ती वहां नहीं रही। इसीलिये वाइल्ड फायर नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको अन्त में भी बोलने का समय मिलेगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

तो इन शब्दों के द्वारा मैं कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय प्रदान किया। इस समय सदन में जो वन विभाग का अनुदान पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, वह पर्वतीय क्षेत्र से संबंध रखता है। वहां की वन विभाग से संबंधित बहुत सी समस्यायें हैं। इसके लिये मैं आपके द्वारा माननीय वन मंत्री जी को अपने सुझाव प्रस्तत करूंगा।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिये वन की सुविधा के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर घोषणायें हुई हैं और उसके लिये पर्वतीय वन समितियों का गठन भी किया गया था। इन समितियों ने शासन को जो संस्तुतियां दी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिला स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अभी भी ये संस्तुतियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वैसे तो शासन द्वारा पिछले वर्षों में ही नहीं पूर्व में भी वन समिति गठित की गई थी लेकिन अब गत वर्ष से कुमायूं के लिये एक अलग वन समिति बनाई गई है और गढ़वाल के लिये अलग से बनाई गई है। म आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूगा कि अगर शासन ने इन समितियों को बनाया है और स्थानीय समस्याओं के निस्तारण हेतु अगर उससे कुछ सुझाव लेना है तो जो प्रस्ताव ये वन समितियां पारित करती हैं उनके ऊपर अमल किया जाय। वन समितियों द्वारा इन पारित प्रस्तावों पर कोई अमल नहीं होता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है।

[श्री इन्द्र लाल]

1972 में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव कुमायूं गढ़वाल वन समिति ने पारित किये थे जिसमें उनके प्रस्तावों को पारित करने के लिये जिला स्तर पर भी समितियां गठित की गई थीं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि बावजूद उन समितियों के सेक्रेटरियों के बार-बार लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। हमारी वन सम्पदा राष्ट्र की एक महान सम्पदा है। इसमें शक नहीं कि पर्वतीय प्रदेशों से करोड़ों रुपये की आय राज्य सरकार को मिलती है,इसलिये पर्वतीय क्षेत्र की वन योजनायें कार्यरूप में परिणित हों, यदि आवश्यक है कि जंगल की जगह जंगल लगे और मंगल की जगह मंगल रहे। कुछ समय पूर्व वहां पर बन बन्दोबस्त हुआ। उसके बारे में मैंने निवेदन किया था मान्यवर, कि उसमें ऐसी भारी त्रुटियां हुई हैं, जिससे वहां के निवासियो और वन अधिकारियों के बीच एक बड़ी खाई पड़ गई है। यदि उसको दूर करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता है, उक्त बन्दोबस्त को रिवाइज्ड करने के आदेश नहीं किये जाते हैं तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां की स्थिति दूसरी तरफ चली जायगी और शासन को उस पर निर्णय लेना ही पड़ेगा।

नैपाल की सीमा से लगा हुआ हमारा जो नैनीताल जिला है और उधर जो गढ़वाल और कुमायूं की पर्वतीय तलहटी है, वहां पर सैकड़ों एकड़ भूमि पड़ी है जो अनजाने या जाने में पड़ी है। उसका वन सेटिलमेंट अधिकारियों ने गलत डिमार्केशन कर दिया है। जिससे हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि बंजर पड़ी हुई है। मैं यह नहीं चाहता कि वन भूमि समाप्त हो, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा न हो। नाजायज कब्जों के विषय में बाद में जो विभाग कार्यवाही करता है, उसके लिये अच्छा है कि पहले ही, समय पर सही कदम उठाया जाय। जहां वास्तव में वन भूमि नहीं थी, वह पूर्व तराई-भावर की खाम की भूमि थी और जब कृषि भूमि डेवलप नहीं हो रही थी तो उसको डी-क्लास फारेस्ट घोषित कर दिया गया था, उसको उस वन बन्दोबस्त में रिजर्व फारेस्ट घोषित कर कर दिया गया है। उस पर मैंने जहां मुख्य मंत्री जी का ध्यान, वहीं अरण्यपाल महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया था। वह इस बात को अच्छी तरह समझे हुए हैं। यह वहां भूमि ऐसी है कि जहां पर लाखों रुपया प्लान्टेशन पर खर्च कर दिया गया है। लेकिन वहां पर उसके विपरीत सैकड़ों रुपये की आमदनी भी वन विभाग को नहीं हो पाती है। इसलिये तराई-भावर की तलहटी में जहां भूमि की आकांक्षा में हजारों लोग भटक रहे हैं और गुमराह करने वाले नेताओं के हाथों में खेल-कर शासन के लिये सिरदर्द बने हुए हैं, उनके संबंध में निवेदन करूंगा कि आप वहां के पर्वतीय हरिजन, खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों को चाहे सालभर के ठेके पर, चाहे लीज पर या पट्टा सिस्टम पर उक्त भूमि उनको आप दे दीजिये। जैसी कि समाजवादी शासन की नीति है और जैसा आपके भूतपूर्व सैनिकों हरिजन आदि के बारे में निर्णय किया है। इससे अन्न का उत्पादन बढ़ेगा और भूमिहीनों को आवास देने में सुविधा हो जायेगी। अभी पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ प्लान्टेशन लगाये गये हैं, लेकिन वहां पर वन की प्रकृति के कारण वह सफल नहीं हो पाया है। जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उनको उस पर सोचना चाहिये, यह उनके सोचने की बात है।

जिला नैतीताल में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये दूसरे जिलों में दिया गया है। मगर यह उचित नहीं है। जिससे वन विभाग के शासन में बड़ी भारी कमजोरी आती है और उनको वह ठीक ढ़ंग से देखरेख नहीं कर सकते। उदाहरण के लिये जिला नैतीताल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खटीमा, टनकपुर, हल्द्वानी डिवीजन फारेस्ट का है। उसकी बगल में मिला हुआ तीन चौथाई भाग नैनीताल जिले में सम्मिलित है, नैनीताल वन विभाग के अधिकारी से संबंधित है, 1/8 भाग पीलीभीत डिवीजन में खटीमा रेंज को बनाया गया है जिससे वहां की कार्यप्रणाली में बड़ी भारी असुविधायें हैं। वहां ऐसी भूमि है जो काबिल काश्त है, और प्लांटेशन नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस भूमि को किसी भी हालत में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कृषि के लिये प्रदान कर दी जाय।

हल्द्वानी डिवीजन में एक कालूखेड़ा है जिसमें प्लांटेशन लगाया गया है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, अगर उसमें प्लांटेशन सरसब्ज नहीं होता है और बे मतलब प्लांटेशन के नाम पर घिरा पड़ा है। मैं मानता हूं कि वन हमारे राष्ट्र की बड़ी भारी संपदा है, तो कम से कम वहां पर आपका वन सरसब्ज नहीं हुआ है, कृषि करने के लिये दे दिया। उससे शासन को अवश्य राजस्व प्राप्त होता है। उसमें ऐसी बात नहीं है कि शासन का नुकसान हो। प्लान्टेशनों की भूमि जो बड़े-बड़े समर्थ लोगों को और पूंजीपतियों को दो तीन वर्ष खेती करने के लिये दी जाती है, अगर पर्वतीय क्षेत्रों के भूमिहीनो को भी दी जाय तो समस्या काफी हल हो सकती है। उससे बहुत कुछ सुधार और उन्नति पर्वतीय लोगों की हो सकेगी।

सापट वुड का अलाटमेंट भी शासन द्वारा कुछ फैक्टरियों के नाम से किया जाता है। मुझे संतोष नहीं है। वहां वन संपत्ति की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि नुकसान होता जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र का माल पर्वतीय क्षेत्र से नीचे मैदानी फैक्टरियों में भेजा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र के हित के लिये वहां पर छोटे-छोटे उद्योग, जैसे लीसा उद्योग है, उनका रा-मैटीरियल नीचे को न भेजकर अगर पर्वतीय क्षेत्रों को वास्तविक रूप से विकास की तरफ बढ़ाना है तो उनको इस बात पर हर प्रयास करना चाहिये कि छोटे-छोटे उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में लगा देना चाहिये। जहां तक पर्वतीय क्षेत्र के विकास का प्रश्न है, उसके लिये पर्वतीय विकास परिषद बनायी गयी है, इसके लिये आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसको ताकत नहीं दी गयी है कि वह वहां की जनता की भलाई कर सके। वन विभाग में जो नाजायज नुकसान होते हैं मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम वन विभाग के नुकसान को बचाने के लिये इस किस्म की सेल नियुक्त की जायें जो विभागीय कर्मचारियों को छोड़कर, जंगल विभाग के नुकसान को बचा सकें।

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)--

माननीय सदस्य काफी बोल चुके हैं समय का खयाल रखिये। 12 मिनट आप को बोलते हो गये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय इन्द्रलाल जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपने अन्य सुझाव मंत्री जी को भेज दीजियेगा।

श्री राम चरन शाह--

मैं समझता हूं कि पांच-पांच मिनट टाइम दे दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

बिलकुल नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

तो दस मिनट का वक्त रहेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया। चूंकि आपने समय बहुत कम रखा है।

श्री अधिष्ठाता—

दस मिनट हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

इसलिये ज्यादा ब्यौरे में न जाकर मैं गंगवार जी की कटौती का समर्थन करता हूं। और उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। सरकार की तरफ से मेरे पूर्व वक्ता जो बोले हैं वे पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। मैं उनके पहले के और बाद के वाक्य जो फारमली कहे जाते हैं, उनको छोड़ कर उनके सुझावों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोगों की बात पर न सही उस पक्ष के लोग जो कहें उस पर मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये। ये लोग बहुत दबकर कुछ कह देते हैं तो उस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। कब्ल इसके कि मैं वन विभाग के बारे में कुछ कहूं, हमारे कर्णधार मौजूद नहीं हैं, केवल सिंचाई और वन के मन्त्री मौजद हैं, यह पानी गोमती नदी का है जो यहां की नगर महापालिका जनता को पिला रही है। यह सरकार की नगर महापालिका है और यह जो पानी पिला रही है उसमें कीड़े भरे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इसके ऊपर आज या कल में बयान होने वाला है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार इन अधिकारियों को रख कर जनता में नहीं रह सकती है। विधायकों को हो सकता है कि ट्यूबवेल का पानी मिलता हो, सरकारी कर्मचारियों को दूसरा पानी मिल रहा हो लेकिन नागरिकों को जो पानी मिल रहा, उसमें खली छूट है कि जनता की जिन्दगी को खतरे में डाल दिया जाय। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इधर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये और शुद्ध जल पीने को मिले।

अब मैं अपने प्रस्ताव पर आ रहा हूं। इसके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि 72–73 में मन्त्री जी जो मेरे श्रद्धा के पात्र हैं, बड़े आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। उनके जरिय से हमने शिकायत की थी गोरखपुर के वनों के दो स्थानों के बारे में शिकायत की थी। उन्होंने बड़ी सहृदयता से हमारी बात सुनी और जांच कराने का आर्डर दिया। उन्होंने बाहर के लोगों से जांच कराने की हमारी मांग को मान लिया। उन्होंने बताया कि 3200 पेड़ी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कटवाकर करीब-करीब 35 लाख रुपये की चोरी किया था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को कोई सजा नहीं हुई केवल ट्रांसफर कर दिया गया। वे कोशिश करके और अच्छी जगह पर चले गये और अब 70 लाख रुपये का रोजगार कर लिया होगा। केवल छोटे-छोटे कर्मचारी मुअत्तिल किये गये। छोटे-छोटे काश्तकार जिनके दरवाजे और जंगले बने हुए तैयार थे, उनक घरों पर छापे मारकर उनका चालान कर दिया। 8–10 मील दूर तक जंगल अधिकारियों द्वारा छापे मारे गये। कुछ काश्तकारों पर तो अभी तक मुकदमें चल रहे हैं। हम लोगों को अपने इस काम पर दुख होता है। इसमें विरोधी दल के ही नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के लोग भी थे। सरकार के इस रवैये से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं महसूस करता हूं कि मने बड़ा गलत काम किया। अगर इसी तरह होता रहेगा तो किसानों की क्या दशा होगी। कल जवाब मिल रहा था कि बी0 डी0 ओ0 द्वारा 22 हजार की जगह पर 3 लाख रुपया निकाल लिया गया और गबन कर लिया। सरकारी दल के लोग कहते हकि हम लोग बजट को बुरा कहते हैं और हम लोगों को कोसते हैं। हमारा बुरा कहने का मतलब यह है कि जो रुपये का दुरुपयोग होता है, जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होता है इसके लिये इधर के लोग कहते हैं। उसको आपको सुनना चाहिये और उस पर अमल करना चाहिये न कि मखौल उड़ाया जाय, हंसी उड़ाई जाय।

मान्यवर, जंगल का मैंने जिक्र किया कि 35 लाख रुपये का जिक्र किया गया। अफसर कुचल रहा है। छोटे-छोटे जो कार्यकर्त्ता हैं उनको कुचल रहा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को कहना चाहूंगा कि अविलम्ब उन मुकदमों को छोड़ा जाये। चोर तो आजाद घूम रहा है और बाजार में खरीदने वाला किसान तबाह हो रहा है। मान्यवर, इस तरह से मखौल नहीं करना चाहिये। जंगली जानवरों के सम्बन्ध में मैंने 1958 या 1959 में जब गुप्ता जी मन्त्री थे तब एक सुझाव दिया था कि आप इन जंगलों में जानवरों को पालकर हमारे किसानों को तबाह न बनायें, उनके खेतों को चरागाह न बनाये। जितना रुपया आपको नीलाम करके बनग ओं से इस प्रकार से मिले वही रुपया वह किसान आपको देंगे। जो चहेते कान्ट्रेक्टर हैं उनको मत दीजिये। लकड़ियां दी जाती हैं, साधन दिये जाते हैं उनको। जो बछड़े होते हैं उनको वे बेच देते हैं और कमजोर गायों को छोड़ दिया जाता है। जंगली बछड़ों और गायों से आप दुगुना रकम हमसे लीजिये ताकि उनकी फसल तो बच जाये। हुआ कुछ नहीं। आश्वासन समिति ने हमारे पास लिखकर भेजा था कि यह चीज हमारे सामने पेश हो चुकी है। मैं माननीय राजा साहेब से कहना चाहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें। इससे आपकी बहुत से प्राब्लम हल हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता--

2 मिनट हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

अभी तो हमारा सारा बाकी है। कुछ समय और दे दें मान्यवर, जंगल में जो पेड़ हैं, उनकी कितनी जरूरत है यह किसी से छिपा नहीं है पेड़ों के न होने के कारण देश मरू भूमि होता जा रहा है। अगर माननीय मन्त्री जी हमारे साथ चलें तो हम दिखलायें कि उसको बुरी तरह से सरकारी कर्मचारी द्वारा रौंदा जा रहा है। बड़े-बड़े लोग वहां जाकर शिकार करते हैं और अगर एक हरना गांव में आ जाता है तो गांव वालों से 5-5 सौ रुपया जुर्माना लिया जाता, अगर वह उसको मार देते हैं। जंगली जानवर निकल कर खेतों में आते हैं उनको मारने की इजाजत नहीं है। मन्त्री जी इस तरह का कानून बना रहे हैं कि किसान उनको पूजे और वे उसके खेत को चरते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को जंगलों के किनारे तार लगवा देना चाहिये। इससे जंगली जानवर किसान के खेतों तक नहीं पहुंच पावेंगे और उनकी फसल को नुक्सान नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूं कि जंगल देश की संपत्ति है। लेकिन यह कहां का न्याय है कि जंगली जानवर किसानों की फसल को बरबाद करते रहें और किसान उनको मारे नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

जो पेड़ों की रक्षा करने वाले हैं उनको लगाने वाले ह उनको खाने के लिये राशन नहीं मिलता है और न दूसरी ही चीजें ही मिल पाती हैं। उनको ठीक तरीके से सामान नहीं मिल पाता है। माननीय मन्त्री जी बड़े सीधे और नेक हैं परन्तु इनके जो अधिकारी हैं उनसे काम होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी उनसे सख्ती से काम लें। अन्त में मैं मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

मान्यवर, मैं माननीय वन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, यह बात सर्वविदित है कि जितना हमारा भौगोलिक एरिया

[श्री गोपाल दत्त ओझा]

है उसके हिसाब से हमारे प्रदेश में जंगल बहुत कम हैं । आज हम 1974 में गुजर रहे हैं । लकड़ी की बहुत आवश्यकता है । हमें सुरक्षा और राष्ट्र के लिये लकड़ी की बड़ी आवश्यकता है । लकड़ी की हर आदमी को आवश्यकता है और हर देश को इसकी आवश्यकता है, परन्तु जब हम आंकड़े लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में इसकी खपत बहुत कम है । माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने जंगलों की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं ली है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में वन विकास कार्यों पर क्रमशः 138.82 लाख रुपया, 268.38 लाख रुपया व 832.82 लाख रुपया व्यय किये गये । वर्ष 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाओं में क्रमशः 229.20 लाख रुपया, 186.78 लाख रुपया एवं 214.43 लाख रुपये व्यय हुए । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में कुल 1484.40 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है । पंचम पंचवर्षीय योजना में जो वर्ष 1974–75 से आरम्भ हो रही है वन विकास कार्यों पर प्रस्तावित व्यय 259.10 लाख रुपया है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों के वनों के तीव्र विकास के लिये 15.14 करोड़ की लागत से एक एडिटिव योजना और प्रस्तावित है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं जानता हूं कि सबसे पहले मन्त्री जी का ध्यान वनों के विकास की ओर गया है । उन्होंने विकास के लिये वन विकास निगम की स्थापना की है और यहां के नये-नये उद्योग जो वनों पर आधारित हैं उनको बढ़ावा मिलेगा । दूसरी बात जिसकी माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर सिविल व सोयम वन हैं जो अब तक राजस्व विभाग के अधीन हैं । इन वनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्ध एवं वृक्षारोपण द्वारा विकास हेतु 6.50 करोड़ की योजना पंचम पंचवर्षीय योजना काल में प्रस्तावित है जिसमें वर्ष 1974–75 में 50 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है । तीसरी बात जो कही गयी है वह यह है कि वन उपज पर आधारित उद्योगों को वन उपज आवंटन की सुविधा एवं नये वन आधारित उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है जो प्रति माह बैठती है ।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं । पहला सुझाव मेरा यह है कि इस प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो दूसरे प्रान्तों में नहीं मिलती हैं । देहरादून में सर्प गन्धा एक बूटी होती है जो एक एकड़ में 340 रुपये में लगती है । 3 साल में इससे 1,400 रुपये मिलने लगता है । तो मेरा सुझाव है कि आप इस विभाग में एक निदेशालय बनाइये ताकि वह करोड़ों रुपये की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा सके । आप इसके लिए एक डायरेक्टोरेट बनाइये जैसे चौपाटी में आपने एक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन बनाया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे एक डायरेक्टोरेट स्थापित करने के लिये गंभीरता से सोचें । कहीं ऐसा न हो कि हम दवाईयां यहां तयार न करा सकें और बाहर से मंगाने में हमें फौरेन एक्सचेन्ज की आवश्यकता पड़े ।

1972–73 में फोरेस्ट पंचायत के सम्बन्ध में पर्वतीय जनता की सुविधा के लिये एक नोटिफिकेशन हुआ था परन्तु उससे सारी जनता में घोर असंतोष है और वहां की जनता और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के लोगों से लड़ाई रहती है । हमें हक हकूक की भी अड़चनें हैं और असुविधा हो रही है । इसलिए मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे उस पर गंभीरता से विचार करें और फोरेस्ट पंचायत के जो पुराने नियम हैं, उनके अनुसार विभाग द्वारा काम होना चाहिये और वहां के लोगों को लकड़ी मिलनी चाहिये । हम वनों से 9 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है, लकड़ी से लेकिन वहां के लोगों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है । सहारनपुर में स्टार पेपर मिल है, और बरेली में रेजिन फैक्ट्री है । पहाड़ी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है । करीब स्टार पेपर मिल 20 वर्षों से लकड़ी ले रहा है । इस साल उसने 32 हजार टन की

लकड़ी ली है और कहा गया है कि उसके जो मालिक हैं, उन्होंने बच्चों के 2 लाख कापियां देने का वचन दिया है। अधिष्ठाता महोदय, पहाड़ में 1 से 5 कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 6 लाख है, 6 से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख 38 हजार है और 9 से 12वीं कक्षा में 90 हजार बच्चे हैं। यह क्या है वहां के लोगों का जो अपनी सारी सम्पत्ति बाहर लगा देते हैं, एक्सप्लायटेशन हो रहा है। आज उनके विकास के लिये कुछ भी नहीं हो पा रहा है।

स्टार पेपर मिल को जो लीज दिया गया है मेरी प्रार्थना है कि उसका पुनरावलोकन, रेव्यु किया जाय। इससे सारे पहाड़ के जनता में असंतोष है। पहाड़ के क्षेत्र में रहने वाले का जीवन जंगलों पर आधारित है। हमारी एकोंनोमी उस पर आधारित है। 1911 में जो फोरेस्ट का सेटिलमेन्ट हुआ था, वही चला आ रहा है। आज वहां की आबादी बढ़ गयी, इसलिए उसके रिवीजन की आवश्यकता है। आज पहाड़ी शहरों में आप जाइये, वहां पर जलाने वाली लकड़ी नहीं है। जलाने के लिये लकड़ी कोयला बरेली वगैरह से मंगानी पड़ती है और पत्थर का कोयला भी बाहर से मंगाना पड़ता है, पहाड़ में ऐसा कोई उद्योग नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इस इलाके की गरीबी को दूर करने के लिये आप सोचें? स्टार पेपर मिल को टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी दी जाती है। मेरी प्रार्थना है कि उसके लिये कुमायूं और गढ़वाल में एक विलायक निस्सारण यंत्र (सौल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लान्ट) स्थापित किया जाय जिससे जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है उससे लीसा प्राप्त हो सके और फिर उसे स्टार पेपर मिल को दिया जा सके। इससे हमारी इकोनोमी आगे बढ़ेगी और हम भी कुछ रोजगार में लगेंगे। उत्तरकाशी में एक लेंगिग डिमान्स्ट्रेशन यूनिट है। हमारे यहां लकड़ी काटने चीरने में 40 प्रतिशत लकड़ी का इस्तेमाल होता है परन्तु विदेशों में 80 प्रतिशत का उपयोग होता है। अगर आप कुमायूं के हर जिले में लगिंग प्लान्ट लगा दें तो लकड़ी बरबादी से बच जायेगी।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी, जिन्हें पहाड़ों की समस्या से बड़ी दिलचस्पी है, द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वन वाली ग्रान्ट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आपको शायद विदित है कि पर्वतीय क्षेत्र का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 63.7 प्रतिशत जंगलों से भरा हुआ है और पूरे प्रदेश के अन्दर जो जंगल है उनका 65.7 प्रतिशत पर्वतीय अंचल में है। स्पष्ट है कि अगर यह कहा जाय कि जंगल की समस्यायें वन की समस्याएं पूरे पर्वतीय जनजीवन से जुड़ी हुई हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने बतलाया कि इस वर्ष अकेले वन विभाग से हमारे बजट के अन्दर साढ़े 24 करोड़ का राजस्व आया है। ये आंकड़े उनके लिये देखने जरूरी हैं—चौधरी-चरण सिंह और उनके साथियों को जो यह समझते हैं कि पर्वतीय अंचल आज इस प्रदेश के ऊपर बोझ बना हुआ है। अकेले जंगल से साढ़े 24 करोड़ रुपया पहाड़ का आपके उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। कोई अहसान नहीं मांगते पर्वतीय क्षेत्र के लोग, कोई दान का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं। यह 65 प्रतिशत भू-भाग जो है इसके अन्दर कौनसा जंगल है? देवदार का जंगल है, चीड़ का जंगल है, कुलायों का जंगल है, बेशकीमती है। वास्तव में हमारे पर्वतों के अन्दर चांदी और सोना बिखरा पड़ा है और इसकी लूट कौन कर रहा है? आपके शासन ने पिछले 27 वर्षों में जिस ढंग से इस देश का कार्यसंचालन किया, उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

नतीजा यह हो रहा है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों का शोषण बाहर के विकसित मैदानी क्षेत्रों के मालदार लोग लगातार कर रहे हैं। बजाय इसके कि ये हरे-भरे जंगल हमारे पर्वतीय जन-जीवन के अन्दर एक नयी आशा की लहर लाते, एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते, विकास कर सकते, हुआ यह कि इनकी कटाई बेरहमी के साथ की गयी और उससे उनका पैसा देश के बड़े-बड़े मालदारों के पास जा रहा है। इन जंगलों की हम रक्षा करने वाले हैं और हमारे किसान जो सीमा पर रहते हैं वह वहां पर जालान और चुगान की सुविधा से वंचित रखे जाते हैं। जंगलों में कटान करने वाले पहाड़ के निवासी, ढुलान करने वाले पहाड़ के निवासी उस लकड़ी का कुछ भी लाभ नहीं पा सकते, उसकी मलाई खाने वाले हरिद्वार और ज्वालापुर के बड़े बड़े मालदार हैं जो हमारी दौलत को लूट रहे हैं।

सरकार की नीति क्या है मान्यवर ! नीति यह नहीं है कि जंगलों की रक्षा की जाय, वन आधारित उद्योग उन पर्वतीय क्षेत्रों में खोलकर के वहां की बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को हल किया जाय। नीति है केवल इन जंगलों से धन कमाना। जो पूंजीपति करता है मुनाफा कमाता, वही सरकारी लेविल पर सरकार कर रही है और उसका नतीजा होता है कि हमारी सरकार की नजरें देवदार के जंगल की तरफ तो जाती हैं, चीड़ के जंगल की तरफ तो जाती हैं, जो व्यापारिक जंगल हैं जिनसे आमदनी होती है उनकी रक्षा की तरफ तो वन विभाग की नजर जाती है, लेकिन वह पेड़ जो किसान के काम आने वाले हैं, जो किसान के पशुओं को घास और पत्ती देंगे, फल देंगे, जो कृषकों को कृषि के औजार उपलब्ध करायेंगे उनकी तरफ हमारे वन विभाग का कोई ध्यान नहीं जाता। दूसरी ओर, देश के बड़े-बड़े मालदारों को स्टार पेपर मिल को टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ी के नाम पर 7 पैसा प्रति घन फुट लकड़ी देकर सरकार ने तमाम कुमायूं और गढ़वाल के जंगलों का नाश करवा दिया। बड़े-बड़े ठेकेदारों को कच्चे सामान के लिये ठेके दिये जाते हैं, बड़े-बड़े पूंजीपतयों को कंसेशन दिये जाते हैं, पिथौरागढ़ से लेकर ऋषिकेश तक पूरी तराई के अन्दर यूक्लिप्टस का प्लांटेशन हुआ। और यूक्लिप्टस के प्लान्टेशन का फायदा यहां कोई इंडस्ट्री लगा कर नहीं होने जा रहा है।

हमको यह बताया गया है कि बिड़ला जी के साथ बकायदा डील होने वाली है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बांस सस्ते दर पर बिड़ला जी को दिये गये उसी तरह से उत्तर प्रदेश में यूक्लिपस का जंगल दिया जायगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों को जंगलात दिये जायेंगे लेकिन वहां की स्थानीय जनता की जो मांग थी कि छोटे लाट बना कर पहाड़ के अन्दर नीलाम कीजिये ताकि पहाड़ के छोटे आदमी उन ठेकों को ले सकें। इस नीति पर सरकार नहीं जा रही है। आपके आश्वासन देख चुके। अब हमने फसला कर लिया है कि अब हम अपनी दौलत की लूट बाहर के मालदारों को नहीं करने देंगे। जोशीमठ में रेड़ी गांव के अन्दर वहां की महिलायें पेड़ों से चिपक गयीं और ठेकेदारों के मजदूरों को जंगल के अन्दर नहीं घुसने दिया और वह तमाम ट्रेनिग जो आपने सिविल डिफेन्स के लिये दी थी वहां की महिलाओं ने अपने जंगलों की रक्षा के लिये इस्तेमाल किया। आपको मजबूर होकर वह कटान बन्द करना पड़ा। आज पहाड़ के निवासी वह पुराने निवासी नहीं हैं। आज वह अपने अधिकारों को समझते हैं और हमने फैसला कर लिया है कि अगर आप इसी तरह से बड़े-बड़े मालदारों के जरिये हमारे जंगलों की लूट करेंगे तो हम नहीं करने देंगे।

दूसरी तरफ जो जनता की आवश्यकतायें हैं, जो बांझ के जंगल खुद आपके फारेस्ट की बाउन्ड्री क अन्दर ह वह नष्ट कर दिय गये। जंगल विभाग उनके प्लान्टशन की बात नहीं सोचता। इसका नतीजा यह होता है कि पहाड़ क निवासी समझते हैं कि जंगलात वाल हमारे दुश्मन हैं जिसका नतीजा यह है कि लगातार एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। जंगलात

विभाग और जनता के बीच में कुछ सिविल फारेस्ट हैं जिनमें कुछ पुश्तैनी हक हकूक वहां के निवासियों के हैं। जंगलात विभाग उनके लिये कोई और व्यवस्था नहीं करता उल्टे उन स्वयं जंगलों का बुरी तरह से कटान हो रहा है। सरकार ने कुमायूं फारेस्ट रूल्स बना कर एक नयी स्कीम चलायी है। उसके अनुसार जो स्वयं के जंगल हैं जिन पर वहां की गांव सभाओं का अधिकार है उन अधिकारों को गांव वाले समर्पित करना चाहते हैं एक जगह और पंचायत से कुछ नियम बनाना चाहते हैं जिससे कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का टेक्निकल नो-हाऊ उनको मिल सके। लेकिन जंगलात विभाग का जनता के ऊपर भरोसा करने की नीयत नहीं है। उन जंगलों से भी वे चाहते हैं कि जो आमदनी मिले उसमें से 40 फीसदी आमदनी जंगलात विभाग को दी जाय। एक पेड़ काटने की इजाजत नहीं है जब तक डी0 एफ० ओ० साहब का दरवाजा न खटखटायें। मैं आपको ऐसे जंगल दिखा सकता हूं जो गांव के निवासियों के लिये हैं और वह आपके आरक्षित जंगल से ज्यादा अच्छे जंगल हैं। कुमायूं फारेस्ट रूल्स के बारे में आपने एक कमेटी बनायी। हम लोग उसमें हैं लेकिन निवेदन इतना है कि इस कमेटी की जो भी सिफारिशें हों कृपा करके उनको आप स्वीकार कर लें।

जहां तक सड़कों का सवाल है, वन की उपज का तब तक आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप यातायात के साधन नहीं जुटायेंगे। आप इस साल के बजट में पढ़ लीजिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में आपने कितने किलोमीटर सड़कों का प्राविधान रखा है। 4 किलोमीटर पहाड़ में और 2 किलोमीटर मैदान में। पूरी पंचवर्षीय योजना में जंगलात विभाग के अधीन 40 किलोमीटर का प्राविधान आपने रखा है--20 किलोमीटर का पहाड़ी क्षेत्र में और 20 किलोमीटर का मैदानी क्षेत्र में।

मान्यवर, टेहरी का बांध बन रहा है, और भी बांध बन रहे हैं, जमुना की तमाम स्कीमें चल रही हैं, मगर आपने वहां के कैचमेंट एरिया के लिये कोई स्वायल कन्जरवेशन की स्कीम नहीं रखी है। इसके न होने से आपके डैम्स की लाइफ कम हो जायेगी। इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी आपने प्रथम वर्ष में कोई स्वायल कन्जरवेशन की योजना नहीं बनायी है।

पर्यटन की बड़ी-बड़ी योजनायें हैं। आप एक फारेस्ट टूरिस्ट कारपोरेशन बना रहे हैं। आपका कितना पवित्र उद्देश्य है उसकी हकीकत यह है कि जितना भी पैसा इस बजट में पर्यटन मद में रखा गया है वह सारा पैसा अधिकारियों द्वारा अपने व अपने रिश्तेदारों के एशोआराम पर खर्च होता है, पर्यटन का कोई काम नहीं हो रहा है।

कुछ नयी भर्तीं की गयी हैं। टूरिस्ट आफिसर्स और असिस्टेंट टूरिस्ट आफिसर्स रखे गये हैं। मगर उनमें किन को रखा गया है? पुलिस के एक बहुत बड़े आफिसर हैं उनकी साहबजादी को टूरिस्ट आफिसर की जगह रखा गया है, एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के भतीजे को रखा गया है, एक इन्स्टीटचूशन आफ फाइनेंस के बहुत बड़े आफिसर की बहिन को रखा गया है। बाकी के लिये क्या किया है? एक एडहाक कमेटी बना दी है। वह उनकी नियुक्ति पर विचार करेगी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जिन पुलिस आफिसर की लड़की को नियुक्त किया है उसके बारे में मान्यवर, स्थिति यह है कि पहले वह दिल्ली में काम करते थे। यह पोस्ट मसूरी के लिये थी। उस पोस्ट को एबालिश करके उसको दिल्ली बुलाया गया। जब वे आफिसर दिल्ली से यहां लखनऊ आ गये

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

तब उस पोस्ट को फिर यहां ट्रांस्सफर कर दिया गया। जब इनकी लड़की ने इस्तीफा दे दिया तो फिर यह पोस्ट मसूरी चली गयी। (व्यवधान) हमारे निदेशक साहब हैं, उनके एक संबंधी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनको असिस्टेंट टूरिस्ट आफिसर बना दिया गया। उनकी एक कृपापात्र एक महिला और हैं जो अयोध्या की रहने वाली हैं, उनको टूरिस्ट आफिसर बना दिया। यही नहीं मान्यवर, फैजाबाद की जो ए० टी० ओ० की पोस्ट थी उसको इलाहाबाद ट्रांस्फर कर दिया गया (समय समाप्त होने पर) एक मिनट और कृपया दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। इस अनुदान पर बोलते हुये बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

सर्वप्रथम तो मैं वन विभाग की स्पष्टवादिता के लिये माननीय वन मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। वन विभाग का जो प्रगति विवरण प्रकाशित हुआ है उसमें बहुत ही स्पष्ट बातों को स्वीकार किया गया है किसी बात को भी छुपाया नहीं गया है। इसमें इस बात को भी हिम्मत के साथ कहा गया है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ जन संख्या की वृद्धि हुई और उनके आवास व कृषि के लिये भूमि की मांग बढ़ी और इस कारण वनों का विनाश होता गया।

दूसरी बात यह कि तराई भावर को छोड़कर दूसरे मैदानी भाग वन-विहीन हो गये हैं। महोदय, यह बड़ा अहम विषय है, प्रश्न यह आता है कि जंगलात का विकास करने से सभ्यता का विकास होगा या जंगलात का ह्रास करके सभ्यता विकसित होगी। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि हमारे जीवन में वनों का एक महत्व है। चाहे वह कृषि का विकास हो, चाहे वह पशुधन का विकास हो, चाहे वह क्रीड़ा का विकास हो और चाहे वह रेलवे लाइन्स की बात हो या भूमि के कटाव को रोकने की बात हो, हमारे हर पहलू में वनों का योगदान है। यहां सदन में जो हम लोग बैठे हैं, यहां की जो साज-सज्जा है और बैठने का स्थान है वह भी वनों पर आधारित है।

इस तरह से वनों का एक अपना अलग महत्व है। परन्तु जैसा अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले मेरे माननीय सदस्य गंगवार जी ने भी कहा है और हमारे ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह सब कुछ पहाड़ों के लिये ही किया गया है। हमारे जंगलात विभाग के लिये जैसा इस पुस्तिका में कहा गया है कि केवल 16 फीसदी भूमि पर वन हमारे मैदानी भागों में हैं और 66 फीसदी भूमि पर वन पहाड़ी भागों में हैं और पहाड़ी भाग में जैसा कि इस पुस्तिका में कहा गया है कि 15 करोड़ रुपये का प्राविधान है, तो इस पर कई लोगों ने कहा कि पहाड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह नेगी ने कहा कि टेहरी में आप जलाशय बना रहे हैं वहां के लोग बेघर के हो जायेंगे, वहां का क्षेत्र उसमें डूब जायेगा, वहां के लोगों को निष्कासित किया जायेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर वहां के लिये प्राविधान किया जाता है तो आपत्ति होती है, वन के लिये प्राविधान किया जाता है तो आपत्ति होती है कि सारा बजट पहाड़ों पर चला जा रहा है। अगर इस दृष्टि से देखें कि यह विकास केवल पहाड़ों के लिये नहीं बल्कि सारे प्रान्त के लिये और इस प्रकार से सारे राष्ट्र के लिये हो रहा है तो उचित होगा। मैंने जनरल बजट पर भी यही बातें कही हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि 66 फीसदी वन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हैं और पहाड़ी क्षेत्रों से भूमिहीन, हरिजन और अनेक वर्णों के लोग मैदानों की तरफ आ गये हैं, तराई-भावर के हिस्सों की तरफ आ गये हैं। यह स्थान चाहे जिस नाम से हों, गोठ हों या कोई और हों, मजदूरी करते हों या भूमिहीन हरिजन हों इनको वहां से हटाया जा रहा है। जैसा अभी हमारे वन मंत्री जी ने कहा कि उनके कब्जों को हटाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आज से नहीं बल्कि कई पुश्तों से वहां पर रहते चले आ रहे हैं। यह लोग चाहे मजदूरी करने वाले हों या झोंपड़ी में रहने वाले हों इनकी तरफ आपको सोचना पड़ेगा। इनके रहने के लिये जगह नहीं है। खेती के लिये जगह नहीं है। यह लोग वहां पुराने समय से रहते आ रहे हैं यह कोई 10-20 साल की बात नहीं है। ये लोग अपने तराई तथा भावर के हिस्से में आकर बसे हैं। ये पुश्त-दरपुश्त से वहां रह रहे हैं। जब ये लोग आन्दोलन कर रहे हैं तो उनको बसाने के लिये कुछ सोचना पड़ेगा।

मंत्री महोदय ने प्लान्टेशन की बात कही। वह प्लान्टेशन तराई तथा भावर में एवं पहाड़ों में भी हो रहा है। तो इसके संबंध में मुझे आपत्ति है कि तराई तथा भावर में जो प्लान्टेशन होता है तो वहां जो लोग बसे हैं आज उनको लकड़ी तथा घास बेंचने के लिये कठिनाई हो रही है। इसके बारे में स चना पड़ेगा। आज जो प्लान्टेशन पहाड़ों पर हो रहा है उसके संबंध में मुझे मंत्री जी से निवेदन करना है कि प्लांटेशन के लिये एक फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उसमें चीड़ इत्यादि के पेड़ डाल दिये जाते हैं। इसके बाद उसके मेन्टीनेन्स की कोई परवाह नहीं की जाती है। पिछले साल पहाड़ों में कई स्थानों पर प्लान्टेशन हुआ परन्तु आज वहां एक भी प्लान्ट जीवित नहीं मिलेगा। यह प्लांटेशन केवल रुपये खर्च करने एवं दिखावे के लिये किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

स्टार पेपर मिल एक्सप्लाइट कर रहा है। उसने कागज बच्चों को देने के लिये कहा था। आज जो स्टार पेपर मिल को बन दिये जाते हैं वह निर्जन वन बताये जाते हैं। वहां कोई आबादी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है। स्टार पेपर मिल पेड़ काटने के लिये नामिनल खर्च करता है।

श्री बल्देव सिंह आर्य सामुदायिक विकास मंत्री जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गयी थी जिस पर लाखों रुपया इसलिये खर्च किया गया कि वह अपनी रिपोर्ट पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों के हक-हकूकों के प्रति प्रस्तुत करे। वह रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं प्रकाशित की गई। यदि उनको कुछ अधिकार देने हैं जैसे कि पत्थर निकालना, कृषि के लिये भूमि उपलब्ध कराना तथा कृषि के लिये लकड़ी को देना तो उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाय क्योंकि आपने उनके हक-हकूक को छीन लिया है। इसके साथ ही मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री दया किशन पांडे (जिला पिथौरागढ़)---

मैं मान्यवर आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मैं भी पर्वतीय क्षेत्र से आया हूं और श्री गोविन्द सिंह नेगी ने जो अपना भाषण दिया है मैं बहुत कुछ वही बातें कहना चाहता था। हमने प्रान्त और देश को बड़े घने जंगल दिये हैं। लेकिन जितने बड़े, ऊंचे और जितनी बड़ी कीमतों के जंगल हमने प्रान्त को दिये उतने ही दुख उतने ही कांटे और उतनी ही तकलीफें हमें जंगलात विभाग के अधिकारियों ने दी हैं।

हमारा और जंगलात का संघर्ष आज का नहीं है। यह संघर्ष ब्रिटिश राज्य के समय से शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी के अन्त से और 20वीं शताब्दी तक बराबर जारी रहा।

[श्री दया किशन पाण्डे]

1911 में पहला सेटिलमेंट हुआ था। फलस्वरूप हमारे जो हक-हकूक थे वह छीने जाने लगे थे और 1911 से लेकर 1920 तक हमने सत्याग्रह किया। हमने जंगलों में आग लगाना शुरू की क्योंकि यह कानून था कि हर पहाड़ी की यह ड्यूटी है कि वह जंगल में आग लगने पर बुझाये और आग लगाने वाले को 7 साल की कैद और न बुझाने वालों को साढ़े तीन साल की कैद। हमने इन सब दुखों को सहकर बावजूद इसके अंग्रेजों से लड़ाई ली और अंग्रेजों ने हमारी बातों को माना। उन्होंने फारेस्ट ग्रीवान्सेज कमेटी बनाई और पहाड़ी लोगों से वायदा किया कि जंगलों से जितनी आमदनी होगी वह पहाड़ों के फायदे के लिये लगाई जायेगी और कोई आमदनी बाहर नहीं जायेगी। लेकिन जैसा प्रशासन धोखेबाजी करता है उस समय में भी करता था और अब भी करता ह। हमारे साथ धोखबाजी की गई और जो सर्किल्स थे वह छोटे किये गये। हमार मुनाफे कम दिखाये गये और आखिर में यह कह दिया गया कि जितना मुनाफा होता है वह सरकारी नौकरों की तनख्वाहों में चला जाता है। लेकिन यह जो आंकड़े सामने रखे गये हैं उन आंकड़ों में भी 24 करोड़ की आमदनी दिखाई गई है और हम कम से कम 18 करोड़ क भागीदार हैं। चौधरी चरण सिह ने जो बड़े आराम से यह कह दिया कि रुपया पहाड़ों को जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि रुपया पहाड़ों से उतर कर आपके पास आ रहा है। अखिर आप ख्याल करें कि हमारी जो पत्तियां हैं वह खाद बन कर जितने गंगा का मैदानी भाग है उनकी उपज बढ़ाता है। हमारी कितनी मिट्टी बह कर आती है और जो अगर पहाड़ी ने गुस्से में आकर जंगलों को काटना शुरू कर दिया तो अध्यक्ष महोदय न लखनऊ रहेगा और न इलाहाबाद इसलिये कि पानी रोकने के लिये पहाड़ों पर कोई पेड़ न होगा। पेड़ जितना पानी पीता है वह कई क्यूसेक के बराबर होता है देवदार का पेड़।

दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय चीड़ ही कुमायूं में कागज बनेगा सहारनपुर में, सेमल ही कुमायूं में लेकिन दियासलाई बनेगी बरेली में, कंजू ही कुमायूं में लेकिन प्लाई वुड बनेगा सीतापुर में। चीड़ से लीसा निकले कुमायूं में लेकिन टरपिन्टाइन बने बरेली में और जैसा गोविन्द सिह जी ने कहा कि बरेली में स्वेडन की फैक्ट्री को 6000 पेड़ दिये हैं। अगर बिड़ला जी को मिले तो उनसे छीन-झपट कर लिया जा सकता है, लेकिन स्वेडन वालों को देने से क्या लाभ। अगर आप 20 पेड़ भी एक व्यक्ति को दें तो घर पर माचिस के कारखाने लग सकते हैं। अब तो माचिस काटेज इन्डस्ट्री में आती है और दक्षिण में तो सैकड़ों इस तरह के कारखाने हैं जो हजार में लग सकते हैं। जिस तरह से फारेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ दुश्मनी बरत रहा है कि मैं कह नहीं सकता। हमारे पहाड़ों पर जाड़े में घास सूख जाती है चन्द राजाओं के वक्त से हम लोगों के जानवर पहाड़ से उतर आते थे और भावर में गोठों में चरते थे। आज वहां इकलिपुस के पेड़ लगा दिये गये हैं और हमारे जानवर रोज खोर में चले जा रहे हैं।

आज से 10-15 साल पहले पृथक पर्वतीय राज्य का मैंने नारा दिया था और अगर ऐसा ही बर्ताव रहा तो वह नारा फिर चलेगा। और अगर वह काम फिर शुरू किया तो उसका पहला चरण राजा साहब आपका दरवाजा होगा। एक बार चरण सिह जी आये उन्होंने कहा कि पहाड़ी को कौन गरीब कहता है। इनके तो पक्के मकान हैं। हम पत्थर खोदते हैं, पाथर निकालते हैं और देवदार और चीड़ की बल्ली बनाते हैं जिससे मकान बनता है। लेकिन आज वह पहाड़ो मकान नहीं बना सकते। पत्थर निकालने हैं तो रायल्टी, पाथर निकालते हैं तो रायल्टी, लकड़ी मांगते हैं तो रायल्टी। जलाने के लिए लकड़ी लाते हैं तो हथकड़ी, घास लाते हैं तो हथकड़ी और औरतों की दरांती छीनी जाती है। अगर आप यह समझते हैं कि यू आर रूलर्स एण्ड वी आर रूल्ड तो अगर जरूरत पड़ेगी तो पृथक पवतीय राज्य का नारा फिर जाग उठेगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी तकलीफों की तरफ ध्यान दें।

श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैतीताल)–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि मुझे वन और पर्यटन पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान की मांगें रखी हैं उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पक्ष और विपक्ष की ओर से वन विभाग की नीति के

(इस समय 4 बज कर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई। वनों का सम्बन्ध केवल पर्वतों से नहीं है बल्कि उनका सम्बन्ध सारे देश और प्रदेश से है। अगर पहाड़ पर और उसकी तलहटी में वन न रहें तो यह निश्चित है कि उत्तर प्रदेश का दुआब का हिस्सा उपजाऊ न रह कर रेगिस्तान हो सकता है। इसलिए वन विभाग ने जो नीति अपनाई है वह सही दिशा में है। मुझे प्रसन्नता है कि वन विभाग ने सघन वनीकरण की नीति अपनाई है। उसके दो लक्ष्य हो सकते हैं। एक तो जितना क्षेत्र वन विभाग के पास है वह उस क्षेत्र को सघन वनों से आच्छादित करने का प्रयास करे और दूसरे यह कि जिस क्षेत्र में वन नहीं हैं तो उसे घेरे रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। एक ओर जहां वन की नीति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 33 प्रतिशत भूमि वन से आच्छादित होना चाहिए वहां लगभग 70 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है। इस 70 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत भूमि पर, जिसमें पेड़ नहीं हैं, खेती की जा सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि इस 10 प्रतिशत भूमि को जहां पर पेड़ नहीं कृषि करने के लिये दिया जा सकता है और 60 प्रतिशत वन में बना रह सकता है। इससे उपज बढ़ सकती है।

आश्चर्य की बात है कि साढ़े छै करोड़ रुपये खर्च करके करीब 1.07 लाख हेक्टर भूमि पर इक्वप्लिटस के पेड़ों को 10-12 वर्ष पहले लगाना प्रारम्भ हुआ—और लालकुआं की किसी रेयन फैक्ट्री को लाइसेंस दिया गया। यदि वह फैक्ट्री नहीं चलती है तो उसका लाइसेंस किसी दूसरी फैक्टरी को दिया जाय, जिससे इन इक्वलिप्टस पेड़ों का सदुपयोग हो सके। यह बताया जाता है कि इस इक्वलिप्टस पेड़ में जो मियाद होती है जिसका रेशा ठीक रहने पर—रेयन के काम और पेपर के काम आ सकता है, उसकी लाइफ 12 वर्ष की होती है। आज इन पेड़ों को 15 वर्ष होने जा रहे हैं। कौन उत्तरदायी होगा इस साढ़े छै करोड़ रुपयों का? और एक लाख 7 हजार हेक्टर भूमि जिन पर ये लगाये हैं, जिसमें खेती हो सकती थी, चारा हो सकता था, उसके लिये कौन जिम्मेदार है? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह कृपया देखें कि इस प्रकार का दुरुपयोग न होने पावे।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। यह कहा गया कि हमारी प्रशासनिक इकाई को छोटा होना चाहिये। मैं विनम्रता के साथ अपने उन मित्र महोदय से, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। प्रशासनिक इकाई के छोटे होने से, या बड़ी होने से फर्क नहीं पड़ता। जंगल की रक्षा तभी हो सकती है, जब वहां के रहने वालों को यह विश्वास हो जाय कि इसमें हमारा हित है। जब ये लोग यह समझें कि ये जंगल हमारी छाती पर खड़े हैं, तो छोटी या बड़ी प्रशासनिक इकाई से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इसके अलावा, मान्यवर, मैं एक-दो और सुझाव देना चाहता हूं। वहां पर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किये जाय और वहां की बढ़ती हुई आबादी को औद्योगीकरण की ओर बढ़ाया जा सके और बेरोजगारी दूर की जा सके। एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि सन् 1965-66 की बात है, जब कि हमारे विरोधी दल के नेता वन मंत्री थे। एक डेलीगेशन उनके पास गया और यह निवेदन किया गया कि दूध की कमी है। लेकिन खत्तों में जहां पर जानवर जाते ह, उन खत्तों को रहने दिया जाय। उन्होंने कहा कि हमारी नीति है कि हम खत्तों को उजाड़ देंगे।

[श्री बाल कृष्ण सानवाल]

खत्तों के उजाड़ने का प्रयास उनके काल में हुआ। लेकिन, मान्यवर, हमारी वर्तमान सरकार की नीति के अनुसार उन खत्तों को आज रिहैबिलिटेट और आधुनिकरण का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिये मैं माननीय वन मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की जनता अपना आभार प्रकट करती है ।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। विम्को फैक्ट्री की बात की गयी है। इधर से और उधर से कहा गया है कि उनको कम दामों पर लकड़ी दी गयी है। इसके कारण वन सम्पदा की आमदनी कम हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि उसकी आमदनी तो हो रही है लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि ये लोग, जैसे विम्को फैक्ट्री या स्टार पेपर मिल के लोग हैं ये अधिकारियों से मिलकर दुबारा पेड़ काटते हैं यानी दूने पेड़ काटते हैं और कुछ लोगों के नाम जांच के लिये भी दिये गये हैं ।

मुझे, मान्यवर, खुशी है कि वन निगम की स्थापना हुई है। इससे मैं यह समझता हूं कि केवल ठेकेदारी के काम को अपने हाथ में लेने से काम नहीं चलेगा। एक सेल ऐसा स्थापित किया जाय जिसके जरिये यह देखा जाय कि कौन से इंडस्ट्रियल पोटेंशयल और रा मेटीरियल वन सम्पदा में हैं जिनके आधार पर स्थानीय उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं, उन पर अन्वेषण किया जाय कि किस तरह के पौधे दवाइयों तथा अन्य औद्योगिक संस्थान को कायम करने में काम आ सकते हैं और जो वर्तमान वृक्ष हैं उनसे औद्योगीकरण की दिशा में क्या काम लिया जा सकता है, इस पर खोज की जाय ।

वनों का महत्व हमारे पर्यटन से भी है। पर्यटन का बजट भी आपके सम्मुख प्रस्तुत है और उस सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव आया है। मैं कटौती रखने वाले सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वास्तव में उसके रखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वह यह प्रस्ताव रखते कि अनुदान बढ़ाया क्यों नहीं गया तो मैं इसे अधिक हितकर समझता क्योंकि टूरिज्म से, पर्यटन से जिसमें बहुत कम पैसा लगता है, फारेन एक्सचेंज जिसकी हमको बड़ी आवश्यकता होती है बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। हाल में केन्द्रीय सरकार के सहयोग से एक टीम ने सर्वेक्षण किया है। मुझे खेद है कि सब स्थानों को वे देख नहीं पाये । कोसानी, बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोतरी, जमुनोतरी, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि क्षेत्रों को देखा गया लेकिन मैं कह सकता हूं कि मोरनोला से लेकर लमग और जलना तक होते हुए जागेश्वर व बागेश्वर और उसके साथ काली कुमायूं व चम्पावत ऐसे इलाके हैं पर्यटकों के लिये जो यूरोप में भी उपलब्ध नहीं हो सकते। इतना सौन्दर्य है वहां पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

मैं निवेदन करूंगा कि पर्यटकों के लिये सस्ते आवास की सुविधा हो, पेयजल की सुविधा हो, आने-जाने के लिये अच्छे साधन उपलब्ध कराये जायं केवल थ्री स्टार व फाइव स्टार होटल्स ही न हों, बल्कि सस्ते आवास भी उपलब्ध कराये जायं मध्यम वर्ग और कम आमदनी के पर्यटक जाकर पहाड़ों के सौन्दर्य को देख सकें। लेखक-पत्रकार वहां जाकर साहित्य की सेवा कर सकें और लिख सकें और कुछ समाज को दे सकें। मैं वन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जंगलों के बीच में ऐसे बड़े-बड़े स्थान पड़े हुए हैं जो देखने लायक हैं। सड़क के किनारे आपको पेड़ अधिक मिलेंगे। एक एरियल सर्वे हेलीकाप्टर से आप करायें और देखें कि कितनी जगह खाली पड़ी हुई हैं। वनों के बीच में तथा नेशनल काबट पार्क के पास रामनगर ऐसा क्षेत्र है जहां लोग जा कर टिक सकते हैं। पर्यटक नेशनल कार्बेकट पार्क को देखकर रात में लौट भी सकते हैं ।

मेरा निवेदन है कि वन विभाग और पर्यटन विभाग का आपस में सम्बन्ध हो। अगर पर्यटकों के लिये परिवहन विभाग की ओर से परिवहन की सुविधा न हो, सड़कों की सुविधा न हो,

गाड़ियां न मिल सकें, सड़कें ठीक न हों तो उनको प्रोत्साहन नहीं मिल सकता । हम जिस बात की कल्पना करते हैं कि पर्वतीय उद्योग बढ़े, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और साथ-साथ विदेशी मुद्रा भी आये तो जब तक परिवहन विभाग का सहयोग उपलब्ध नहीं होगा तब तक यह सफल नहीं हो सकता । एक कोआर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिये पर्यटन विभाग, वन विभाग तथा परिवहन विभाग की जो जितने बाटिल नेक्स आते हैं उनका हल निकाल सके । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)––

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से कुछ बातें कहना चाहता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मेरा वन क्षेत्र से बहुत बड़ा सम्बन्ध है । मेरा क्षेत्र नेपाल बार्डर से लगा हुआ है । मेरे क्षेत्र में जितने उत्तर प्रदेश के वन हैं वहां पर ही मेरा अधिकतर काम है और वन की ठेकेदारी का कार्य मेरा है । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जितने आपके नेपाल से वन के क्षेत्र लगे हुए हैं वे सब आज खतरे में हैं क्योंकि नेपाल के बार्डर पर बासिन्दगान बसे हैं उन्होंने एक मील के जंगल के एरिये को साफ कर दिया है और बाकी जो बचा है उसको भी साफ करने वाले हैं । जब वे लोग बस जायेंगे तो वहां पर जितनी भी वन सम्पदा है उस सब की वह चोरी करेंगे और उसके बाद आपको उन जंगलों से कुछ मिलने वाला नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वन क्षेत्र का जितना एरिया चन्दन-चौकी, गौरी फंटा और कतरनियांघाट में पड़ता है वह सब इस विभाग के अन्तर्गत आता है, यह वह स्थान है जहां पर नेपाल में इधर-उधर जाने वाला हर माल आता है और वहां से होकर गुजरता है । वहां पर रहने के लिये ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर बड़े-बड़े ठेकेदार आपके ठेके लेते हैं करोड़ों रुपये की लकड़ी का ठेका लेते हैं । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय को बता भी चुका हूं सरकार से कह भी चुका हूं । किन्तु मन्त्रीगण आश्वासन तो जरूर दे देते ह आज भी आश्वासन दे देंगे किन्तु वहां पर 40–50 साल से रहन वाले लोगों के लिये पक्के मकान बनाने की इजाजत उन्हें नहीं दी गई है जब समय पड़ने पर कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जा सकती है तो न ही वहां के लोग कोई सुविधा आपको दे सकते हैं । यदि कोई मौका आयेगा तो हम लोग कोई मदद नहीं कर पायेंगे । इसलिये आज वहां पर इस बात की आवश्यकता है कि इन एरियाज में लोगों को पक्के मकान बनाने की इजाजत सरकार दें ।

तीसरी बात यह है कि जितना हमारा वन क्षेत्र है वह हर साल आग लगने से नष्ट हो जाता है । इतना बड़ा नुकसान और किसी चीज से नहीं होता है जितना कि आग से जंगलों को होता है । वहां पर इस हेतु सम्भवतः एक टावर बनान की सरकारी योजना है । मैं कहूंगा कि इससे कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है क्योंकि टावर तो आपको सिर्फ सूचना ही दे सकता है कि वहां आग लग गई है किन्तु वहां पर आग लग जाने पर बुझाने वाले लोगों की आवश्यकता भी होगी । 5–7 आदमियों से भी वहां कोई लाभ नहीं है । मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आज से 10–12 साल पहले वहां पर रहने वाले लोगों को कुछ राहत दी जाती थी, वे आग बुझाने में मदद करते थे और करोड़ों रुपया रेवेन्यू का इस तरह से बच जाता था । अतः मैं चाहूंगा कि वही पुरानी प्रणाली फिर से अपनाई जाय । आप वहां के लोगों को कुछ सहूलियतें तब देते थे, उनको जलाने के लिये लकड़ी दे देते थे और वहां के लोग माफीदार होते थे । अतः वही प्रणाली लागू की जाय तब आपको फायदा होगा ।

चौथी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अप्रैल से सरकार ने स्लोपर्स के दाम बढ़ा दिये हैं––25 प्रतिशत । लेकिन जो बढ़े हुए दाम हैं उस दर पर फारेस्ट

[श्री राम चरन शाह]

डिपार्टमेंट ठेकेदारों को मूल्य नहीं देना चाहता है। ठेकेदारों की स्लीपर की टोलियां बनायी गई हैं बढ़े दाम नहीं दे रहे हैं। अतः मैं चाहूंगा कि 25 प्रतिशत बढ़े हुए दाम ठेकेदार को भी दिया जाय।

पांचवीं बात मैं यह निवेदन करूंगा कि रहटा, दुधवापुर और सुनारीपुर स्टेशन के जो इलाके हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा सरकार शा-मिल की सुविधाएं दे। उसका लाभ यह होगा कि हमारी जो तमाम लकड़ी जाया जाती है वह बचेगी और जो चिरान करने वाले का हक होता है, उसे भी ज्यादा लकड़ी बैठ सकती है। आप ठेकेदारों के लिये वहां पर रहने की व्यवस्था करें और शा-मिल की सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान दें। इससे ज्यादा पैसा आएगा। ठेकेदार जो ठेका लेता है, अपनी जिम्मेदारी पर काम करता है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं जंगल का ठेकेदार हूं, तो यह मालूम हो जाए कि माननीय सदस्य असेम्बली के मेम्बर कैसे हो गये ?

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि चुनाव का जो सम्बन्ध है, उस कानून के तहत जो चुनकर माननीय सदस्य यहां आया है, वह उतना ही माननीय है जितना आप या अन्य कोई माननीय सदस्य हैं।

श्री राम चरन शाह—

जी हां, ठेकेदार हूं और रहूंगा और इस असेम्बली का सदस्य भी हूं। आपको तो पिटीशन करना चाहिए था। बहुगुणा जी भी हमको जान चुके हैं और वह तो हमको जेल में देखना चाहते थे। लेकिन मैं यहां हूं, वह भी समझ गये हैं। यह तो आलोचना-प्रत्यालोचना चलती ही रहती है। मेरा निवेदन है कि जंगल का जो ठेकेदार है वह आपसी कम्पटीशन में सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे देता है। किन्तु आप जो एक निगम बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि नैपाल में भी एक निगम—नैपाल टिम्बर कारपोरेशन बना था, वह अब लगभग फेल हो चुका है। आप भी वही प्रणाली यहां करने जा रहे हैं और आपको चाहिए कि आप उससे सबक लें। आपको निगम से ठेकेदार जो आपको रेवेन्यू देता है, उससे कहीं कम मिला करेगा। यदि आपको 10 रुपया रायल्टी है तो ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया दे देता है। 10 रुपये की रायल्टी पर आपको अब 15 रुपये ही करीब मिल पाएंगे यही देखना है। जो आप निगम द्वारा, ठेकेदारों की अपेक्षा अधिक लाभ होने की बात कहते हैं, वह तो तब देखूंगा। जब आप जिस रेट पर ठेकेदार को देते हैं, वही मूल्य रखें और उसी मूल्य पर बेचें तो मैं समझूंगा कि आपको बचत हुई है। लेकिन आपने 10 रुपया रखा और 15 रुपये पर दिया तो मैं इसे लाभ नहीं मानूंगा। आपको 10 रुपये की रायल्टी पर नहीं ठेकेदार से मिलने वाले रेट पर से हिसाब लगाना चाहिए। मैं स्वतन्त्र व्यापार का पक्षपाती हूं, किसी को बन्धन में रखने का पक्षपाती मैं नहीं हूं। यदि रेवेन्यू ज्यादा लेना है तो स्वतन्त्र व्यापार की आपको छूट देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

5 मिनट आपको मिले थे, किन्तु 8 मिनट आप बोल चुके हैं। अब आपका समय नहीं है।

श्री रामचरन शाह—

हमारे यहां दुधुवा में सरकार ने सेंकचुअरी एरिया बनाया है, उसको डेवलप किया जाए। उसको डेवलप करने से फायदा हो सकता है। वहां पर यदि रहने के लिये अच्छे

खासे होटल और क्वार्टर्स बनाए जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमें आश्वासन दें कि वहां पर विकास होगा। जंगल में थारूओं की बस्ती ज्यादा है, उन लोगों को दूसरे लोगों द्वारा परेशान किया जाता है। अच्छा हो कि ये लोग अपन हिसाब से वहां डेवलप करें, उनके डेवलप करने से उसका एक अच्छा रूप खड़ा हो सकता है।

चौथी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर हमारी कुछ सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेकेदारों ने ठेके लिए, पुलिया टूट जाती हैं, रेलवे वैगंस मिलते नहीं, जिससे ठेकेदार परेशान हो जाते हैं। इससे उन्हें रेवेन्यू देने मे देरी होती है और यह लोग उस पर 18 परसेंट तक ब्याज लगाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरजू नदी और नकउवा नाल पर पुल की व्यवस्था वन विभाग अपने पास से करे, जिससे समय पर उनको रेवेन्यू मिल सके।

मुझे बोलना तो बहुत है, घंटों बोलना है, किन्तु समय अब नहीं है इसलिए वे मेरे इतने ही सुझावों पर ठीक से विचार करें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने चाहे कटौती के विपक्ष में बोलते हुए या पक्ष में बोलते हुए मेरे सभी विचारों का समर्थन किया।

श्रीमन्, वन विभाग हमारे प्रदेश में बड़ी शान-शौकत का विभाग है, जिसमें उनके बंगलों को देखिए, उनके ठाठ-बाठ को देखिए, उनके कर्मचारियों को देखिए, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे माननीय मन्त्री राजा साहब हैं, वह भी राजाओं की कोई फौज है। शान-शौकत पर मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन क्या मन्त्री जी या उनका कोई अफसर यह बता सकता है कि हमारे प्रदेश में कितने क्युबिक फीट कुल लकड़ी है? यह हर साल कहते हैं कि इतनी आमदनी हो गयी, इतने पेड़ कट गये, लेकिन क्या मन्त्री जी या किसी अफसर के पास यह सूचना है कि हमारे प्रदेश में कितने क्युबिक फीट लकड़ी है। इसका कोई रेकार्ड नहीं, जब तक यह रेकार्ड नहीं होगा तब तक अपने वनों की रक्षा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री इसका सर्वे करवाएं कि किस प्रकार की लकड़ी उनके पास कितनी है, हर साल कितनी कट गयी और कितनी मौजूद है जिससे वन सम्पत्ति सुरक्षित हो सके। श्रीमन्, वन सम्पत्ति रक्षा करने योग्य है क्योंकि यह केवल सम्पत्ति नहीं, बाढ़ से रक्षा करती है साथ में वर्षा को लाने वाली है, बनैले पशुओं का संरक्षण करने वाली और हमारे लिये औषधियों का संग्रह करने वाली है। इसलिए इस सम्पत्ति की रक्षा हर प्रकार से करना चाहिए। मैं श्रीमन्, इन पर चार्ज लगाता हूं कि इन्होंने बनैले पशुओं का ह्रास कर दिया है। कोई शेर, तेंदुआ नहीं रह गया। सब गायब हो गये। इनके अफसरों ने प्राइवेट लोगों को शेर के शिकार की इजाजत देकर सब शेरों का शिकार करवा दिया क्योंकि दो हजार रुपये में शेर की खाल बिकती है। प्राइवेट आदमी जाता है, सौ-पचास रुपये घूस देकर शिकार करता है उस खाल को बेंच देता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बनैले और हिंस पशु साफ हो गये।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

सब यहीं मौजूद हैं। उधर बैठे हैं। (हंसी)

श्री हरीशकुमार गंगवार---

लेकिन श्रीमन्, जाते-जाते वह कह गये हैं, जो मैं अर्ज कर रहा हूं। सुन लें, बनैले हिंस पशुओं की सफाई तुम न कर पाये, वह पैदा हो गये, फिर से तुम्हारे जिस्म ले लेकर। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नागरिकों और बालकों में वन्य पशुओं और जंगलों के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करने के लिये कोई कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे विभाग के अन्दर जो डाकूमेंटरी फिल्म्स हैं वह बाहर से आती हैं। हमारे पास सभी उपकरण मौजूद हैं। इन छोटी-छोटी डाकूमेंटरी फिल्म्स बनाकर स्वयं बच्चों और नागरिकों को दिखा सकते हैं। और उसके जरिये वन विभाग के प्रति और बनैले पशुओं के प्रति प्रेम करने की भावना जागृत कर सकते हैं। श्रीमन्, मन्त्री जी की किताब मैंने देखी, जो वन से सम्बन्धित है। उसमें बड़ी प्रशंसात्मक दृष्टि से कहा गया है कि हमने लगभग दो करोड़ रुपये की आमदनी तेंदू पत्ते से की। उससे पहले 70-75 लाख हुआ करती थी। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसके खर्चे को एग्जामिन करवाएं। श्रीमन्, एक बोरे के ऊपर 20 रुपये लेबर चार्ज लगता है। जिसमें एक हजार पैकिट्स होते हैं। ढाई रुपया और खर्च लग जाता है। इस तरह से एक बोरी पर साढ़े बाईस रुपये खर्चा आता है। मेरा खयाल है कि एक करोड़ रुपये के ऊपर खर्चा आता है। जब इतना खर्चा किया तो क्या आमदनी करके दिखाई। वही आमदनी नहीं होती है जो राजस्व में आ जाय परन्तु यह भी देखा जाता है कि खर्चा कितना होता है। जब खर्चा निकाला जायगा तब पता चलेगा कि कितनी आमदनी हुई। इस हिसाब से इसको देखा जाय और किताब को रिवाइज किया जाय। माता टीला के आस पास भूमि रक्षा की योजना चली है। उसका लोहा और सीमेंट बाजार में बिकते हुए पुलिस ने पकड़ा है। इस तरह से फारेस्ट के कर्मचारी को धोखा में रहे हैं।

आपने अग्नि से मुक्ति पाने के लिये टेलीफोन की व्यवस्था का प्रबन्ध किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आग रोकने का जो पुराना तरीका है उसी को रहने दिया जाय। किसी रेंजर या फारेस्ट गार्ड को फोन कर दिया गया तो वह आग नहीं बुझा सकता है क्योंकि जंगल में दूर आग लगती है उसको पास के गांव के लोग ही बुझा सकते हैं। इसलिए उनके लिए पारितोषिक की व्यवस्था की जाय। तब आग बुझ सकेगी। खाली टेलीफोन की व्यवस्था से कुछ नहीं हो सकेगा।

आपके विभाग की आलोचना के लिये मैं लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन जो 4 मई, 1973 को सदन में प्रस्तुत किया गया, उसके पृष्ठ 102, 103 के पैरा 386 की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि--

नियमों का पालन न करने के कारण हुई राजस्व की हानि

"उत्तर प्रदेश वन विभाग मैनुअल के अनुच्छेद 152 के खण्ड 14 के उपखण्ड (ग) के अनुसार जब तक पर्याप्त वसूली न हो जाय, वन उत्पादन के निर्यात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह देखा गया कि तीन वन प्रभागों में 1952-53 से 1965-66 के बीच विभिन्न अवधियों में 11 ठेकेदारों से विक्रय पूरा विक्रय मूल्य वसूल किये बिना ही उसे वन उत्पादन अलग-अलग हिस्सों में उठाकर ले जाने की अनुमति दे दी गयी है। विक्रय मूल्य, विलम्ब शुल्क और अवधि विस्तार शुल्क के रूप में उन पर 700 लाख रुपये बकाया थे। एक ठेकेदार ने तो जिस पर 32 लाख रुपया बकाया थे, बिक्री के करार-नामे पर हस्ताक्षर ही नहीं किये थे। जिन राजस्व प्राधिकारियों से इस रकम की वसूली करने को कहा गया उन्होंने यह बताया कि इस बकाया रकम की वसूली नहीं हो सकती योंकि ठेकेदारों के पास चल या अचल सम्पत्ति नहीं है जिससे कि वसूली की जा सके।"

इस ठेकेदार का नाम हरवंश सिंह है। जांच के समय कह दिया गया कि उनके दस्तखत अपठनीय हैं। लेकिन समिति के समक्ष जांच के समय बताया गया कि उनके दस्तखत लिये गये थे। इसका मतलब यह हुआ कि दस्तखत बाद में करा लिये गये। उनके सम्बन्ध में लोक-लेखा समिति ने यह मत व्यक्त किया कि "समिति इस मामले पर घोर चिन्ता व्यक्त करती है। विभागीय सचिव ने समिति को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच 6 मास के अन्दर करेंगे। समिति संस्तुति करती है कि इस संघ में दृढ़तापूर्वक कार्यवाही की जाय और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाय।"

इसी प्रकार से खाली कनस्तरों के खरीदने में ज्यादा पैसा दिया गया है 14 नवम्बर, तक ठेकेदार को माल सप्लाई करना था। लेकिन उसको 15 तारीख को माल सप्लाई करने की आज्ञा दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि उसने माल सप्लाई करने से इंकार कर दिया। दुबारा माल खरीदना पड़ा जिसमें 2-3 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इस सम्बन्ध में भी लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। वह इस प्रकार है कि ---"समिति की राय में सम्बन्धित कर्मचारियों को जो दंड दिया गया है वह अपर्याप्त है। समिति इस निश्चित मत की है सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी ने भी अपने उत्तरदायित्व का निवहन नहीं किया। अतः समिति संस्तुति करती है कि इस मामले में दोषी सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को समुचित दंड दिया जाये।"

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट लूंगा, अधिक नहीं। आपने जो सड़कें बनाई हैं। मदनपुरा-धौरी-सागर रोड, ललितपुर जिले की सभी सड़कें और भंडोरा रेंज की सड़कें जो 5-6 साल में बनाई गई हैं। इनमें से एक भी पक्की सड़क नहीं बनी है। सड़कें ऐसी हैं जैसे कच्चे रास्ते होते हैं थोड़ी सी रोड़ियां डलवा दीं और जाने कितना पैसा हड़प कर गये। श्रीमन्, जहां तक ललितपुर की फारेस्ट रोड्स हैं, ये सब की सब फर्जी हैं, सबका पैसा निकाल कर खा लिया गया है और डिपार्टमेंट को पूरा धोखा दिया गया है।

दूसरे यह देखा गया कि हमारे प्रदेश में प्लाईवुड की जो फैक्ट्रियां हैं, वे अधिकारियों से मिलकर जंगलों को कटवा लेती हैं। उनको यह आश्वासन होता है कि नौकरी के बाद तुम्हें अपनी कम्पनी में नौकर रख लेंगे जैसे केन डिपार्टमेंट में डी० सी० ओ० को कहा जाता है कि जब वे रिटायर हो जायेंगे तो उनको मिल वाले मिलों में नौकर रख लेंगे। जब वे सरकारी नौकरी में रहते हैं तो उन फैक्ट्रियों के मालिकों की मदद करते हैं और बाद में वे वहां नौकर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्लाईवुड या पेपर फैक्ट्री वाले सरकारी नौकरों को आश्वासन दे देकर नाजायज फायदा उठाते हैं, इसकी आपको जांच करानी चाहिए।

आज आप वन विभाग में कुछ आमदनी भी नहीं कर पा रहे हैं। 26 करोड़ रुपये की आमदनी आप दिखा रहे हैं लेकिन 10-11 करोड़ रुपये का खर्चा भी आपने दिखाया है। क्या आप आमदनी कर रहे हैं? आपका प्रशासन बड़ा ही लूज है, चौपट है और इसमें संदेह नहीं है कि जितनी बनों से आमदनी हो सकती है, उतनी और कहीं से नहीं हो सकती है लेकिन विभाग जिस ढंग से काम कर रहा है, उसमें सब अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, आपने उन्हें अधिक काम भी दे रखा है, लकड़ी का कोई हिसाब नहीं है जिससे चैक कर सकें। आपने लम्बे-लम्ब क्षेत्र छोटे-छोटे कर्मचारियों के हवाले कर दिये हैं, इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं और जो अन्य माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उन पर ध्यान दें और इस प्रदेश के जंगलों की रक्षा करें।

*श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने वन विभाग से सम्बन्धित अनुदानों पर अपने सुझाव दिये हैं। इसमें दो रायें नहीं हैं कि जो सुझाव दिये गये हैं, वे बहुत ही अच्छे सुझाव दिये गये हैं। माननीय गंगवार जी ने कहा कि जर्मनी के फौरेस्ट बहुत अच्छे हैं। इसमें 2 रायें नहीं हैं। जर्मनी के ब्लैक फौरेस्ट विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। जब पिछली लड़ाई हुई थी, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ लेकिन वहां के लोगों ने बहुत जल्दी ही जितने पहले अच्छे वे फौरेस्ट थे, उनको वैसा ही बना दिया है। वहां की बहुत सी चीजों में और यहां की चीजों में बहुत अन्तर है। अपने यहां के वन भी ऐसे हैं, जो अच्छे वनों में कहे जा सकते हैं।

हमारे प्रदेश में अब एक निगम की स्थापना होने जा रही है। उससे ठेकेदारी का सिस्टम जो अभी तक हमारे प्रदेश में चालू है, समाप्त हो जायगा, धीरे-धीरे। इसमें कोई शक नहीं है कि ठेकेदारी प्रथा से हमारे वनों में बहुत ज्यादा नुकसान होता था। ठेकेदार चाहे छोटे या बड़े, कोई भी रहे हों, जब उनको वन के अन्दर जाने का एक लाइसेन्स मिल जाता था तो छोटे-छोटे कर्मचारियों से मिल कर अपने तरीके अख्तियार करके उन पेड़ों को जिनकी मार्किंग भी नहीं होती थी वे काट लिया करते थे। तो इस प्रकार हमारे वनों में नुकसान हुआ करता था। जब यह निगम स्थापित हो जायगा तो धीरे-धीरे ठेकेदारी प्रथा हम समाप्त करते जायेंगे और जो हानि होती है वह समाप्त हो जायगी।

यहां पर बहुत से सदस्यों ने स्टार पेपर मिल के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि स्टार पेपर मिल से हमारा एक मुहायदा है। उससे हम ट्विस्टिड (टेढ़ी-मेढ़ी) लकड़ी और घास, जिस रेट पर देते हैं, उसका हर तीसरे साल बाद रेव्यु करते हैं। तो इससे वन विभाग का कोई खास नुकसान नहीं होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जंगलों में छोटे लाट्स बना दें तो छोटे-छोटे लोगों को फायदा हो सकता है। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से कहूंगा कि पहाड़ में इसका पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। वहां पर सड़क के किनारे छोटे लाट्स बनाये गये और वहां पर कुछ लोगों ने खरीदे भी, लेकिन ज्यादातर लोग इस काम को करने के लिये आगे नहीं आये।

लारी साहब ने बहुत सी बातें बतायीं। एक तो यह बताया कि वहां बहुत नाजायज कटान हुआ। आप जानते हैं कि फौरन ही इंक्वायरी करायी गयी और उसके परिणामस्वरूप बहुत से अधिकारी चार्ज-शीट किये गये हैं और जांच जारी है।

जंगली जानवरों के बारे में भी बहुत से सदस्यों ने कहा। यह सही बात है कि जंगली जानवरों से जंगलों के पास जो खेत हैं उनको बहुत नुकसान होता है। खास कर, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, में बन-गायों से बड़ा नुकसान होता है और अभी तक तरीका यह रहा है कि ठेकेदार वहां पर मुकर्रर हो जाते थे और जसा कि लारी साहब ने कहा, वह लोग जो बछड़े और गायें होती हैं उनको अलग कर लेते हैं और फिर गायों को जंगलों में छोड़ देते हैं। इस तरह से उतनी तादाद बनी रह जाती है। पिछले साल जब मैं गोरखपुर गया था तो यह समस्या करीब-करीब हर जगह से आयी थी और हमने वहां पर निर्णय लिया था कि बजाय ठकेदारी सिस्टम के अगर गांव वाले इस चीज को करना पसंद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए कि वह ठीक से करगे, और जहां तक मुझे याद पड़ता है उसी वक्त हमने इसके आदश भी द दिय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

इसके लिये बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपके अधिकारी नहीं पसंद करेंगे इसको ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

नहीं, इसके बहुत जल्दी से जल्दी आदेश हो जायेंगे, इसका आप इतमीनान रखिए । एक वन जांच नियमावली, 1972 की है, उसमें बहुत से वहां के स्थानीय लोगों ने थोड़ी सी आपत्ति की थी । तो जैसा कि पहले बताया था मैंने, इसके संशोधन के लिये एक छोटी सी कमेटी बना दी गई है और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि टेहरी और उत्तर काशी में भी यह नियमावली लागू कर दी जाय । इस तरीके से हमें पूर्ण विश्वास है कि पहाड़ों में इसके हो जाने से काफी सबको सुविधा हो जायगी ।

श्रीमन्, बहुत सी चीजें और जो सुझाव दिये गये हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इसमें दो राय नहीं हैं कि विभाग में खामियां हैं, कमियां हैं, मैं उनको ऐक्सेप्ट करता हूं लेकिन यह भी माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह मेरा निरंतर प्रयास रहता है जो शिकायत आती हैं उनका तरन्त निराकरण किया जाय । हमार माननीय सदस्य खीरी का यह कहना था कि नैपाल के बोर्डर में जो चौकियां हैं, तो यह वन विभाग का कायदा रहा है कि वहां लोग पक्के मकान नहीं बना पात हैं । जब मैं पिछली दफा लखीमपुर गया था तो च दन चौकी को मैंने दखा और इसी तरह से दो तीन जगह हैं जहां पर मैं यह समझता हूं कि अगर उनको पक्के मकान बनाने की इजाजन दे दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । इसके लिये मैंने कंजरवटर को आदेश दिया था कि उस जगह को देखकर उसकी नपाई करे कि कितन आदमी वहां पर आ पाते ह, कितनी जमीन चाहिए । कोई एक तरीका निकाल दिया जाय, लीज करके, उस तरीके से वह जमीन दे दी जायगी और वह अपने पक्के मकान बना लेंगे । इसलिए कि यह बिल्कुल सही है कि माननीय सदस्य ने जैसा कहा, वह अपना सामान रखने के लिये, और भी चीजें रखने के लिये, जो उन्ह बड़ी कठिनाई रहती है तो इन सब बातों को दखत हुए मैं अन्त में फिर एक दफा माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करूंगा जो उन्होंने सुझाव दिये हैं, जो भी उसम से कार्यान्वित कर सकंगा वह जरूर करूंगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि जो मुकदमे चल रहे हैं, अगर उसमें अधिकारी मुजरिम हैं उनको छोड़कर उन मुकदमों को उठा लें जो किसानों पर ह ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मैं उसको देख लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--वन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

[श्री अध्यक्ष]

लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,13,73,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,99,200 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81—वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान क अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81—वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तगत होन वाल परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि क अतिरिक्त 4,41,700 रुपय से अनधिक ध नराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने क लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 11 सूचनायें हैं। एक माननीय दया किशन पांडेय का है जिला पिथौरागढ़ में बड़े पैमाने पर व्यापक तस्करी के बारे में। यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

दूसरा है माननीय काशीनाथ मिश्र का बलिया जनपद में बलिया-बेरिया बांध से जो कटाव हो रहा है उसके बारे में। यह भी केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

शेष नहीं स्वीकार हैं।

एक है माननीय बाबू लाल वर्मा, माननीय अवधेश कुमार और माननीय राजेन्द्र कुमार का। विधायक निवास में कहीं कूलर लगाया गया है।

एक सदस्य--

उनको कमरा आवंटित नहीं किया गया है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना है कि विधायक निवास में उनको वह कमरा आवंटित नहीं किया गया है और श्री अब्दुल रहमान अनधिकृत कब्जा जमाये हुए हैं जब कि कई अन्य माननीय सदस्य इधर-उधर भटक रहे हैं।उस कूलर से रात में इतनी तेज आवाज होती है कि उससे निकट के माननीय विधायकों को एवं उनके काय कर्ताओं को महान कष्ट होता है.... (व्यवधान) नींद नहीं आती है...बड़ी नजाकत है... (हंसी) यह वक्तव्य के लिए कैसे स्वीकार हो सकता है ... (व्यवधान) इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्बन्धित मन्त्री उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

वह कमरा उनको आवंटित नहीं किया गया है। कांग्रेस के महामन्त्री के नाम से एलाटेड है, जब कि बहुत से विधायकों को कमरे अभी तक नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह तो आप लिख कर दे दें, उस पर कार्यवाही होगी। माननीय सदस्यों को मालूम है कि दिल्ली में भी राजनैतिक दलों को कमरे दिये जाते हैं ... (व्यवधान)

एक सदस्य--

कानपुर में एक महिला के साथ जनसंघ के एक नेता द्वारा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

जो अन्य प्रस्ताव हैं वे भी अस्वीकार हैं। वे अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से शोर)

आप लोग एक साथ बोल रहे हैं। कैसे किसी की बात सुनी जा सकती है। हम आगे चलते हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मेरा एक निवेदन है, इसको भी स्वीकार कर लीजिए। ऐसा केवल एक डकैती का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि पूरे कानपुर में आतंक है। मुझे पता चला है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दूसरे इसके पीछे जो सरकार की शक्ति है वह दूसरी तरफ लग रही है, यह इल्जाम भी है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री मधुकर दिघे--

इसमें देर होगी। वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न ही कर लें इससे जल्दी होगी। वक्तव्य से शासन पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि प्रश्न से।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)---

मान्यवर, कार्यवाही के लिये आप इसको स्वीकार कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैंने आपको 9 बजकर 20 मिनट पर दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आपने साढ़े ग्यारह बजे दिया है यह समय से बाहर है। आप इसको कल दीजिए।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, आपके बारे में एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। विधान परिषद् में आपके खिलाफ माननीय शंकर, सदस्य, विधान परिषद् ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है। यह आदरणीय सदन का अपमान है ?

श्री अध्यक्ष--

आप इसको लिखकर दे दीजिए।

गोमती नदी का जल दूषित होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

दिनांक 29 जून, 1974 को प्रातः गऊघाट कच्चे जल पम्पिंग स्टेशन पर उसके स्टाफ ने देखा कि गोमती नदी का जल गहरे पीले रंग का आ रहा है। चूंकि यह जल ऐशबाग वाटर वर्क्स को पम्प किया जाता है, गऊघाट पम्पिंग स्टेशन के स्टाफ ने लगभग 7-30 बजे प्रातः इसकी सूचना टेलीफोन से ऐशबाग वाटर वर्क्स को दी। यह सूचना मिलते ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता और केमिस्ट ने पानी का निरीक्षण किया और उसमें चूना, फिटकरी, मिट्टी व ब्लीचिंग पाउडर मिलवाने की व्यवस्था की तथा इसकी सूचना नगर अभियन्ता को दी जो 15 मिनट के अन्दर ही वहां पर पहुंच गये और सेटलिंग टैंक, फिल्टर्स इत्यादि का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया। दिनांक 29 जून, को ही पानी का भौतिक रसायन एवं कीटाणुविक

परीक्षण किया गया और पानी संतोषजनक पाया गया ? यह निरीक्षण 30 जून को भी किया गया, निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न है। 30 जून को ब्लीचिंग पाउडर के साथ-साथ क्लोरीन को इन्लेट चैनेल में मिलाने की व्यवस्था की गई। 29 जून से निरन्तर जल-कल विभाग का स्टाफ कच्चे पानी एवं स्वच्छ पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दे रहा है और रात में भी पानी का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है। साधारणतया पानी में क्लोरीन की मात्रा 0.5 पी० पी० एम० मिलाई जाती है लेकिन 29 जून को उसकी मात्रा 0.6 पी० पी० एम० कर दी गई और 2 जुलाई से इसकी मात्रा बढ़ाकर 1.0 पी० पी० एम० कर दी गई। 29, 30 जून तथा 1 जुलाई को जो रसायनिक पदार्थ मिलाये गये उनकी मात्रा संलग्नक में दी गई है। पानी का कीटाणुविक परीक्षण भी कराया जा रहा है इसके अतिरिक्त वाटर वर्क्स ने गोमती के वियर के गेट को 30 जून से खुलवा दिया ताकि गोमती का पानी तेजी से निकल जाये।

जल-कल विभाग के अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने भी ऐशबाग वाटर वर्क्स से पानी लेकर तथा विभिन्न क्षेत्र से नलों के पानी का नमूना लेकर रसायनिक विश्लेषण कराया और उस पानी को पीने के योग्य पाया और किसी प्रकार से मनुष्य जीवन के लिये हानिकारक नहीं पाया।

29 जून, को नदी का पानी गहरे पीले रंग का था जो धीरे-धीरे हलका होता गया। इससे जन-जीवन की कोई हानि नहीं हुयी है। यह कहना सही नहीं है कि इस पानी के पीने से नगर में गैस्ट्रो-इन्ट्राइटिस के रोग में वृद्धि हुई है। निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि लखनऊ के संक्रामक रोग अस्पताल में पिछले 3 दिनों में गैस्ट्रो-इन्टाइटस के भर्ती हुए रोगियों में कमी हो गई है:—

दिनांक	वर्ष 1974	वर्ष 1973
29 जून	8	19
30 जून	8	9
1 जुलाई	3	8
2 जुलाई	4	8

जो रोगी 29 जून से 1 जुलाई तक भर्ती हुए वह शाकाहारी थे और उन्होंने मछली नहीं खाई। मेडिकल कालेज में कोई ऐसा केस भर्ती नहीं हुआ।

यह सत्य है कि 29 जून से 1 जुलाई तक बहुत बड़ी मात्रा में मरी मछलियां गोमती में बहती हुई लखनऊ तक आईं। मत्स्य विभाग ने मछलियों की मृत्यु के बारे में तुरन्त जानकारी प्रारम्भ कर दी और उन्होंने भी गोमती नदी के पानी का परीक्षण किया जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। मछलियों की मृत्यु से मत्स्य विभाग ने यह अन्दाजा लगाया कि लखनऊ के ऊपर गोमती नदी में किसी डिस्टिलरी या शूगर फैक्ट्री के एफ्लुएण्ट का भारी मात्रा में पानी में मिलने से मृत्यु हुई। उन्होंने पाया कि पानी में जो आक्सीजन धुली रहती है उसकी संख्या 7.7 पी० पी० एम० के मुकाबिले में 0.75 पी० पी० एम० रह गई थी। इसकी जांच साइंटिस्ट इंचार्ज, सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर के विशेषज्ञ डा० एस० पी० अरोड़ा ने की और वह मत्स्य विभाग की रिपोर्ट से पूर्णतया सहमत हुए। उन्होंने बताया कि जो एफ्लुएण्ट डिस्टिलरी आदि से आती है वह बहुत एसिडिक होते हैं और उसमें इतना आरगेनिक पदार्थ रहता है जो पानी के आक्सीजन को समाप्त कर देता है। मछली को जिन्दा रहने के लिए 2 मिलीग्राम घुले आक्सीजन की आवश्यकता रहती है। जब पानी में धुला आक्सीजन समाप्त हो जाता है और पी० एच० एसिडिक हो जाता है तो मछलियां बहुत तेजी से मरने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लगती हैं । मरी हुई मछलियों के 12 ट्रक-लोड 1 जुलाई तक नष्ट करवा दिये गये हैं । जो मछलियां गोमती के पानी से उछल कर नदी के किनारे आकर मर | गई उनको भी नष्ट करा दिया गया ।

रेलवे स्टेशन के पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि 29, 30 जून और 1, 2 जुलाई को वष 1973 म 450 क्विटल मछलियां कलकत्ता आदि भेजी गई लेकिन उसके मुकाबिले में इन्हीं दिनों में इस वर्ष में 800 क्विटल मछलियां रवाना की गईं । बिहार और पश्चिमी बंगाल दोनों को वायरलेस द्वारा सूचित कर दिया गया कि जो मछलियां इन दिनों ट्रेन द्वारा उनके प्रदेश गई हैं उनकी बिक्री के पूव एतिहातन जांच करा लें ।

जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा जांच कराई गई तो मालूम हुआ कि हरगांव चीनी मिल और डिस्टिलरी ने अपने मिल का एफ्लुएण्ट गोन नाला द्वारा सरायन नदी में बहा दिया । सरायन नदी गोमती में आकर मिलती है । जिलाधिकारी ने एफ्लुएण्ट के बहाव को रुकवा दिया है । इस बात की आशंका है कि गोला चीनी मिल और डिस्टिलरी का एफ्लुएण्ट सरायन नदी में छोड़ दिया जाता है । इसकी भी जांच कराई जा रही है । चीफ इन्सपेक्टर आफ फक्ट्रीज को इन दोनों फैक्टरियों की जांच के लिये भेज दिया गया था और उन्हें आदेश दे दिया गया है कि वह इन फैक्टरियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तत्काल करें । चीफ इन्सपेक्टर ने अबध शुगर मिल के आकुपायर, श्री मोहन लाल और उसके मैनेजर, श्री कुन्दन लाल मेहता, के विरुद्ध फैक्ट्री ऐक्ट, 1948 की धारा 92 के अन्तर्गत फैक्ट्री ऐक्ट की धारा 12 सहपठित यू० पी० फैक्ट्री रूल्स, 1950 के नियम 18 के उल्लंघन के सम्बन्ध में चालान कर दिया है और चीफ ज्युडिशल मैजिस्ट्रेट, सीतापुर के न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया । वे गोला चीनी मिल की भी जांच कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट स्टेट एफ्लुएण्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे । उनसे कहा गया है कि जिन फैक्ट्रियों के एफ्लुएण्ट गोमती नदी के पानी में आ सकते हैं उन सब की जांच करें कि उनके एफ्लुएण्ट का निस्तारण किस प्रकार हो रहा है और उनका किस प्रकार ट्रीटमेन्ट कराया जाता है ।

(वक्तव्य की नत्थी के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 763–765 पर)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)––

मान्यवर, मैं आपके सचिवालय की ज्यादती की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । दफा 51 में जब भी कोई वक्तव्य आता है, मैंने यह देखा है कि विरोध पक्ष को मिल जाता है, लेकिन इधर के पक्ष वालों को वक्तव्य नहीं मिलता । कृपया आप इन्स्ट्रक्ट कर दें कि हम लोगों को भी मिल जाया करे ।

श्री अध्यक्ष––

अगर हमारे पास कोई प्रेस होता तो हम आप सबको बांट सकते थे । साइक्लोस्टाइल्ड कापी आती हैं जो 100 से ज्यादा नहीं होती वह मुख्य दलों के लोगों में बांट दी जाती हैं ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)––

आप कम से कम इन्स्ट्रक्ट तो कर सकते हैं कि सभी को बांटा जाय ।

श्री अध्यक्ष––

यह तो छपाई की सुविधा पर निर्भर है । अगर कागज और मशीन हो तो सबको प्रति बांटी जा सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा है उसमें यह कहा गया है कि गोमती के पानी से कोई नुक्सान नहीं हो रहा है और जन-जीवन को कोई क्षति नहीं पहुंची। उन्होंने बड़ी सफाई से आंकड़े भी पेश कर दिये हैं कि इन दिनों 73 के मुकाबले बीमारी भी कम हो गई है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि यह किस अधिकारी ने जांच-पड़ताल की है और इस प्रकार गलत आंकड़े रखे हैं। अभी इसी समय यहां पर एक टोंटी का पानी लिया है, जो नगर-पालिका की टोंटी है। उस पानी में श्रीमन्, आप देखें तो मालूम होगा कि कितने ही जानवर मरे पड़े हैं। बिलकुल कच्चा पानी गोमती का उठाकर नगर के लोगों को दिया जा रहा है।

एक सदस्य---

कीड़े होंगे, जानवर नहीं।

श्री अध्यक्ष---

आप अपनी जानकारी से कहिये कि पानी नल का ही है...।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

यह दूसरी जगह का पानी नहीं है। यह टोंटी का ही पानी है। दारूल सफा में तो टंकी से आता है। पानी का रंग भी बदल गया है। यह भी माना गया है कि इस कदर मछलियां मरीं कि 12 ट्रक डेस्ट्राय किये गये। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विरोधाभास क्यों। एक तरफ तो माना जाता है कि एसीडिटी बढ़ गई और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि नुक्सान नहीं हुआ। यह गलत रिपोर्ट कैसे आई और क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

श्री ओम प्रकाश जी ने जैसा कहा उसके संदर्भ में मैं नियम 51 के अन्तर्गत उप नियम (1) व (2) की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उप नियम दो कहता है कि किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मन्त्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या किसी भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे। लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जायेगी।

श्री ओम प्रकाश (जिला जौनपुर)---

अगर कुछ लोगों को बांटा जाय और कुछ को नहीं, इस पर मैंने आपत्ति की थी।

श्री अध्यक्ष---

अगर 425 में से 420 प्रश्न न करें और 5 करें या 6 करें तो यह कोई तर्क नहीं और कहा जाय कि समता के खिलाफ है .....।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जो मछली मरीं उसका कारण साफ है कि पानी में आक्सीजन की कमी हो गयी। जो आंकड़े दिये गये हैं वह इंफक्सस डिजीज हास्पिटल क हैं। यह डायरेक्टर मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन्होंने पिछल साल के और इस साल के रजिस्टर को मिलाकर देखा है। जहां तक इस पानी के गिलास का सवाल है तो इसमें इतने छोटे जानवर नहीं आ सकते, कुछ कीटाणु हो सकते हैं।

श्री अबदुल रऊफ लारी---

जानवर से मतलब हाथी या ऊंट से नहीं था। कीटाणुओं से ही मेरा मतलब था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसकी जांच कराई जा सकती है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं मन्त्री जी से एक उत्तर चाहता हूं । लगता है इनके राज्य में प्रलय की स्थिति आ गयी है । मनुष्य को भोजन नहीं.....।

श्री अध्यक्ष--

तब तो सारी समस्याओं का निराकरण हो गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इन्होंने कहा कि डिस्टिलरी का एफ्लुएन्ट वाटर आ गया तो यह हुआ। सरकार ने तो अपने विशेषज्ञों से पासकर उत्तर दे दिया। इसी प्रकार का एफ्लुएन्ट वाटर या इसी तरह की चीजें चीनी मिलों से निकलती हैं और वहां के आदमियों का रहना मुश्किल हो जाता, है। वहां की आबोहवा खराब हो जाती ह। चाहे डिस्टिलरी का पानी हो या चीनी मिल का हो तो क्या कोई ऐसी योजना है कि मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य के लिये जो यह हानिकारक है उसे ठीक किया जा सके । या कोई ऐसी व्यवस्था है कि पानी न गिरे और अगर गिरे तो नुकसान न पहुंचाये । ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह बड़े महत्व का प्रश्न है और सारे संसार में इसकी चर्चा है । एफ्लुएन्ट बोर्ड हमारे प्रदेश में है और एक ऐक्ट भी है जिसके अन्दर हर उद्योग से कहा जाता है कि वह अपने यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाये । लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास काफी पैसा नहीं है । अलग-अलग उद्योग की अलग-अलग समस्या है। एफ्लुएन्ट बोर्ड में कैमिकल एक्सपर्ट स रहते हैं । डायरेटर मेडिकल उसका संयोजन करते हैं । अगर किसी विशेष फैक्ट्री का उल्लेख नेता जनसंघ करेंगे तो जानकारी करा ली जायगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

यह वक्तव्य मैंने पढ़ा । सही बात यह थी कि लोगों को शका हुई कि लखनऊ में मछलियां मरीं । और यह शक हुआ कि शायद मोहन मेकिन्स से छोड़ा गया । माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये मछलियां मरी कहां । कह दिया कि लखनऊ के ऊपर से । 12 ट्रक मछलियां निकाली गयीं तो यह मरी कहां पर ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मछलियां, हरगांव चीनी मिल और डिस्टिलरी की मिल के एफ्लुएण्ट वाटर गोन नाला द्वारा सरायन नदी में आने के कारण मरीं ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, यहां प्रदेश के सारे लोगों की जिन्दगी का सवाल है । केवल गोमती ही में नहीं, गंगा और जमुना में भी पानी गंदा हो रहा है । क्या उत्तर प्रदेश में नदियों का पानी स्वच्छ रखा जाय, इसके लिये कोई योजना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--]

श्रीमन्, जैसा कि मैंने अभी कहा यह बहुत बड़ा प्रश्न है । ऐसी कोई योजना तो नहीं है, लेकिन हर नगरपालिका और हर शहर का वाटर वर्क्स और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट इस बात का पूरा-पूरा प्रयास रखता है कि पीने का पानी पूरी तरह स्वच्छ रहे ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरगांव शुगर फैक्ट्री में वेस्ट वाटर के लिये एक पाण्ड बनाने की स्कीम थी, जिसके लिये जमीन भी ले ली गयी थी, तो वह पाण्ड बना या नहीं?

श्री अध्यक्ष--

यह तो दूसरा सवाल है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । जो शुगर मिले हैं या दूसरी मिले हैं वे अपना गंदा पानी नदियों में न छोड़ें बल्कि एक तालाबनुमा बनाकर उसमें डाल दिया करें । तो क्या इसके लिये फैक्ट्रियों ने जमीन ली है और यदि नहीं तो क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, जांच करायेंगे ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि 28 जून के पहले भी डिस्टिलरीज और शूगर फैक्ट्रीज से एफलुयेन्ट वाटर छोड़ा गया था यह पहली बार ही छोड़ा गया कि जिससे गोमती में इतनी मछलियां मरीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, यह पहली बार इतनी मात्रा में छोड़ा गया और उस पानी में जो केमिकल तत्व थे, वे इतने प्रभावी थे कि उससे मछलियां मरीं । इसके पहले वह कितने प्रभावी थ, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मन्त्री जी के वक्तव्य में लिखा है कि 29 जून को भौतिक तथा रासायनिक परीक्षण किया गया और पानी संतोषजनक पाया गया । और यह रिपोर्ट जो है, वह 1-7 की है । तो क्या जानबूझ कर 29 और 30 के परीक्षण की रिपोर्ट को दबाने की कोशिश अधिकारियों ने की है और क्या उसकी जांच करके दुबारा रिपोर्ट देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह विस्तृत रिपोर्ट जो है, वह संलग्न है । जो प्रारम्भिक रिपोर्ट 29 तारीख को हुई, उसका इसमें उल्लेख है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, डा0 अग्रवाल के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि नदी या नाले में डिस्टिलरी का अफ्लुयेन्ट वाटर इससे पहले नहीं छोड़ा गया था । यह उनकी जानकारी में नहीं है कि पहली बार छोड़ा गया । लेकिन वक्तव्य में मन्त्री महोदय कहते हैं कि, 'इस बात की आशंका है कि गोला चीनी मिल और डिस्टिलरी का एफ्लुएण्ट सरायन नदी में छोड़ दिया जाता है । इसकी भी जांच कराई जा रही है ।

तो मान्यवर, यह तो मन्त्री जी का स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्ट्री हो गया । एक तरफ कह रहे हैं कि जांच कराई जा रही है और अभी स्टेटमेन्ट में कह रहे हैं कि उनकी जानकारी नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है । तो मान्यवर, दो स्टेटमेन्ट कैसे हो सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कौन-सा उल्लेख पड़ा है, आपने ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

पेज 2 पर है, लास्ट पैरा । उसमें लिखा है--

"जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा जांच कराई गई तो मालूम हुआ कि हरगांव चीनी मिल और डिस्टिलरी ने अपने मिल का एफ्लुएण्ट गोन नाला द्वारा सरायन नदी में बहा दिया । सरायन नदी गोमती में आकर मिलती है । जिलाधिकारी ने एफ्लुएण्ट के बहाव को रुकवा दिया है । इस बात की आशंका है कि गोला चीनी मिल और डिस्टिलरी का एफ्लुएंट सरायन नदी में छोड़ दिया जाता है । इसकी भी जांच कराई जा रही है ।" इसमें सन्देह व्यक्त किया गया है कि एफ्लुएंट पहले से बहाया जा रहा है और इसकी जांच जिलाधीश को सौंपी है और आपने यह भी कहा कि इससे पहले कोई एफ्लुएंट नहीं बहता था और इसकी कोई जानकारी आपको नहीं है तो दोनों में से क्या सत्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हरगांव चीनी मिल के बारे में निश्चित है कि उसने डाला है जैसा कि जिलाधीश की स्टेटमेन्ट है । गोला फैक्टरी के बारे में सन्देह है इसलिये जांच कराई जा रही है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मंत्री जी ने अपने बयान में एक जगह कहा कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष इस बीमारी से मौतें कम हुयीं और दूसरी जगह यह कहा कि इस वर्ष 800 कुन्टल मछलियां भेजी गयीं जबकि पिछले साल 450 क्विंटल ही भेजी गयीं । प्रश्न मेरा यह है कि मरी हुई मछलियां मिलीं और किस कारण मरीं इसको भी कबूल किया गया तो जब मछलियां मरी हुई नदी में रहेंगी तो सड़ेंगी भी और सड़ी हुई मछलियां निश्चित रूप से मुजिर साबित होंगी और जब वह यह भी मानते हैं कि डिस्टिलरीज तथा मिलें गंदगी बहाती हैं तो क्या यह ठीक नहीं है कि यह सब अनहाइजिनिक है और दूषित पानी की वजह से स्वास्थ्य को खतरा है और अगर है तो इसको दूर करने के लिये सरकार किस प्रकार से चिन्तित है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मछलियों के आंकड़े इसलिए दिये गये कि पिछले साल जहां 450 क्विंटल मछली कलकत्ते जाती थीं तो सहजा जब दुगुनी भेजी गयीं और मरी हुई मछलियों को पारसल करके कलकत्ता भेज दिया गया तो यह प्रजम्पशन व्यक्त किया गया कि मछलियां ऐसी हैं । कितनी मरीं और कैसे मरीं इसके लिये जब तक जांच न हो पता नहीं चल सकता । पानी के दोष के सम्बन्ध में रिपोर्ट में लिखा हुआ है --

No cynides, Arsenic and Maganese are present. The water is potable with addition of excessive doses of clorine to give residual chlorine at the last standpost:

यह फैसला आया अब आप देखेंगे कि जितनी क्लोरीन जो पहले दी जाती थी उसकी दुगनी अब दी जाने लगी है । आंकड़ें इस प्रकार हैं--

क्लोरीन पहले 95 किलो ग्राम दी जाती थी वह 29 जून को 150 तथा 30 जून को 200 किलो ग्राम डाली गई । ब्लीचिंग पाउडर, तथा चूना अल्मूनियम फैरिक जो पहले बिल्कुल नही डाला जाता था वह 29 तथा 30 जून को 384 व 204 किलो ग्राम, चूना 120 किलो ग्राम अल्यूमिनियम फेरिक 5 टन क्रमशः डाला गया ताकि पानीं दूषित न हो ।

श्री प्रभु नारायण सिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री ने वक्तव्य में कहा कि इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज को आदेश दे दिये गये हैं और उन्होंने जांच करके मुकदमा भी दायर कर दिया है फैक्ट्री मनेजर के खिलाफ । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर या फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने इस बात की जांच की थी कि फैक्ट्री के पानों को इस प्रकार से बहाने के आदेश फैक्ट्री मैनेजर को दिये थे ? जिससे वह विषैली शक्ल में न बहे । ऐसे आदेश इंस्पेक्टर की तरफ से हुये थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी -

श्रीमन्, ऐसी न कोई सूचना मेरे पास है और न जिलाधिकारी ने ऐसी सूचना दी ।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इसकी सूचना मानकर कि फैक्ट्री इंसपेक्टर ने इस तरह की कोई कार्यवाही न की हो कि एहतियात न बरता गया हो , उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर उसने इस तरह की कार्यवाही की होगी तो जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, गोला चीनीं मिल के बारे में जांच के जो आदेश दिये गये हैं, उस संबन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जांच कब तक हो जायेगी और उसके मैनेजर के खिलाफ भी क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, अभी आधे घंटे पहले डी० एम० ने जो सूचना दी है उसके हिसाब से जांच अभी जारी है वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है जो फक्ट्री के एफ्लुयेन्ट पानी को सरायन नदी में डालता है ।

दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने वाले व्यक्ति की हिरासत से रिहाई

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 3 जुलाई, 1974 को लगभग 3 बजे अपराह्न, जिस समय श्री हरीश कुमार गंगवार जी सदन में बोल रहे थे, शासन पक्ष की ओर दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने "जिसके पास दशक दीर्घा में प्रदेश पत्र संख्या 31795 था और जिस पर श्री रवीन्द्रनाथ लिखा हुआ है) दीर्घा से भ्रष्टाचार जिन्दाबाद" आदि जैसे नारे लगाकर सदन में नीचे पर्चे फेंके जिसस कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ । दर्शक दीर्घा में तैनात रक्षकों ने उस व्यक्ति को तुरन्त ही उस स्थान से हटाकर अपनी हिरासत में लिया । इस व्यक्ति को श्री राम पाल सिंह यादव (सदस्य) द्वारा प्रवेश-पत्र जारी किया गया । व्यक्ति से प्राप्त हुये प्रवेश-पत्र तथा उसके द्वारा फेंक गय पच की एक प्रति संलग्न है । यह व्यक्ति मार्शल के नियंत्रण में विधान सभा रक्षकों के सुपुर्द बैठाया हुआ है । इस व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना नाम भी रवीन्द्रनाथ ही बतलाया है ।

[श्री अध्यक्ष]

तो आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि इन्हें छोड़ दिया जाय ?

(कोई आपत्ति नही की गयी)

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 39 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊः
3 जुलाई, 1974

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 683 पर)

संख्या 9/1417-15--2007 (13)-73

प्रेषक,

प्रभा कान्त शुक्ल,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 1974

विषय--अशासकीय व्यक्तिगत साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामूहिक जीवन बीमा योजना का कार्यान्वयन ।

महोदय,

शिक्षा (9) अनुभाग

इस समय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों (चतर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) को आनुतोषिक एवं लाभत्रयी योजनाओं के अन्तर्गत कुछ आर्थिक सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं। आनुतोषिक योजनान्तर्गत अध्यापक, यदि उसे सेवा में 3 या इससे अधिक वर्ष हो गए हैं, सेवाकाल में मृत्यु पर अन्तिम आहरित मासिक वेतन के 6 गुने के बराबर धनराशि आनुतोषिक के रूप में शासन से पाने का अधिकारी होता है । लाभ-त्रयी योजनान्तर्गत स्थायी अध्यापक/कर्मचारी को अंशदायी भविष्य निधि एवं पेंशन (जिसमें पारिवारिक पेंशन भी शामिल है) की सुविधा शासन द्वारा तभी प्राप्त होती है जब उसने अपना जीवन-बीमा अनिवार्यतः करा लिया हो। कुछ अध्यापक/कर्मचारी चाहते हुए भी शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपना जीवन बीमा नहीं करा पाते। कुछ अध्यापक अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण समय से प्रीमियम न चुकाने के फलस्वरूप अपनी पालिसी चालू नहीं रख पाते। ऐसे अध्यापक लाभत्रयी योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी लाभों से वंचित रह जाते हैं ।

2--अध्यापकों की उपर्युक्त कठिनाइयों एवं उनको और अधिक आर्थिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से शासन ने भारतीय जीवन बीमा-निगम द्वारा प्रस्तावित सामूहिक जीवन बीमा योजना पर पर्याप्त विचार करने के उपरांत साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समस्त नियमित रूप से कार्यरत शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी (जिसमें प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य एवं चतुर्थ श्रेणी स्टाफ भी शामिल है) जो वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत वेतन पा रहे हैं के सम्बन्ध में दिनांक 1 मार्च, 1974 से सामूहिक जीवन बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है ।

3--इस योजना के लागू होने की तिथि से राजाज्ञा संख्या ए-4416/15--3004 (7)-1964, दिनांकित 11 नवम्बर, 1965 द्वारा निर्गत 'आनुतोषिक योजना', जहां तक साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सम्बन्ध है, निरस्त समझी जायगी । 18 एवं 60 वर्ष की आयु के मध्य के उपर्युक्त विद्यालयों में नियमित रूप से कार्यरत सभी शिक्षकों (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य सहित) एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी

के कर्मचारियों सहित) पर अनिवार्य रूप से यह योजना लागू होगी और लागू होने की तिथि से इन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये 'लाभत्रयी' योजनान्तर्गत वैयक्तिक रूप से अपना जीवन बीमा कराना आवश्यक न होगा। जो अध्यापक एवं कर्मचारी उक्त तिथि से पूर्व अपना जीवन-बीमा करा चुके हैं वे चाहें तो इस 'पालिसी' को उक्त तिथि से या उसके बाद किसी तिथि से समाप्त कर सकते हैं और चाहें तो इसे चलाते रहने पर सामूहिक जीवन बीमा योजना का अंशदाता (Subscriber) उन्हें अनिवार्य रूप से बनना पड़ेगा। इस योजना की सम्पूर्ण रूप-रेखा आवश्यक नियमावली एवं दावे के भुगतान की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किए जावेंगे।

4——संक्षेप में योजना इस प्रकार है कि इस योजना के प्रत्येक सदस्य को रु० 5 प्रति मास की दर से अपना अंशदान देना होगा। प्रत्येक सदस्य का वार्षिक अंशदान रु० 60 होगा। इसमें से रु० 16 प्रतिवर्ष प्रीमियम हेतु होगा और शेष रु० 44 प्रति वर्ष जीवन बीमा निगम के विशेष निक्षेप प्रशासन लेखे में जमा होगा। प्रीमियम हेतु प्रति अध्यापक प्रतिमास लगभग रु० 1 अर्थात् लगभग रु० 12 वार्षिक प्रति अध्यापक की दर से अंशदान शासन को भी दे देना होगा। इस अंशदान में प्रति दो वर्ष बाद यदि आवश्यक हुआ तो संशोधन किया जा सकता है।

5——सदस्य के सेवाकाल में मृत्यु पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को मृत्यु उपादान के रूप में जीवन बीमा निगम द्वारा निम्न धनराशि प्राप्त होगी——

(1) अध्यापक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी होने की दशा में——रु० 5,000।

(2) प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य होने की दशा में——रु० 7,500।

6——उपर्युक्त के अतिरिक्त मृत्यु के समय तक निक्षेप प्रशासन लेखे के अन्तर्गत जो धनराशि जमा हो चुकी होगी वह 41/2 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज की दर सहित उसे वापस मिल जावेगी।

7——निवृत्ति प्राप्ति की अवस्था या सेवा से पृथक किए जाने या स्वयं पृथक हो जाने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति को निक्षेप प्रशासन लेखे में उस समय तक जमा कुल धनराशि 41/2 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज सहित, वापस मिल जावेगी। पर यह धनराशि सेवा से स्वयं पृथक होने की दशा को छोड़कर शेष दशाओं में किसी भी प्रकार उस धनराशि से कम न होगी, जो कुल अंशदान इस योजनान्तर्गत व्यक्ति ने प्रीमियम व निक्षेप लेखे में दिया हो। व्याज की उपर्युक्त दर में भविष्य में जीवन बीमा निगम द्वारा परिवर्द्धन किया जा सकता है।

8——इस योजनान्तर्गत वार्षिक प्रीमियम की धनराशि का भुगतान शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा जीवन बीमा निगम को त्रैमासिक किस्तों में किया जावेगा।

9——चूंकि शासन ने इस योजना को मार्च, 1974 से उपर्युक्त अध्यापकों आदि के सम्बन्ध में, लागू करने का निर्णय ले लिया है अतः राज्यपाल महोदय मार्च, 1974 के रिस्क प्रीमियम के सम्बन्ध में इस योजनान्तगत आने वाले समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान के रूप में रु० 2,31,859 (दो लाख इक्तीस हजार आठ सौ उन्सठ) की धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान हेतु स्वीकृत करत हैं। शिक्षा निदेशक इस धनराशि को राजकीय कोष से निकाल लें और बैंक ड्राफ्ट द्वारा इसका अविलम्ब भुगतान जीवन बीमा निगम को कर दें।

10——श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि अगले वर्ष से सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं को देय त्रैमासिक अनुदान की किस्तों में से अध्यापक एवं अन्य स्टाफ जो इस योजना के अधीन है, का सम्बन्धित मासों हेतु अंशदान रु० 5 प्रतिमास प्रति सदस्य की दर से शिक्षा निदेशक स्वयं काट लिया करें और तदुपरन्त देय त्रैमासिक अनुदान स्वीकृत किया करें। इस कारण

प्रत्येक व्यक्ति के वेतन में रु० 5 प्रतिमास की कटौती हो जावेगी। साथ ही शिक्षा निदेशक त्रैमासिक देय अनुदान की किस्त से कटौती की गई यह धनराशि एवं राज्य शासन से प्राप्त अंशदान की धनराशि कुल वार्षिक प्रीमियम चुकाने हेतु त्रैमासिक किश्तों में जीवन बीमा निगम को यथा समय प्रेषित कर दिया करें।

11—उपर्युक्त स्वीकृत की गई धनराशि में रु० 1,34,666.66 अध्यापकों के अंशदान के सम्बन्ध में है। चूंकि यह योजना 1 मार्च, 1974 से लागू की जा रही है और इस मास के सम्बन्ध में अध्यापकों के अंशदान की कटौती उनके वेतन से अभी करना सम्भव नहीं है, इस कारण अध्यापकों का अंशदान (प्रीमियम हेतु) अभी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मार्च 1974 के सम्बन्ध में अध्यापकों का अंशदान अगले वर्ष से देय अनुदान की प्रथम त्रैमासिक किश्त से आवश्यक कटौती करके प्राप्त हो जायेगा। इसके प्राप्त हो जाने पर वह अतिरिक्त धनराशि जो राज्य शासन को इस योजना के सदस्यों के मार्च, 1974 के 'रिस्क प्रीमियम' के अंशदान के रूप में अभी देनी पड़ रही है वह राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले त्रैमासिक अंशदान से समायोजित कर ली जावेगी अर्थात् राज्य शासन का त्रैमासिक अंशदान इतनी ही धनराशि कम करके दिया जायेगा।

12—चूंकि इस वर्ष के आय-व्ययक में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई व्यवस्था नहीं है और इस योजना को सार्वजनिक हित में तुरन्त कार्यान्वित करना आवश्यक है अतः राज्यपाल महोदय मार्च, 1974 के 'रिस्क प्रीमियम' के भुगतान हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रु० 2,31,859 की धनराशि अग्रिम रूप में लेने की भी अनुमति प्रदान करते हैं। यथासमय अनुपूरक मांग द्वारा इस धन की उक्त निधि में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

प्रथमतः उपर्युक्त धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से ली जायेगी पर अन्ततः इसका विकलन अगले वर्ष के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "277—शिक्षा—आयोजनेतर—ख—माध्यमिक (घ) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—सामूहिक जीवन बीमा योजनान्तर्गत राज्य सरकार का अंशदान" में होगा।

भवदीय,

प्रभा कान्त शुक्ल,

उप सचिव।

वित्त विभाग

सं० ई-XI-रा०आ०नि० 106/दस-तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

लक्ष्मी कान्त,

अनु सचिव।

संख्या 9/1417 (1)/15—2007 (13)-73

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षकायें, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।

(5) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(6) शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण–11) अनुभाग ।
(8) शिक्षा अधिकारी, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(9) रीजनल मैनेजर, जीवन बीमा निगम, जोनल आफिस, कानपुर ।

आज्ञा से,

प्रभा कान्त शुक्ल,

उप सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 752 पर)

प्रादेशिक स्वास्थ्य-विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

जलकल लखनऊ से प्राप्त जल के रासायनिक विश्लेषण का परिणाम रासायनिज्ञ जलकल विभाग द्वारा एकत्रित ।

एकत्र करने का दिनांक ..	..	..	..	1–7–74
प्राप्त होने का दिनांक ..	..	..	..	1–7–74
विश्लेषण का दिनांक ..	..	..	..	1–7–74
जल-प्राप्ति का स्थान	रा वाटर, गऊघाट	रा वाटर	पब्लिक स्टैण्ट पोस्ट-इनीशियल एंड	क्लियर वाटर रिजरवायर (ऐशबाग)
भौतिक लक्षण ..	..	डार्क ब्राउन विद सेंडीमेण्ट	डार्क ब्राउन सेंडी-मेण्ट	ट्रान्स पैरैन्ट सेंडीमेन्ट
प्रतिक्रिया ..	..	7–2	7–8	8–0
असंयोजित एवं लवणीय तिक्तांति भाग (फ्री एन्ड सेलाइन एमोनिया) प्रति ..	..	100,000		
शिवत्याभ तिक्तांति भाग (एल्बूमिनाइड एमोनिया) ..		100,000		
37 से0ग्रे0 पर 3 घंटे में अवशोषित जारक भाग (अक्सीजन एब्जार्ब्ड) प्रति ..	..	..	100,000	अंडर
साद्र विलयन में समस्त भाग (सालिड्स इन सल्यूशन टोटल) प्रति ..	..	..	100,000	आवजरवेशन
सांद्र विलयन में अनुतपत भाग (सालिड्स इन सल्यूशन फिक्स्ड) प्रति ..	..	..	100,000	
सांद्र विलयन में उत्पत भाग (सालिड्स इन सल्यूशन वोलेशन) प्रति ..	..	..	100,000	
प्रज्जवलन पर रूप				
सम्पूर्ण कठोरता भाग प्रति 100,000 ..		16–4	15–8	17–5
स्थायी कठोरता भाग प्रति 100,000 ..		10–0	10–0	9–8
अस्थायी कठोरता भाग प्रति 100,000 ..		6–4	5–8	7–7
नोरेय भाग (क्लोराइड्स) प्रति 100,000		1–0	0–9	1–6
भूमित भाग (नाइट्राइट) प्रति 100,000 ..		0–001	0–001	निल
भूयीय भाग (नाइट्रेट्स) प्रति 100,000 ..		अंडर आब्जरवशन	अंडर आब्जरवशन	अंडर आब्जरवशन

अभ्युक्ति

..	..	एविडेंस आफ आरग्निक पाल्यशन	अनन्तरिम फैक्टरी ओपीनियन फाइनल आब्जरवेशन के बाद ही दी जाएगी।

No Cynides and Arsenic and Manganese are present with addition of excessive dosage of Chlorine inresidual supply. The Water can be potable.

(ह0) कृते संयुक्त निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0 प्र0,
(मेडिकल कालेज प्रांगण),
लखनऊ।

Water Analysis report by Fisheries Department of the water of Gomti River

1.	Year — July 1, 1974		1969-70
2.	Temperature of air	35.5°C	12.5 —39°C
3.	Temperature of Water	33°C	17 – 32×C
4.	Odour	Unpleasant fishy smel.	Nil.
5.	Colour	Brownish	Clear
6.	Turbidity (Socchis)	22.5 cm.	27.1 cm.
7.	P pH	8.0	8.3
8	Total alkalinity	177 ppm.	237 ppm.
9.	Chlorides	11 ppm.	14 ppm.
10.	Carbon Dioxide	6.8 ppm	Nil.
11.	Dissolved Oxygen	0.75 ppm.	7.7 ppm.

Test Results of Filtered Water

		Normal in the past	*June* 30, 1974
1.	Turbidity	Nil	Nil.
2.	P. H.	7.8 PPM	7 2 PPM.
3.	Hardness (Temp.)	80—90 PPM	100 PPM.
	Hardness (Permanent)	100—110 PPM	100 PPM.
	Total Hardness	180 – 200 PPM	200 PPM.
4.	Nitrates	Nil	Nil.
5.	Nitrites	Nil	Nil.
6.	Total solids	200 – 290 PPM	200 PPM.
7.	Chlorides	7 – 10 PPM	10 PPM.
8.	Residual Chlo ine (C. W. R.)	.5 PPM	.6 – .7 PPM.
9.	Bacteriological	Nil – 1	Probable nimter of coliform in 100 CC of sample (1 June 29, 1974) 0 (June 30, 1974)

Note – The sluice gate of the Gomti wear was fully raised from 3 30 pm on June 30, 1974 upto 5 a. m. on July 1, 1974 to drain out the coloured water.

Test Result of Raw Water

Serial no.	In the past	July 1, 1974
1 Turbidity	15 PPM—5500 PPM	50 PPM.
2 P. H.	7.8 PPM	6—5 PPM.
3 Hardness (Temp.)	80—90 PPM	100 PPM (29-6-74). 100 PPM (30-6-74).
Hardness (Permt.)	110—100 PPM	100 PPM (29-6-74). 110 PPM (30-6-74).
Total hardness	180—200 PPM	200 PPM (29-6-74). 210 PPM (30-6-74).
4 Nitrates	Nil	Nil.
5 Nitrites	Nil	Nil.
6 Total solids	220—300 PPM	220 PPM.
7 Chlorides	8—17 PPM	10 PPM.
8 Free and Saline Ammonia	.3—.5	.5
9 Iron contents (permissible)	.3 PPM	.15 PPM (30-6-74).

Items	Name of Chemical	Daily consumption in the past	Consumption on 29th June	Consumption on 30th June	Consumption on 1st July
1	Chlorine	95 Kg.	150 Kg.	200 Kg.	200 Kg.
2	Bleaching Powder	Nil	384 Kg.	204 Kg.	204 Kg.
3	Lime	Nil	120 Kg.	120 Kg.	120 Kg.
4	Alumina Ferric	Nil	5 tonnes	5 ton	5 ton.

Note—Usually dose of Chlorine used to be 0.5 p. p. m. Since 20th June, it has been raised to about 0.8 p. p. m. This morning the dose of Chlorine has been raised to 1.0 p. p. m. as per orders of the Secretary, Medical and Health Services. Besides prechlorination is also being done with effect from 30th June.

(Sd.)

Nagar Abhiyanta,
(Jal).

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 101 वि० सभा—(1426)—1974-835।